खण्ड-444, अंक-2
शनिवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(7 सितम्बर, 2002 ई0)

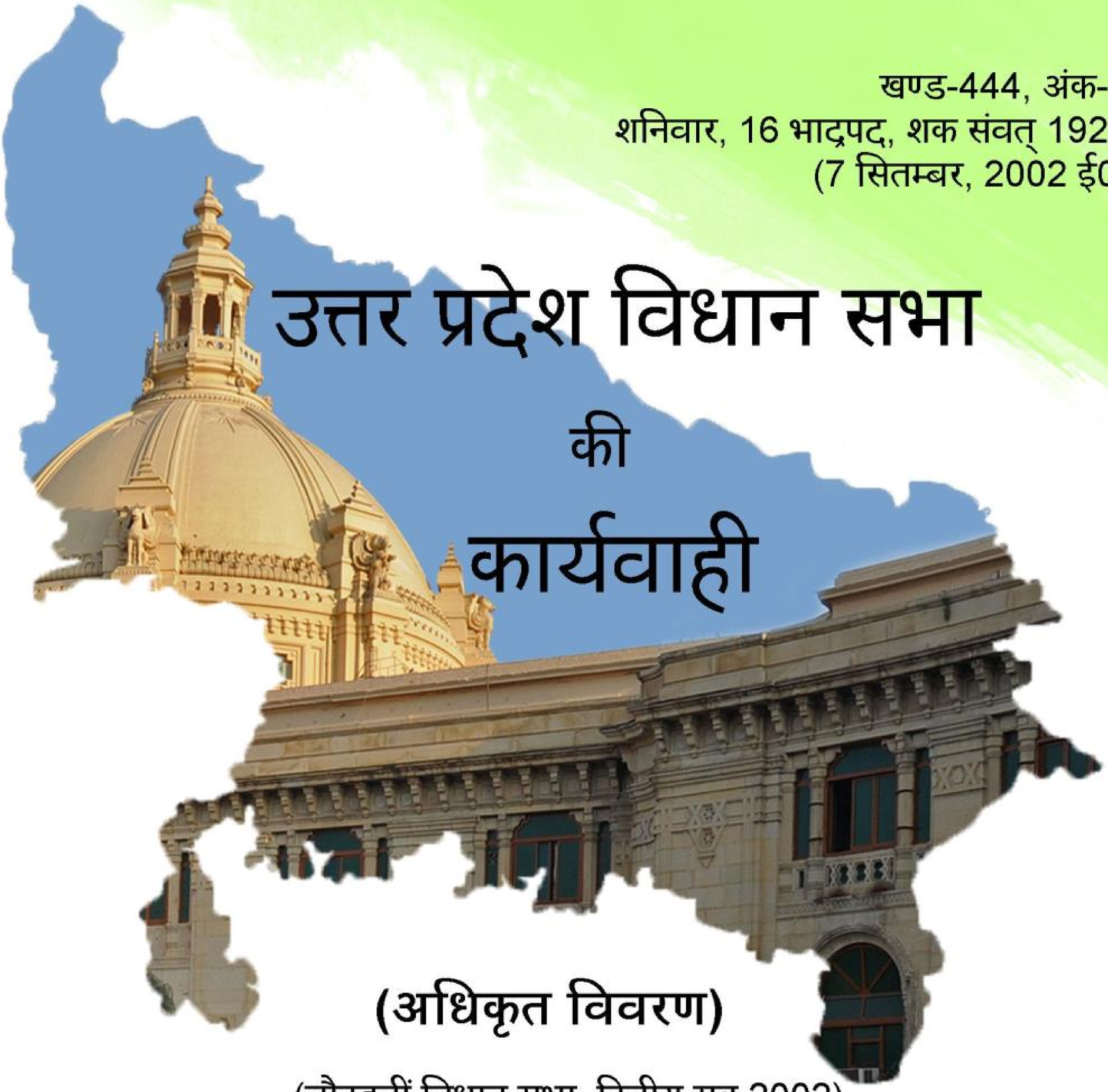

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 444 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | क |
| विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल बहादुर सिंह, श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री सुन्दर लाल के निधन पर शोकोद्गार | 1–2 |
| प्रदेश में सूखे पर चर्चा बजट चर्चा से पहले कराने की मांग .....(जारी) ... | 2-3 |
| कल दिनांक 6-9-2002 की कार्य-सूची में सम्मिलित नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा को न कराये जाने पर आपत्ति ... ... ... | 3-4 |
| प्रदेश में सूखे पर चर्चा बजट चर्चा से पहले कराने की मांग ..... ... | 4 |
| उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 .....(विधान परिषद से वापसी की सूचना) ... ... ... | 4 |
| उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 4 |
| उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 4 |
| उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 .....(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 5 |
| जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी की भैरपुरा रोड पर ग्राम बंजरिया में नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री हनीफ अंसारी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (प्रस्तुत की गयी) ... | 5 |
| जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील पूरनपुर के ग्राम सिरसा से गुलडिया भूप सिंह तक के मार्ग को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री शिव शंकर अग्निहोत्री आदि की हस्ताक्षरित याचिका .....(प्रस्तुत की गयी) ... ... | 5 |
| जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील का मुख्य मार्गों से मिलने वाले कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री संजीव गुप्ता आदि की हस्ताक्षरित याचिका..... (प्रस्तुत की गयी)... ... ... | 5 |
| जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील गोला में बांकेपुर रोड नयागांव चौराहे होकर ग्राम हरिहरपुर कुकरा से वीरा रोड हजरतपुर लौकिहा के बीच रोड पर पुलिया निर्माण एवं विकास खण्ड बांकेगंज तक सड़क बनाये जाने विषयक श्री राम सागर गौतम आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (प्रस्तुत की गयी) ... ... ... | 6 |
| जनपद आगरा के अन्तर्गत खारी नदी पर स्थित ग्राम जैगारा खेरिया तथा दौलताबाद में पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दुर्गापाल सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका .....(प्रस्तुत की गयी) ... ... | 6 |

विषय | पृष्ठ-संख्या


जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत हापुड़ के श्यामपुर ददायरा भलकपुर जरौठी असरा, मुरादपुर व झीलपुर आदि गांवों की सुविधा हेतु काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री जय भगवान कश्यप आदि की हस्ताक्षरित याचिका ..... (प्रस्तुत की गयी) ... ... ... 6

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (पुरःस्थापित) ... 6-7

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... ... ... ... 7-14

विश्व बैंक का पत्र पीठ को उपलब्ध कराये बिना उसका संदर्भ देकर मुख्य मंत्री पर आरोप लगाने के सम्बन्ध में आपत्ति एवं व्यवस्था के प्रश्न ... 14-26

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (जारी) ... ... 27-51

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव..... (स्वीकृत) ... ... ... 51

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (जारी) ... ... 51-59

नगर विकास मंत्री के कथन पर आपत्ति ..... (जारी) ... ... 59-61

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव..... (स्वीकृत) 61-62

नगर विकास मंत्री के कथन पर आपत्ति ..... (जारी) ... ... 62-65

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (स्वीकृत) ... ... 65

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 ..... (पारित) ... ... 66-73

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)... 73

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव ..... (जारी) ... ... ... 73-74

नगर विकास मंत्री के कथन पर आपत्ति ..... ... ... 74-75

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ... ... ... | 75-77 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (पारित) ... ... ... | 77-79 |
| कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 ..... (पारित)... ... | 79-80 |
| प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा..... दो घण्टे की निर्धारित चर्चा का स्थगन ... ... ... | 80-81 |
| जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर में 132 के० वी० के विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ... ... | 81 |
| जनपद गाजीपुर के थाना नन्दगंज में एप्रोप्रिएट टेक्नालाजी डेवलपमेन्ट एशोसियेशन द्वारा डी–सेन्ट्रलाइज रिपेयरिंग एण्ड सर्विस सेन्टर कुसमीकला की जमीन का कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... | 81-82 |
| जनपद वाराणसी में आगामी दुर्गा पूजा एवं दीपावली पर्व पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ... | 82-83 |
| ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य प्रो० जयराम यादव द्वारा छात्रों का उत्पीड़न किये जाने सम्बन्धी डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... | 83 |
| जनपद लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा जलापूर्ति की उचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य | 83-84 |
| जनपद बलिया में नगरा-गड़वार मार्ग से रेकुआ उरैनी मार्ग का बंद पड़ा निर्माण कार्य चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन ... ... ... | 84 |
| हिन्दू महासभा द्वारा गोरखपुर कुशीनगर एवं महराजगंज जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... | 84-85 |
| जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में सिंचाई खण्ड टांडा के अन्तर्गत आने वाली नहरों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य... | 85-86 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी, भ्रष्टाचार तथा कनिष्ठों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य... ... | 86-87 |
| जनपद सहारनपुर के ए० आर० टी० ओ० द्वारा अवैध रूप से चलवाई जा रही प्राइवेट बसों एवं उनके कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य | 87 |
| जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में पैथालाजी विभाग के कर्मियों द्वारा कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य | 87 |
| जनपद बस्ती के ग्राम सगरा निवासी अशोक सिंह की अपराधी प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... | 88 |
| गोरखपुर मेडिकल कालेज में रेजिडेन्ट डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पी० के० राय आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 88-89 |
| जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् क्षेत्र के पारा कालोनी पारा रोड में विद्युत आपूर्ति ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जटा शंकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ... ... | 89-90 |
| पशुपालन विभाग में निदेशक पशुपालन द्वारा विभिन्न मदों में करोड़ों रुपये की हेरा–फेरी किये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन एवं मत्स्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 90 |
| प्रदेश के पिछड़े निषाद, केवट, मल्लाह आदि जातियों द्वारा मत्स्य पालन एवं बालू, मौरंग को नदी से निकालने के पुराने व्यवसाय को सरकार द्वारा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... | 90-91 |
| उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय लखनऊ पर अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को उनके मूल विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जीत राजभर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ... ... | 91-92 |
| जनपद इलाहाबाद के झझरा बरिया नाला पर बने पुल को सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन... | 92 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| इलाहाबाद में फूलपुर–हनुमानगंज सड़क से फूलपुर शारदा सहायक ब्रान्च की पटरी पर इनायत पट्टी तक का सड़क निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 92 |
| यू० पी० सबार्डिनेट सेलेक्शन कमीशन पिकअप भवन गोमती नगर द्वारा चयनित खाद्य निरीक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य... ... ... | 92-93 |
| जनपद सहारनपुर में विद्युत विभाग द्वारा उद्योगों को नेस्तनाबूद किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 93-94 |
| प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों, निजी जीपों के संचालन से राज्य सड़क परिवहन निगम को हो रही करोड़ों रुपये की हानि के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 94-95 |
| जनपद गाजीपुर के किसानों को विद्युत कनेक्शन कामर्शियल कनेक्शन के रूप में देने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य... | 95 |
| जनपद आगरा के थाना कागारौल के ग्राम वैमन में जूनियर हाई स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 96-97 |
| जनपद वाराणसी के मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड में अनाधिकृत रूप से कायम जिलेदारी के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य... ... ... | 97 |
| जनपद जौनपुर की तहसील सदर के ग्राम गौरा में सार्वजनिक भूमि पर फर्जी ढंग से नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 98-99 |
| जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी में सड़क सम्पर्क मार्ग एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश चौरसिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन ... ... ... | 99 |
| जनपद फैजाबाद में परिवहन निगम के प्रभारी सेवा प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं वित्तीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 99-100 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद शाहजहांपुर के नवसृजित ब्लाक मदनापुर को तुरन्त चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 100 |
| प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 101 |
| जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार तीन पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 101-102 |
| प्रदेश सरकार के प्रवेश कर की नीति के कारण पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 102-103 |
| जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट के अन्तर्गत शुक्लागंज के मोहल्ला कंचन नगर में हुई डकैती से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने विषयक श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 103-104 |
| उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई मेरठ के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 104-105 |
| इलाहाबाद महानगर में जलापूर्ति की समस्या के समाधान हेतु द्वितीय वाटर वर्क्स के निर्माण के सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 105-106 |
| जनपद सिद्धार्थ नगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ में सूखे की स्थिति को देखते हुए विद्युत आपूर्ति की समय सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 106 |
| ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन लगने वाली बाजारों की आय कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अरुणा तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 107-108 |
| जनपद बाराबंकी की रसौली में जामिया अरबिया मदानातुल उलूम नामक संस्था के शिक्षकों को जम्मू कश्मीर चुनाव में भेजे जाने से रोकने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 108 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज क्षेत्र में ए० सी० सी० प्लान्ट लगाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण से ग्राम वासियों में उत्पन्न बीमारियों के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 108-109 |
| लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती गीता सिंह निवासी जानकीपुरम् लखनऊ को भवन आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 109 |
| समाज कल्याण विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों से उनके पद के अनुरूप कार्य न लिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 109-110 |
| आटो ट्रैक्टर्स लि० के छटनी शुदा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 110-111 |
| लखनऊ के के० जी० एम० सी० में चयनित डाक्टरों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 111-112 |
| जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में यू० पी० प्रोजेक्ट द्वारा व्यापक धांधली किये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 112 |
| जनपद गोण्डा में दो विभागों के झगड़े के कारण अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों का कार्य न होने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन ... ... ... | 112 |
| जनपद मेरठ में नालों की सफाई एवं पानी की निकासी की सुविधा ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 112-113 |
| जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में दो और ब्लाकों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य... ... ... | 113-114 |
| जनपद मेरठ के ग्राम सैनी में काली नदी पर बने पुल को सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन ... ... | 114 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अन्तर्गत रजबहा पर खारी नदी पर नया एक्यूइक्ट बनवाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 114 |
| जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर के अन्तर्गत औरोनाहारपुर माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 115 |
| स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में ''चरण सिंह ग्राम विकास योजना'' चलाये जाने विषयक दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्य–6 नत्थी 'ग' के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन ... | 115 |
| सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... | 115 |
| राष्ट्रगान ... ... ... | 116 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शनिवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली | नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद | मदन भैया, श्री | ागपत |
| अशोक बाजपेयी, डा० | हरदोई | मोख्तार अंसारी, श्री | ऊ |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद | रघुराज प्रताप सिंह उर्फ | |
| किरनपाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर | राजा भइया, श्री | प्रतापगढ़ |
| चन्द्रदेव राम यादव करैली, श्री | आजमगढ़ | रमेश कान्त लवानियाँ, श्री | आगरा |
| चन्द्र भद्र सिंह, श्री | सुल्तानपुर | राज नाथ सिंह, श्री | बाराबंकी |
| जितेन्द्र कुमार जायसवाल | | लुईस खुर्शीद, श्रीमती | फर्रुखाबाद |
| उर्फ पप्पू भैया, श्री | गोरखपुर | विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| दद्दू प्रसाद, श्री | चित्रकूट | वीरेश्वर, श्री | अलीगढ़ |
| देवेन्द्र नागपाल, श्री | ज्योतिबाफूले नगर | | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शनिवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

श्री राम करन आर्य–

मा० अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं आप बैठिये ।

**विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल बहादुर सिंह, श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री सुन्दर लाल के निधन पर शोकोद्गार**

श्री अध्यक्ष–

पिछले 18 जून से लेकर 02 सितम्बर तक इस सदन के 4 पूर्व सदस्यों का निधन हो गया । उ० प्र० विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल बहादुर सिंह का 18 जून, 2002 को निधन हो गया वे लगभग 86 वर्ष के थे । श्री लाल बहादुर सिंह का जन्म 20 मई, 1916 को ग्राम बरडीहा, जिला–जौनपुर में हुआ था । उन्होंने बी०ए०, एल–एल०बी० तक की शिक्षा ग्रहण की थी । श्री लाल बहादुर सिंह वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र केराकत, जिला जौनपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1957, 1962 तथा 1967 में लगातार कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री लाल बहादुर सिंह ने वर्ष 1944 में सिविल कोर्ट, जौनपुर में वकालत प्रारम्भ की थी । वे वर्ष 1948-1952 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जौनपुर के सदस्य तथा शिक्षा विभाग के प्रभारी रहे थे । वे वर्ष 1969-1977 तक प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन तथा वर्ष 1972-1977 तक भारतीय कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन रहे । वे जिला कांग्रेस, जौनपुर के महामंत्री तथा अध्यक्ष भी रह चुके थे । वे कई शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संरक्षक थे । श्री लाल बहादुर सिंह के निधन से जनपद जौनपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

इसी विधान सभा के दूसरे भूतपूर्व सदस्य श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी का 11 अगस्त, 2002 को बंगलौर में निधन हो गया । वे लगभग 94 वर्ष के थे । श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी का जन्म तहसील बाह के ग्राम होलीपुरा, जनपद आगरा में वर्ष 1908 में हुआ था । उन्होंने परास्नातक तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र बाह, जिला आगरा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे लोक सभा के सदस्य भी रह चुके थे । श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने वर्ष 1930 में पुलिस सेवा से अपने जीवन की शुरूआत की थी । इसके पश्चात् वे गांधी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया । वे गांधी जी के साथ सेवाग्राम चले गये और वहां उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे । श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी के निधन से जनपद आगरा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजसेवी खो दिया ।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शारदा प्रसाद जायसवाल का 27 अगस्त, 2002 को प्रातः निधन हो गया । वे लगभग 67 वर्ष के थे । श्री शारदा प्रसाद जायसवाल का जन्म 4 सितम्बर, 1935 को सिसवा बाजार, तत्कालीन जिला गोरखपुर में हुआ था । उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री शारदा प्रसाद जायसवाल सर्वप्रथम वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र

सिसवा, तत्कालीन जिला गोरखपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1993 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने अपना कार्य सर्वप्रथम गल्ला व्यवसाय से प्रारम्भ किया था। अपने राजनीतिक रूझान के फलस्वरूप वे वर्ष 1972 में नगर पंचायत सिसवा बाजार के अध्यक्ष निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1988 तथा वर्ष 2000 में पुनः नगर पंचायत सिसवा बाजार के अध्यक्ष निर्वाचित हुये थे। वे ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय, सिसवा के प्रबन्धक, शिक्षा परिषद् कन्या जूनियर हाईस्कूल, सिसवा और टाउन एरिया कमेटी, सिसवा के अध्यक्ष रह चुके थे। जनसेवा, गरीबों के बीच बैठना एवं वार्तालाप में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के निधन से जनपद महाराजगंज ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

इसी तरह से एक अन्य भूतपूर्व सदस्य श्री सुन्दरलाल का लगभग 100 वर्ष की अवस्था में 2 सितम्बर, 2002 को बरेली में निधन हो गया। उनका जन्म एक जनवरी, 1902 को फरीदपुर, जिला बरेली में हुआ था। श्री सुन्दर लाल वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र फरदीपुर, जिला बरेली से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1957 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पुनः विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री सुन्दर लाल जी एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे वर्ष 1936 में बरेली जिला परिषद् के सदस्य चुने गये थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। उनके निधन से बरेली जनपद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन की ओर से इन भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह जहां हों उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे। मैं अनुरोध करूंगा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

अब स्थान ग्रहण करें।

**प्रदेश में सूखे पर चर्चा बजट चर्चा से पहले कराने की मांग**

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज बजट पर सामान्य चर्चा लगी है व सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दो घण्टे की चर्चा लगी है। मेरा अनुरोध है कि सूखे पर पहले चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

सूखे पर कल चर्चा प्रारम्भ कर दी गई है। कल डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने दो तीन वाक्य कहे थे और व्यवस्था हुई थी कि आज चर्चा जारी रहेगी। बजट से पहले चर्चा लेना संभव नहीं है।

श्री रामकरन आर्य–

अध्यक्ष महोदय, नियम–311 में मैंने आपसे निवेदन किया है। कल मैं बहुत अपमानित हुआ हूं इस सदन में।

श्री अध्यक्ष–

अपमानित कोई नहीं हुआ।

श्री राम करन आर्य–

मैंने नियम–49 में चर्चा कराने की सूचना दी थी । वह चर्चा कल कराने के आपने निर्देश दिए थे ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपस्थित थे ।

**कल दिनांक 6-9-2002 की कार्यसूची में सम्मिलित नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा को न कराये जाने पर आपत्ति**

श्री राम करन आर्य–

कल एडीशनल लिस्ट छपी थी । जिसमें चर्चाएं लगी थीं । टाण्डा के पुल पर व इसके अलावा गोरखपुर मेडिकल कालेज के ऊपर मेडिकल कालेज बहुत जरूरी है । उसके पक्ष में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखीं । यह चर्चा खत्म हुई उसके बाद मेरी चर्चा होनी चाहिए थी । अम्बेडकर पार्क का मामला उठा इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जमीन जो ली गई उस संबंध में मैंने उसको भी सुना । यह दोनों पक्षों से संबंधित है । उसके बाद जब यह चर्चा खत्म हो गई, मैं खड़ा हुआ । मुझे दुःख है कि अगर इस कार्य सूची में न होता तो कोई बात नहीं थी । पीठ से मेरी बात नहीं सुनी गयी । यह कहा गया कि जाकर पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर से मिल लीजिए । मैं कोई [ × × × ] नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह शब्द प्रयोग न करिए ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैंने ही बनवाने के लिए कहा था ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे कक्ष में अभी मिल लीजिएगा ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बैठी हैं वह बनवा सकती हैं । मान्यवर, कल सदन पूरा भरा हुआ था, मुझे अफसोस है कि किसी ने भी मेरी बात के लिए नहीं कहा । [ × × × ] मैं इसको महामहिम राष्ट्रपति और लोक सभा अध्यक्ष को लिखूंगा । [ x x x ]

श्री अध्यक्ष–

यह पूरा आक्षेप कार्यवाही से निकाल दिया जाय । इस समस्या का समाधान न सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, न राष्ट्रपति कर सकते हैं, न लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं । सदन में इसका समाधान हो सकता है या अध्यक्ष कक्ष में होगा । इस सदन की जो कार्यवाही हो रही है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । आपने समस्या उठायी इसका समाधान निकाला जायेगा । पीठ पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए । एक दिन आप थोड़ी देर के लिए यहां बैठें तो पता चलेगा कि जो अधिष्ठाता पीठ पर बैठते हैं उनको कितनी परेशानी होती है । दस हाथ इधर से उठते हैं, दस हाथ

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उधर से उठते हैं। इसमें कोई अपमानित न समझे, समस्यायें आती रहती हैं और उनका समाधान होता रहता है।

**प्रदेश में सूखे पर चर्चा बजट चर्चा से पहले कराने की मांग (क्रमागत)**

श्री रामनरेश यादव–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है उस पर फिर से विचार कर लें। सूखे का जो मामला है, सबने गंभीरता से लिया था। आज भी बहस में है। आपसे निवेदन है ...

श्री अध्यक्ष–

माननीय अधिष्ठाता महोदय का अर्थ था कि आज के लिए स्थगित करते हैं।

श्री रामनरेश यादव–

मान्यवर, मैं सूखे की बात कर रहा हूं। पूरे प्रदेश का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

सामान्य प्रशासन पर लोगों के विचार आने हैं। 4 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होना है। आपको मालूम है 5 मिनट लगता है फिर पूरा समय चर्चा के लिए मिल जायेगा।

**उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002**

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 06 सितम्बर, 2002 को वापस प्राप्त हो गया है।

**उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002**

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002**

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002**

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17अगस्त, 2002 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 अगस्त, 2002 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 सितम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2002 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है।

**जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी की भैरपुरा रोड पर ग्राम बंजरिया में नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री हनीफ अंसारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †**

श्री अताउर्रहमान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी की बहेड़ी भैरपुरा रोड पर ग्राम बंजरिया में नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री हनीफ अंसारी तथा श्री हरभजन सिंह निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 में माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

**जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील पूरनपुर के ग्राम सिरसा से गुलडिया भूप सिंह तक के मार्ग को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री शिवशंकर अग्निहोत्री आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †**

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील पूरनपुर के ग्राम सिरसा से गुलडिया भूपसिंह तक के मार्ग को डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री शिवशंकर अग्निहोत्री तथा श्री राम स्वरूप एडवोकेट निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

**जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील का मुख्य मार्गों से मिलने वाले कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री संजीव गुप्ता आदि की हस्ताक्षरित याचिका †**

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील का मुख्य मार्गों से मिलने वाले कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री संजीव गुप्ता तथा श्री दुर्वेश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

**जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील गोला में बाकेपुर रोड नयागांव चौराहा होकर ग्राम हरिहरपुर कुकरा से वीरा रोड हजरतपुर लौकिहा के बीच रोड पर पुलिया निर्माण एवं विकास खण्ड बांकोगंज तक सड़क बनाये जाने विषयक श्री राम सागर गौतम आदि की हस्ताक्षरित याचिका †**

श्री राजेश कुमार गौतम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील गोला में बाकेपुर रोड नयागांव चौराहा होकर ग्राम हरिहरपुर कुकरा से वीरा रोड हजरतपुर लौकिहा के बीच रोड पर पुलिया निर्माण एवं विकास खण्ड बांकोगंज तक सड़क बनाये जाने विषयक श्री राम सागर गौतम तथा विनेश कुमार निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

**जनपद आगरा के अन्तर्गत ख.' नदी पर स्थित ग्राम जैगारा, खेरिया तथा दौलताबाद में पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दुर्गा पाल सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका †**

चौधरी बाबूलाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के अन्तर्गत खारी नदी पर स्थित ग्राम जैगारा, खेरिया तथा दौलताबाद में पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दुर्गा पाल सिंह तथा श्री इन्दल सिंह, प्रधान निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

**जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत हापुड़ के श्यामपुर, ददायरा, मलकपुर, जरौठी, असरा, मुरादपुर व झीलपुर आदि गांवों की सुविधा हेतु काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री जय भगवान कश्यप आदि की हस्ताक्षरित याचिका†**

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत हापुड़ के श्यामपुर, ददायरा, मलकपुर, जरौठी, असरा, मुरादपुर व झीलपुर आदि गांवों की सुविधा हेतु काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री जय भगवान कश्यप तथा श्री सुरेन्द्र पाल सिंह निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11, 12, 13 में कुछ नहीं है।

**कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 ††**

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† छापी नहीं गयी।

†† दिनांक 7-9-2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

**वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग †**

(मद संख्या–16 पुकारे जाने पर तथा नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर विपक्ष के सदस्यों ने मेंजें थपथपाई)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मेरे ख्याल से कटौती का प्रस्ताव कल रखा जा चुका है क्या दुबारा पढ़ना है ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, चर्चा जारी रखें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जहां से बात खत्म की थी वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इस बात को फिर दोहराते हुये कि नौ-नौ साल के दो बच्चे, 10 साल के बालिग इंसान नहीं बन सकते हैं। बात कल भी चली थी कानून व्यवस्था पर, प्रदेश के विकास पर, आज भी कानून व्यवस्था पर बात है। मैं पूरी ईमानदारी, पूरे एतमाद के साथ कहूंगा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जिस दिन बजट पेश हो रहा था, सदन में उस दिन हजरतगंज लुट रहा था, उस लुटते हुए लखनऊ में, सोते हुए लखनऊ में उत्तर प्रदेश का बजट रखा जा रहा था, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इस राजधानी में प्रदेश को चलाने वाले अधिकारी, सरकार चलाने वाले मंत्री और मुख्य मंत्री का जहां बसेरा है ऐसे शहर में हर चालीस मिनट पर कोई एक बड़ी घटना, तीन दिन में एक कत्ल और हर दूसरे दिन एक बड़ी डकैती हुई है और यह बात बहुत सोचने की है कि जिस शहर में हर पांच घण्टों में एक लूट हो और वह शहर मामूली हैसियत का शहर नहीं है। लखनऊ दुनियां का जाना माना शहर है, दुनिया के पर्यटक यहां पर आते हैं। जहां 17 करोड़ रहने वालों का निजाम चलता है और अगर उस शहर में कानून व्यवस्था का सवाल है तो यह कहते हुए मुझे उजर नहीं है कि जो आंकड़े पेश किये गये हैं उनमें हेर-फेर है। यह बड़े दुख का विषय है अगर घर का मुखिया [ × × × ] बोलकर असत्य बोलकर गलत बयानी करे तो छोटों का क्या होगा ?

मान्यवर, हेलीकाप्टर से उतरते समय अपने समाज को चलाने वाले व्यक्ति से यह कहा जाय कि "तू अभी तक यहीं है मैंने तो तेरा स्थानान्तरण कर दिया था" तो हम यह संस्कार दे रहे हैं। हम कहां ले जा रहे हैं समाज को ? अगर यही होगा तो प्रदेश की 17 करोड़ की जनता की भाषा क्या होगी ? मान्यवर, जब वह अधिकारी ऐसी भाषा सुनेगा तो निश्चित रूप से अपमानित होगा और मुझे यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि वह राज नेता पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकता है क्योंकि उसका

---

† दिनांक 6 सितम्बर, 2002 की कार्यवाही से

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्थानान्तरण हो जायेगा, फिरौती देकर कोई अधिकारी ले लिया जायेगा । अगर वह माहवारी और हफ्तावारी नहीं देगा तो वह बदल दिया जायेगा । लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस में एक बड़े अधिकारी को अपमानित करके निकाल दिया जाय और प्रेस कांफ्रेंस में उसके तबादले का एलान और उसके सस्पेंशन का एलान किया जाय और फिर उसके बाद चांदी की थाली में सहेजकर उसी जगह पोस्टिंग कर दी जाय और उसके बाद यह कहा जाय कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग नहीं चल रहा है इसे कोई नहीं मानेगा । यह एक बहुत बड़ा उद्योग है । इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा दल ददुआ डकैत की तरफ से तरफदारी करे यह कहा जाय कि गुनाह तो ददुआ का था उसके परिवार का नहीं और उसके बेटी-बेटे की शादियों में खुशी मनायें । जहां एक ओर ददुआ के परिवार का मुखिया बनने की हिमाकत रखता हो । हम जानते हैं कि हमारे रास्ते में कितने खतरे बन गये हैं, सच्चाई को कहने से इंकार कर दिया जाय रात को रात कह दिया बस इसी पर बिगड़ गये । हैलीकाप्टर से उतरकर अधिकारी से इस तरह की भाषा का प्रयोग यह संस्कार दिखायी पड़ते हैं । वह अधिकारी राजनेता पर अपना गुस्सा नहीं उतारेगा लेकिन वही अधिकारी जब कुर्सी पर दूसरी जगह जाकर बैठेगा तो जो गरीब, किसान का बेटा आयेगा उस पर अपना गुस्सा उतारेगा और यह समाज और प्रदेश बरबाद हो जायेगा । यह हो रहा है । जिलों में एक जाति और एक बिरादरी के अधिकारी हैं तो कैसे चलेगा यह समाज ? झूठे आंकड़े और फर्जी आंकड़े, पिछले साल क्या क्राइम रेट रहा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या क्राइम रेट बढ़ गया है ? पिछले साल में हत्याएं और लूट बढ़ गयी हैं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को अधिकारियों ने बचाने का काम किया है । फर्जी आंकड़े पेश किये जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हाहाकार मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में । लूट, डकैती का बाजार गर्म है और नेता सदन पिछले साल से इस साल के आंकड़ों को कम करके बता रही हैं ।

हमारा कल उठकर चले जाना बुरा लगा । इतना भरोसा है । हमारे बैठे रहने से प्रदेश चलेगा । मेरी तो एक बात का इतना बुरा हुआ कुछ आपको भी याद है अपना कहा । हम तो उठकर चले गये तो भाषण किया गया और आपने अपमानित किया पूरे बजट सत्र में । यहां से पूरी दुनियां में लोकतंत्र की शुरुआत हुयी । मान्यवर, अगर नेता प्रतिपक्ष के जाने से नेता सदन को कष्ट हुआ है और अगर वह यह समझती हैं कि हमारा यहां रहना जरूरी है तो वह तय करें कि विपक्ष की सही मांग को माना जायेगा । जहां विपक्ष का हर कदम पर अपमान होगा, जहां पर बात को गलत कहा जायेगा । अकलियत की बात होती है मान्यताओं की बात होती है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि लोग ऐसे बड़े नहीं बनते हैं बल्कि ऐसे बनते हैं कि जैसे क्या बापू के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मकान की कोई कमी थी, क्या खाने के लिये रोटी की कमी थी लेकिन बापू इसलिए अन्न नहीं खाते थे क्योंकि गुलामी की चोट झेलने वाले करोड़ों हिन्दुस्तानी भूखे पेट मरते थे और उनके बच्चे जमीन पर एड़िया रगड़ते थे और तब जाकर बापू, बापू बने थे । ऐसे ही कोई बड़ा नही बन जाता है ।

अगर कोई यह सोचता है कि ऐसे ही बड़ा बना जा सकता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने यह भी देखा है कि राजनीतिक के इतिहास में जनता ने यह भी करके दिखाया है । आज का इतिहास कल का और कल का इतिहास आने वाले कल का इतिहास बन जायेगा । मार्च–अप्रैल, 2002 में 40 हत्याएं हो चुकी हैं और मई–जून, 2002 में 54 हत्याएं हो चुकी हैं और मान्यवर, मार्च–अप्रैल, 2002 में लूट, डकैती के मामले 54 हैं और मई–जून में 61 हैं और मार्च–अप्रैल, 2002 में चोरी की 279 घटनाएं हुयीं और मई–जून में 314 हुयी हैं । मान्यवर, कल जो आंकड़े पेश हुए हैं मैंने कहा था कि जांच बैठायी जाए । कौन गरीब आएगा यहां पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बलिया, बस्ती, गोण्डा से । जिस

किसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अपने बच्चे के लिए तालीम का पैसा नहीं है । क्या वह आएगा यहां पर ? एक रात यहां पर ठहरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है क्या अहसास है कि इतने अंतर में जीने वाला व्यक्ति इन सड़कों पर गुजरने की हिमाकत रखता है । एयरकंडीशन कमरों में रहकर कुर्सी का अहम रखते हैं । हमारा सुझाव था कि उस धन को दुगुना कर दिया जाय । ऐसा नहीं है कि नेता सदन अकेली चैम्पियन हैं । अम्बेडकर जी की । आपके पैदा होने से पहले वह बहुत बड़े आदमी थे । आपके पैदा होने से पहले ही वह बहुत बड़े हस्ती बन गये थे । माननीय मुलायम सिंह जी यादव वहां जाते थे फर्क इतना था कि वह वहां जो बन रहा है वह देखने जाते थे । हाथियों के ऊपर खराशें पड़ गयी हैं धूप से । यह सवाल मेरा नहीं है प्रदेश की जनता के सामने बहस का सवाल है क्योंकि वहां पर हाथी लगाये गये हैं, हाथी क्यों ? साइकिल भी लगायी जाये, पंजा भी लगाया जाये, कमल का फूल लगाया जाये अगर राजनीतिक दलों की निशानियां लगायी जाती हैं तो अम्बेडकर पार्क में यह भी लगायी जायें । यह डा० भीमराव अम्बेडकर एक व्यक्ति का नाम आज का नाम नहीं है न नेता सदन की उम्र तक का नाम है । आपकी पैदाइश से पहले का नाम है बहुत बड़ा नाम है और यह नाम आपके उद्यान बनाने से और बड़ा नहीं हो जायेगा । फिर तो मैं यह मानूंगा पार्लियामेन्ट में जो लाइब्रेरी बन रही है और वहां पर जो मूर्ति लगी है वह आपके जीवन से पुरानी है, वह भी आपने लगायी होगी ।

आपने पेरियार के नाम पर हिन्दू समाज के साथ जो किया है और उसके बाद भी लालजी टण्डन जी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो हमें कोई शिकायत नहीं है । मान्यवर, इतना ही नहीं एक बहुत बड़ा आदमी है अरुण शौरी जो भारत सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है झूठे भगवान की पूजा और उस किताब में अम्बेडकर जी को, आप माफ करेंगे, अंग्रेजों का दलाल कहा है । यह मैं सदन में कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, खुले बाजार में यह बिक रही है, अंग्रेजी में, हिन्दी में और जिस अरुण शौरी ने झूठे भगवान की पूजा पर किताब लिखकर अम्बेडकर जी को अंग्रेजों का दलाल कहा है उस किताब के लिखने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में बैठने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी से बड़ी फासिस्ट और धोखेबाज है । मान्यवर, गरीबों से गांवों में, मोहल्लों में, मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर ग्राम के नाम पर, आप सुन लें, मान्यवर, एक ही जाति के नाम पर लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, मान्यवर, गरीब तो और भी हैं ।

मान्यवर, बस एक दलित हैं देश में और कोई नहीं है, प्रदेश में कोई और दलित नहीं हैं पिछड़ा और कोई नहीं है अल्पसंख्यक और कोई नहीं है । जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यह नारा दिया गया था । मान्यवर, उसी के तहत मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनकी ताकत पर यह सरकार चल रही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तब जब देश के बंटवारे के लिए बापू ने हां कर दी तब पहले व्यक्ति बापू के पास आया था जो फूट-फूट कर रोया था वह थे खान अब्दुल गफ्फार खां ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें । नेता सदन बैठीं हैं, उत्तर वह दे देंगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपने संरक्षण दिया है उसके लिए शुक्रिया । क्या यह देशभक्त नहीं थे । मौलाना अब्दुल कलाम आजाद देशभक्त नहीं थे, सर सैयद अहमद खां देशभक्त नहीं थे, डा० अंसारी देशभक्त नहीं थे, हसरत मोहानी देशभक्त नहीं थे, रफी अहमद किदवई देशभक्त नहीं थे, डा० जाकिर हुसैन देशभक्त नहीं थे । जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी । खोलो आंखें । तीसरी बार सरकार बनी

है मान्यवर, और किसी अल्पसंख्यक देशभक्त के नाम एक ईट रखी हो तो सारा बजट आप पारित करवा सकते हैं और मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा । मान्यवर, 3 मई को शपथ हुई और महज 30 जून तक 447 अपहरण और 1147 हत्यायें, दलित उत्पीड़न की 1160 और वाक्याते बलात्कार की 234 रपटें और वह भी तब जब यहां डी०जी०पी० और गृह विभाग के आदेश गये हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा चाहा है कि कम से कम मुकदमें कायम किये जाने, समझौता कराया जाय, धमकाया जाय और कत्ल और हत्याओं का मुकदमा न लिखें जाये । आरोप है यह हमारा और यह आरोप छुपाना नहीं है यह सीधा आरोप है । हर घण्टे पर एक स्थानान्तरण यह आरोप नहीं है यह सच्चाई है और इसकी जांच करा लें आप ।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,

न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे अमावस की रातों में नया स्वप्न दिखता है ।

(सदन में बिजली गुल होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक नाकाम सरकार का यह एक उदाहरण है कि सत्र के दौरान और हमारे भाषण के दौरान भी विधान सभा और प्रदेश का भाग्य अंधेरे में आ गया ।

(सत्ता पक्ष के सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

मेरी जैसी किस्मत होती तो यहां होते वहां न होते । मेरी सी किस्मत लायें । मान्यवर, शेर सुन लें अपनी किस्मत के लिए ।

वह शाम म सरमाजल चिराग जलते हैं ।

वह एक कदम हैं नाकामी का, वह कदम है नफरत का, झूंठी आन का । जिन्दगी भर कोई समझौता की बात करे और कभी हिमाकत की बात करे तो उसकी बात भी माननी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

ये कह रहे हैं–

"मेरी किस्मत पर रश्क मत करना,

तेरी जबान है कुछ न कुछ कहने के लिए ।"

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं कह रहा था आपसे । अपने पांव को आपने जिद के लिए पीछे कर रखा है वह एक कदम बढ़ा दिया होता तो फासले कम हो जाते ।

वह शाम में सरेमंजिल चिराग जलते हैं,

जब आप पांव न देते तो मैं कहां होता ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, इजाजत दें तो मैं इनको एक नज्म पेश कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आप पुराने लखनऊ की मिसाल दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पुराने लखनऊ के तोहफों को रामपुर वाले जानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

असल में अध्यक्ष जी मेरे साथ मामला यह है कि टण्डन जी नज्म पेश करें चाहे गजल पेश करें तो हम क्या करेंगे इनकी गजल को लेकर, क्योंकि इनको पूरे दीवान की जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष–

दो प्रकार के होते हैं दीवान।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बल्कि मैं तो चाहता हूं कि टण्डन जी जो गजल मुझे पेश करना चाहते हैं वह गजल किसी और को पेश कर दें तो एक व्यक्ति और खुश हो जायेगा। मान्यवर, 16 अगस्त को धर्मज्ञ मिश्रा, पूर्व विधायक, हरदोई के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ वह लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए एक दुःखद घटना है।

(इस समय 11 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'' पीठासीन हुए।)

19 तारीख को बाराबंकी में कच्छा बनियान गिरोह कह कर क्लीनचिट दे दी गयी और पल्ला झाड़ दिया गया, फैजाबाद में 3 महीने के अन्दर तीन बड़ी वारदातें हुईं और मान्यवर, वह तीन बड़ी वारदातें कत्ल की, लूट की और समाज को बरबाद करने वाली हैं। मैं इन तीनों हादसों पर गया मेरे साथ अवधेश प्रसाद जी थे और तीसरी वारदात को देखकर मेरे जैसे हिस्सास आदमी, मेरे जैसा जज्बाती आदमी मेरा मानना है कि हिस्सास और जज्बाती सिर्फ दरों-दीवार में नहीं होते क्योंकि इन दीवारों में कितनी भी मेख ठोंक दी जाये यह दीवारें उफ नहीं करेंगी और किसी आदमी के जिस्म में एक कांटा भी चुभ जायेगा तो पूरा शरीर बेचैन हो जायेगा।

फैजाबाद में एक परिवार के 6 लोग मार दिये गये, इस तरह से उनका सर कुचला गया कि उनमें से पांच लोग अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सके। मां की छाती से दूध पीता हुआ बच्चा छीन लिया गया और उसे जमीन पर पटककर उसकी हत्या की गयी और उसे ट्वायलट में डाल दिया गया और जहां से गन्दगी निकलती है वहां से उस बच्चे का खून बहाने का काम किया गया। यह है कानून और व्यवस्था और इस कानून व्यवस्था के लिए हमारी नेता सदन ने सीना ठोंक कर कहा है कि हम भयमुक्त, न्याययुक्त सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। यहीं बैठे जौनपुर के विधायक हैं 14 संगीन वारदातें तीन महीने के अन्दर, दुकान पर जाकर खुले बाजार में दो लोग हत्या करते हैं, माल लूटते हैं और चले जाते हैं। खुले आम सिविल लाइन के इलाके में और भरी भीड़ के इलाकों में डकैत जाते हैं, हत्या करते हैं,

लूटते हैं और चले आते हैं । और मान्यवर, और जब मैं गया हूं, जौनपुर, उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त करने, कंडोलेंस मीटिंग करने । मैं बहुत कम झूठ बोलता हूं, जब बहुत जरूरत पेश आ जाय ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकने पर)

आपके गले पर किसी का छूरा रखा होगा तो झूठ बोल दूंगा । इसलिए मान्यवर, उन 14 वारदातों में जो कन्डोलेंस मीटिंग की गयी, वह ऐसी थी जैसे जनसभा हो और वह इसलिए नहीं थी कि किसी जनसभा को लोग सुनने के लिए आये थे, बल्कि लोगों के दिलों में जो आक्रोश और गुस्सा था, उसको जाहिर करने के लिए लोग जमा हुए थे । इसलिए मान्यवर, चाहे फैजाबाद की घटना हो, बलिया हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, क्या यह सच्चाई नहीं है कि एक व्यक्ति की वजह से, जिसने पूरे गोरखपुर मण्डल में कमजोरों का जीना दूभर कर दिया, खासतौर से वहां की अकलियतों का । क्या कार्यवाही हुई है उसके खिलाफ ? सदन में तो यह कह दिया, आंख में आंसू ला दूंगी, एक विधायक के लिए और आंसू ही नहीं लाये गये, जब नेता सदन यह कहें, जब उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री यह कहे कि मैं खतरे में हूं और मेरी हत्या का षडयंत्र ही नहीं हुआ है, मेरी हत्या निश्चित है । टेलीविजन पर जब मैंने देखा है तो मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात को लौटकर फिर कहा, यह षडयंत्र ही नहीं है बल्कि मेरी हत्या निश्चित है । जब मान्यवर, प्रदेश का मुख्य मंत्री इतना कमजोर, इतना कायर, इतना बेसहारा और इतना लाचार व्यवस्था का मुख्य मंत्री होगा, जिसने अपनी जान की गुहार की, दुहाई दी, केन्द्र सरकार से कहा गया, मुझे बचा लें वरना मैं मारी जाउंगी । तो मान्यवर, कैसे चलेगा यह प्रदेश ?

(श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खड़े होने पर)

[xxx] मान्यवर, जिन्हें कल की सरकारों ने [xxx] घोषित किया हो, उन्हें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, हम जैसे लोगों का ।

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं । जिनके आका ही भगोड़ा रहे हों, 3-3 बार के भगोड़ा हों और 32 मुकदमें चले हों, आज वह ऐसी बात कर रहे हैं । मान्यवर, सूप तो सूप, यहां छलनी बोल रही हैं । [xxx] 3 बार फरार रहे हैं और उन पर 32 मुकदमें चले हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अपना नाम तो बता दें, यह कौन साहब हैं ।

"मैंने अपने वादए गिरेबां के किये थे टुकड़े,

तुमको क्या अपना गिरेबां याद आया ।"

श्री अधिष्ठाता–

बीच-बीच में शेर और कवितायें आती हैं तो आनन्द आता है, कृपया ध्यान से सुनिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 26 मई के दिन के 10 बजे शालीमार रोड मुजफ्फरनगर जो नेता सदन के कार्य क्षेत्र में आता है, मान्यवर, हमारे एक साथी की आवाज मेरे कानों में आयी, विधान परिषद् में हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं राम शरण दास और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो साहब अभी बड़े परेशान थे,

---

नोट– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उन्हें याकूत कहा था, मैं भगोड़ा कह रहा हूं, वैसे यह मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार ने इन्हें भगोड़ा कहा था, शासन ने भगोड़े का एलान किया था, अगर इन्हें एतराज है तो अपना नाम बता दें ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, दूसरी और तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष ने यह बात कही है, भगोड़ा किसी को अगर घोषित किया जाता है तो सरकार की तरफ से घोषित किया जाता है ।

(व्यवधान)

जब कोई मुकदमा किसी के ऊपर होता है तो उसे जमानत करानी पड़ती है, उसमें समय लगता है, तो क्या इस बीच उसे भगोड़ा कहा जाएगा, मान्यवर, अभी कोई भगोड़ा नहीं घोषित किया गया । अगर इसको आप भगोड़ा मानते हैं तो 1992 में जब मैं इस सदन का सदस्य था, किसी बात के ऊपर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि "किसी के ऊपर एफ०आई०आर० दर्ज होने से वह मुजरिम नहीं बन जाता । मेरे ऊपर (मुलायम सिंह यादव) 32 केस चल रहे हैं और 3 केस में मैंने जमानत नहीं करवायी थी ।" तो क्या वह भगोड़े थे मेरे ऊपर इस केस से पहले कभी कोई गम्भीर केस नहीं था, जिनके आका के खिलाफ 32 केस हों और तीन बार भगोड़ा रहा हो तो नेता प्रतिपक्ष इस बात को कैसे कह सकते हैं जब तक न्यायालय का निर्णय न हो जाय, तब तक सिर्फ मुकदमा दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं माना जाता है । जब 32 मुकदमें मुलायम सिंह पर थे तो उन्हें भगोड़ा नहीं कहा गया तो आज यहां नेता प्रतिपक्ष कैसे यह बात कह सकते हैं ? बार-बार यह बात कही है ।

(व्यवधान)

सिर्फ एक मिनट लगेगा मेरी बात सुन लें । बोलने का समय दिया है मेरी बात सुन लें मान्यवर, मैं माननीय सदस्य जी का जवाब तो दे दूं । शेर के माध्यम से :–

"तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा,

मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है ।

मैं बताऊं की काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से था वासता,

मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है ।"

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिष्ठाता महोदय, अभी एक सदस्य जो मंत्री भी हैं, उन्होंने भगोड़ा न होने की सफाई दी है । हो सकता है कि अखबारों में गलत छपा हो, लेकिन अखबार में लिखा था नसीम अहमद साहब को भगोड़ा करार दिया गया ।

(सता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि नाम भी सही नहीं मालूम है)

यह क्लैरिकल मिस्टेक है हो सकता है यह न रहा हो लेकिन अखबर में छपा था । एक काम की बात इन्होंने जरूर कही है वह यह है कि किसी के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाने से वह मुजरिम नहीं हो जाता । जब तक अदालत का फैसला न हुआ हो । क्या यह उसूल बहुजन समाज के जो विधायक और मंत्री हैं उनके लिए ही है बाकी के लिए भी ? अदालत के अन्दर बम मरवाने का काम होगा और मुख्य मंत्री का यह कहना कि आंसू ला दूंगी उनका यह भी कहना कि मुझे जान का खतरा है, यह पेशबन्दी है

और यह पेशबन्दी करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्दर बम मारकर एक व्यक्ति की हत्या कराने की साजिश रची गयी । मान्यवर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सारी बातें सदन में कहने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कितना खतरा खड़ा होने वाला है और है । श्री शिवपाल सिंह की हत्या की साजिश की गयी, श्री शिव कुमार बेरिया को जान से मारने की टेलीफोन की धमकी और खत नहीं आये, क्या यह सच नहीं है कि कुंवर रेवती रमण सिंह जी की हत्या के लिए ददुआ डकैत के भाई को मुकाबले में खड़ा किया गया है । क्या यह सच नहीं है कि कुंवर रेवती रमण की सुरक्षा वापस लेकर उनकी हत्या का षड़यंत्र रचा गया ? अगर सत्र नहीं चल रहा होता तो क्या कुंवर रेवती रमण सिंह जी की हत्या नहीं हो जाती । इसी सचिवालय में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बैठाया गया विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या का षड़यंत्र ही नहीं एक तयशुदा मकसद तैयार किया ?

मान्यवर, किसी के कह देने से सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती । जो सांप दूसरों को काटने के लिए पाले जाते हैं, सपेरा उसी से डसा जाता है । क्यों हटाया उन सांपों को सपेरे ने, क्योंकि वह सांप उसे डसने वाले थे । आंखें खोलने की जरूरत है । मान्यवर, हालात यह है कि शुतुरमुर्ग अगर तालाब के किनारे खड़ा होकर शिकारी के हाथ में बन्दूक देखकर रेत के अन्दर अपने मुंह को छिपा लेगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि शिकारी के निशाने से बच गया है । जो अव्यवस्था फैली हुई है उससे नेता सदन ने मुंह छिपाने के लिए रेत में मुंह दे दिया है इससे उत्तर प्रदेश बचने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश मिट जायेगा । मान्यवर, 25 मई को गोला गोकरननाथ के बीच बाजार में बदमाश 40 हजार रुपया लूट ले गये और 8 बजे लक्ष्मण दास को गोलियों से भून डाला । यह उस इलाके में हुआ जो मुख्य मंत्री जी का अपना इलाका है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बाहर जो कुछ कहें, लेकिन सदन में सच्चाई का यह आलम है कि वर्ल्ड बैंक का खत वह भी असत्य पढ़कर सुना दिया । मान्यवर, यह तो इतना बड़ा पाप है, इस सदन के बारे में यह कहा जाता है कि यहां झूठ नहीं बोला जाता, अगर कोई झूठ बोलता है तो वह सच माना जाता है । एक दिन वह आने वाला है, इसलिये जबान-ए-खलक को नक्कारा-ए-खुदा समझो । अगर कोई अच्छा काम करने वाला कोई गलत काम कर देता है तो समाज उस पर भरोसा करेगा । लेकिन बुरा काम करने वाला अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा । मिसाल है कि भाग गया दाढ़ी वाला, पकड़ा गया मूछों वाला इसलिये सदन में वर्ल्ड बैंक के लेटर को गलत पेश किया गया । वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया क्योंकि पैसे का दुरुपयोग किया गया है । खुले तौर पर लिखा है, यह हमारा इशारा नहीं है बल्कि सच्चाई का तज़किरा है । उ० प्र० सरकार और उ० प्र० के मुख्य मंत्री ने ट्रान्सफर पोस्टिंग के नाम पर जितना पैसा बर्बाद किया है, उस बर्बादी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक कोई आर्थिक सहायता करने के लिये तैयार नहीं है । अगर हमारी बात सही नहीं है तो लेटर को सार्वजनिक कीजिए । आपने जांच बैठा दी कि अखबार में कैसे चला गया । जांच बैठाने से सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़ता । अगर आप सच्ची हैं तो अपने भाषण से पहले वर्ल्ड बैंक के पत्र की फोटो कापी कराकर बांट दें दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा । पता चल जायेगा कि सच्चाई क्या है ?

**विश्व बैंक का पत्र पीठ को उपलब्ध कराये बिना उसका सन्दर्भ देकर मुख्य मंत्री पर आरोप लगाने के सम्बन्ध में आपत्ति एवं व्यवस्था के प्रश्न**

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नेता, प्रतिपक्ष ने वर्ल्ड बैंक के किसी लेटर का संदर्भ देकर उसके कान्टेन्टस यहां बताये हैं । उसमें यह लिखा हुआ है । अगर वह कान्टेन्टस ऐसे हैं जो आरोप लगाने वाले हैं, तो नियमों में यह प्राविधान है, यदि ऐसा कोई पत्र है तो वह पहले पीठ को उपलब्ध कराया जायेगा ।

मान्यवर, अगर आपको उपलब्ध कराया है और उसका उल्लेख किया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर उपलब्ध कराये बगैर आरोप लगाये हैं तो क्षमा भी मांगे और शब्दों को वापस लें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, 28 मई, को....

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था क्या रही ?

श्री अधिष्ठाता–

मा० हुकुम सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया है। इस तरह का कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हुकुम सिंह–

नहीं हुआ है तो जो कहा है वह वापस लें। यह सदन नियमों से चलेगा या इनकी मर्जी से चलेगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, यह बेचैनी बताती है कि मैं सच्चा हूं। अगर सरकार सच्ची है, नेता सदन सच्ची हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

वह पत्र पेश करते तो फिर कुछ कहा जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकरण को आगे न लीजिये। मैं कार्यवाही देख लूंगा कि उसमें क्या है ?

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, यह प्रकरण, अम्बेडकर उद्यान का प्रकरण, हाथियों का प्रकरण यह देश का भविष्य तय करेगा।

आवास नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

कृषि मंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया है उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें नहीं तो अपना आरोप वापस लें। या कार्यवाही से यह शब्द निकाल दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले कह दिया कि कार्यवाही दिखवा लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह सदन की प्रापर्टी बन गया है। इसलिए निकालने का औचित्य नहीं है।

परिवहन, आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

अगर प्रमाण नहीं है तो कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी टण्डन–

यह पीठ से अपेक्षा है । अगर कोई आरोप लगाए जाएं तो प्रमाण दिया जाए । नहीं तो खेद व्यक्त करें । यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया कि पहली बात कोई पत्र नहीं मिला है । दूसरे कार्यवाही को देखकर जो बातें ऐसी होंगी उन्हें निकलवा दिया जाएगा ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

[ x x x ] कार्यवाही नहीं दिखाई जा सकती है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 6 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 21 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसको सुन लें ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था आपने सदन के स्थगन से 15 मिनट पहले दी है, उसका पुनरावलोकन कर लें । जिस विश्व बैंक के पत्र के सम्बन्ध में, जिसका हवाला माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दिया था । उस पत्र के सम्बन्ध में एक आपत्ति उठाते हुए माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि अगर कोई आपेक्षात्मक बात है और उस पत्र के हवाले से कोई काम माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं तो पहले वह पत्र सदन के पटल पर रखने का काम श्रीमन् करें और उसके बाद उस आरोप पर अपने विचार रखने का काम करें । आपने उस पर व्यवस्था दे दी थी । मुझे दुःख है कि इस प्रकरण में, जो इससे पूर्व सदन में आ चुका है और माननीय नेता सदन के विचार उस पर आ चुके हैं और उस पत्र का उल्लेख माननीय नेता सदन स्वयं कर चुकी हैं कि वह पत्र आया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं है । वह पत्र इनके समक्ष उपस्थित था । माननीय नेता सदन ने अगर उस चुनौती को स्वीकार किया होता तो उस पत्र, जिसका उल्लेख किया गया था, उसको सदन के पटल पर रख दिया होता तो सदन को अवगत करा दिया होता और मान्यवर, तब कहते कि हमारे आरोप गलत हैं । हमारे आरोप सही थे इसीलिये नेता सदन ने उस पत्र को सदन के पटल पर रखने का काम नहीं किया । जब नेता सदन के विचार उस

---

नोटः–[ x x x ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर आ गये तो वह समस्त कार्यवाही के अंश सदन के अंग हो गये । उसका पुनः उल्लेख माननीय नेता सदन ने किया है उस पर चर्चा हो चुकी है, आप कार्यवाही मंगा कर देख लें । आपकी व्यवस्था हो गई थी उसके बाद आपने नेता प्रतिपक्ष को अनुमति दे दी । वे अपनी बात कह रहे थे, [x x x]

मान्यवर, आपसे व्यवस्था के किसी प्रश्न पर इस बात का अनुरोध किया जाना, मेरे द्वारा उपस्थित की गई व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था आ जाए यह तो अधिकृत है लेकिन जिस तरह से हुकुम सिंह जी ने कहा है, विद्वान सदस्य हैं, संसदीय कार्य-मंत्री जी रहे हैं, अच्छी तरह से नियमों के ज्ञाता हैं, इस बात को जानते हुए भी कि एक सामान्य सिद्धान्त है, उस पत्र का होना, प्राइमरी डाकूमेंट का होना, सबूत है, अगर उसको चुनौती देते हैं ओन अस टू प्रूव । अगर नेता सदन को आपत्ति थी तो सदन में पत्र पर न कहतीं, अगर कहा तो इसका मतलब नेता सदन द्वारा स्वीकृति है, विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि विश्व बैंक के अधिकारियों ने अमुक कारणों से पैसा नहीं स्वीकार किया गया है [x x x] (व्यवधान)

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है आपकी पीठ पर माननीय अध्यक्ष जी विराजमान थे उस समय यह मामला सदन में उठा, लेटर का हवाला दिया गया, माननीय अध्यक्ष ने उसको ग्राह्य करके उस पर बोलने की अनुमति दी, इस पर तमाम भाषण सदन में हो गए । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने उस पर अपना जवाब दिया, माननीय नेता सदन ने स्वयं जवाब दिया उन्होंने अपने बजट भाषण में इसकी चर्चा की । दूसरे दिन नेता सदन आयीं उसका स्पष्टीकरण दिया और उस पत्र का हवाला दिया, नेता सदन का स्पष्टीकरण आ गया, तो अध्यक्ष जी की व्यवस्था को कभी भी अधिष्ठाता परिवर्तित नहीं करते हैं । अध्यक्ष जी की प्रतिष्ठा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए, माननीय सदस्य हुकुम सिंह ने जिस व्यवस्था को उठाया उस पर आप पुनर्विचार करें जो व्यवस्था आपने दी है उसको वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरे आचरण की निन्दा की गई है इसलिए मैं इस पर बोलना चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जिस प्रकरण के बारे में कहा गया है मैंने विशेष तौर पर उल्लेख किया कि हुकुम सिंह की बात सुनकर, आपने उसे इस योग्य समझा कि आपने नेता प्रतिपक्ष को अनुमति दे दी, ऐसा नहीं है एक जैसा वह चाहते हैं उसके अनुसार व्यवस्था दी जाए आपने व्यवस्था दे दी उसको स्वीकार नहीं करते हैं उन्होंने दुराग्रह किया उसके बाद एक व्यवस्था आई मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं व्यवस्था देने के पहले सुना नहीं गया और दूसरा पक्ष राम गोविन्द चौधरी जी ने रखा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपकी व्यवस्था आवे इसके पूर्व यह जानकारी रखना चाहता था लेकिन नहीं सुना गया । अब मैंने जो प्रश्न उठाया है इस पर आपकी व्यवस्था आ जाय और मेरी व्यवस्था के प्रश्न पर पीठ से जो निर्णय आये उसमें हुकुम सिंह जी की कोई आवश्यकता नहीं है । [xxx]

---

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानसुार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ की ओर कोई दबाव नहीं डाला गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर मेरा नाम न लिया होता तो मैं न बोलता । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि जो भी निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा । मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था । मान्यवर, आप नियम 289(क) देखें उसमें है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोग के लिए विषय की जांच कर सके परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेंगे यदि उनकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता है । मान्यवर, जो पत्र विश्व बैंक का है वह मेरे पास है उसमें जो लिखा है मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं– "थैंक यू फार योर लेटर आफ अगस्त 29, 2002 रिगार्डिंग परफारमेन्स आफ थ्री रूरल सेक्टर प्रोजेक्ट एण्ड ओवर सन्सीक्वेन्ट डिस्कशन आन दिस सबजेक्ट वी एप्रीसियेट योर अटेंशन टू अवर कन्सन एबाउट प्रोजेक्ट स्टार्फिंग एण्ड वेलकम दी इफार्टस बीइंग मेड बाई दी गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश टू इनस्योर दैट दी इम्पलीमेंटेशन आफ दी प्रोजेक्टस इज बीइंग केप्ट आन ट्रैक ।

दी बैंक हैज ए सब्सटेंसियल प्रोग्राम आफ एसिसटेन्स इन उत्तर प्रदेश एण्ड इन दी कमिंग वीक्स वी विल बी विजटिंग लखनऊ ऐज पार्ट आफ आवर रूटीन डिस्कशन्स इन वेरियस सेक्टर ऐज एग्रीड वी विल आलसो टेक दिस अपारचयूनिटी टू रिव्यू विथ यू दी ओवर आल प्रोग्रेस आफ दी पोर्टफोलियो विथ पार्टीकुलर इम्फेसिस आन एचीवमेण्ट आफ देयर डिजायर्ड डवलपमेंण्ट आउटकम्स ।

वी आर आलसो लूकिंग फारवर्ड टू कम्पलीशन आफ निगोशियेसन्स फार दी प्रपोज्ड यू० पी० स्टेट रोड्स प्रोजेक्ट दिस मन्थ विथ रिगार्ड्स ।

सिन्सियरिली योर्स,
**एस०डी० माइकल एफ० कार्टर,**
कन्ट्री डायरेक्टर, इण्डिया ।

मान्यवर, यह 6 सितम्बर, 2002 का पत्र है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

हुकुम सिंह जी ने कोई दबाव नहीं डाला । उन्होंने पूछा था कि पत्र मिला है या नहीं । मैंने कहा कि नहीं मिला है । फिर टण्डन जी ने कहा कि आपत्तिजनक बातें हैं तो मैंने यह व्यवस्था दी थी कि कार्यवाही देखकर आवश्यक कार्यवाही कर लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो कन्टेंड्स का हवाला दिया है उसको सदन के पटल पर रखा जाय । प्रदेश की जनता को उसको सुनने का अधिकार है । विश्व बैंक ने कारण बताये हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप संरक्षण देने का काम करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो पत्र है वह पटल पर रखें आज यहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं । सदन को चलाने में सहयोग दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार दिवालिया हो चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 32 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 47 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजकर 47 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजकर 57 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 12 बजकर 57 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि मा० अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना विचार रख रहे थे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय नेता प्रतिपक्ष मान्यवर, आ रहे हैं क्योंकि सदन स्थगित था और यह नहीं मालूम था कि कितनी देर के लिये हुआ है । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष किसी भी क्षण उपस्थित हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

तब तक टण्डन जी से कुछ बुलावायें, वह लखनऊ से हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, अब के पूर्व जो प्रकरण चल रहा था उस पर कह रहे हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है वह आ जायें, वह बोल रहे थे ।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, तब तक दूसरे को बुलवा दें तब तक वह आ जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष आ गये हैं, दूसरे को बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अभी कुछ सदन में मतभेद पैदा हुआ था इसी बारे में मैंने कार्यवाही निकाल कर देख लिया है । आपने विश्व बैंक के पत्र का उद्धरण दिया था और उस उद्धरण के सम्बन्ध में कोई बात कही थी । पत्र सदन के पटल पर नहीं आया था । जो सामान्य प्रक्रिया है वह यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी पत्र या अभिलेख के आधार पर कोई बात कहते हैं तो वह सदन के पटल पर रखा जाता है । माननीय कृषि मंत्री जी ने एक आपत्ति की थी और "यदि" शब्द लगाकर कहा था चूंकि आपने वक्तव्य में पत्र का उल्लेख किया है, आपके पास पत्र है तो पूरा पढ़ दें या सदन के पटल पर रख दें । स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए विश्व बैंक ने हमारे प्रदेश के ऊपर कोई आपत्ति ऐसी की है तो हम पक्ष में हो या विपक्ष में, यह सरकार पूरे प्रदेश की है और पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है तो प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश का पक्ष थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आपके पास पत्र है तो उसे पटल पर रख दें । क्योंकि उसके बाद कोई बात कही जाती है तो वह नियमानुकूल होगी आप पत्र पढ़ दें उसे सदन के पटल पर रख दें । इसके बाद आपका विचार जारी रहेगा ।

*श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी यह सदन और कचहरी दोनों में बड़ा फर्क है । यहां गवाहियां पेश नहीं होती है, यहां सबूत नहीं दिये जाते हैं और न ही गवाहियों की पुष्टि के लिये यहां पर कोई दस्तावेज पेश होता है । अभी सुबह ही जब हमारे एक सदस्य राम करन आर्य जी ने अपने दुखी मन से एक मामला रखते हुए यह कहा कि वह राष्ट्रपति को लिखेंगे, लोक सभा अध्यक्ष को लिखेंगे । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखेंगे, तब आपकी पीठ से मैंने ऐसा कहते हुए सुना और सही सुना कि जो न्याय यहां मिलेगा उस न्याय को देने का अधिकार देश के किसी व्यक्ति को नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया संबंधी जितने भी प्राविधान हैं वे अनुच्छेद 212 में हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उस प्रक्रिया में मुझे आपका संरक्षण चाहिए । यह वर्ल्ड बैंक की इस चिट्ठी का मामला इस सदन में कई रोज पहले हमारे ही साथी नरेश चन्द्र अग्रवाल ने रखा था । उन्होंने इस चिट्ठी का कुछ हवाला अपने भाषण में भी दिया था और खुद नेता सदन ने उसी चिट्ठी के कुछ हिस्से को पढ़कर सदन में रखा था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई समस्या नहीं है । अगर चिट्ठी हो तो चाहे इधर के लोग रख दें या उधर के लोग रख दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपकी तरफ से बात आ रही है कि कोई बात नहीं है । एक बात मैंने कही 10 अरब 26 करोड़ रुपया बौद्ध परिपथ के लिए जापान सरकार से आया था वह सरकार के निकम्मेपन की वजह से वापस हो गया, इसकी भी चिट्ठी दूं और वह महाराष्ट्र सरकार को चला गया, यह भी चिट्ठी दूं । मेरा कहना यह है कि जो बात सरकार की तरफ से रखी गयी है 10 अरब 26 करोड़ रुपया जापान सरकार से उत्तर प्रदेश के लिए आया था । यह उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र सरकार को चला गया, यह नुकसान किसका हुआ, उत्तर प्रदेश की सड़कों का, उत्तर प्रदेश के विकास का । यह भी चिट्ठी मुझ से मांगेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यदि आप किसी अभिलेख को आधार बनाकर कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरा यह अधिकार है कि जिस चिट्ठी के बारे में मेरी जानकारी है और जिस चिट्ठी पर सदन में पहले बहस हो चुकी है और नेता सदन जवाब दे चुकी हैं, उस चिट्ठी के बारे में उसके मूल के बारे में, उसकी फोटोकापी के बारे में मैं मांग करूं । इसलिए वही अधिकार मैंने इस्तेमाल किया था ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यहां विषयान्तर का सवाल उठाया था । नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे उन्होंने वर्ल्ड बैंक की चिट्ठी का रिफरेन्स देते हुये यह कहा कि [xxx] ने बहुत पैसा ट्रांसफर में कमा लिया है ।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अम्बिका चौधरी जी कृपया बैठ जाइये । मैंने कार्यवाही देख ली है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जिसने माफी की बात कही वह माफी मांग ले बस खत्म ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये । मैंने आते ही यह स्थिति स्पष्ट की कि मैंने कार्यवाही देख ली है मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जैसा आरोप लगाया है यह कार्यवाही में नहीं है । कभी-कभी होता क्या है, न आपका दोष होता है, न आपका दोष, यह जो ध्वनि विस्तारक है यह गड़बड़ कर देता है ।

---

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लालजी टण्डन–

अगर नहीं कहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा केवल अनुरोध यह है कि आप पटल पर रखना चाहते हैं तो रख दें नहीं तो इधर से रख देंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं कोई उत्तेजनात्मक बात नहीं कहूंगा । आपने जो प्रश्न रखा था, सदन के सामने । वह यह रखा था कि जिस पत्र का हवाला दिया गया है या तो नेता प्रतिपक्ष रख दें या इधर से रख दिया जाय । मैं अनुमति केवल यह चाहता हूं कि जो पत्र मेरे पास है, उसे पढ़कर रख दूं । माननीय नेता प्रतिपक्ष रखना चाहते हैं, तो रख दें ।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की ओर से आपस में टोकाटाकी होने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मुझे मान्यवर, जो आपका संरक्षण मिला है, इस सदन में और पूरे विपक्ष को, उसी का इस्तेमाल करते हुये मैं अपनी बात रख रहा हूं और मैं यह कह देना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की इस चिट्ठी के बारे में हुकुम सिंह ने कहा, मुझे चिट्ठी रखनी चाहिये, मैंने गलतबयानी की है । नियमों का उल्लंघन किया है, मैं माफी मांगूं ।

श्री अध्यक्ष–

अगर यदि करके कहा है । मैंने कार्यवाही देख ली है, उसी आधार पर कह रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष–

पीठ पर कोई दबाव नहीं पड़ा है । विपक्ष को इतना संरक्षण मिलता है, आप यह न कहिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[ × × × ] ने दबाव को मान लिया, मैं यह नहीं कह रहा हूं । लेकिन बार-बार पीठ से यह कहना कि माफी मंगवाये । [ × × × ] बयानी करें, गलत परम्पराओं के लिये नेता प्रतिपक्ष से दबाव डालें तो वह इसके लिये दोषी हैं । मैं आपसे चाहूंगा कि आप यह कहें कि [ × × × ]

खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, पीठ से निर्देश हुआ है कि माननीय नेता विरोधी दल जिस पत्र का हवाला दिये हैं, वह पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा हुकुम सिंह जी करें । आपके निर्देश पर श्री हुकुम सिंह वह पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि उस पत्र को सदन के सामने प्रस्तुत होने का आप मौका दें जिससे कि

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सत्यता सामने आ जाय । जो [ × × × ] करके यह लोग सदन का समय खराब करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करके संदेश देना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है ।

(पुनः विपक्ष की ओर से टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो आपका निर्देश होगा, मैं पालन करूंगा । मैं पत्र पढ़कर सुना दूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप का अधिकार है, आप चिट्ठी पढ़वा दें, लेकिन हमारा यह कहना है । जब आपने कार्यवाही देखने का उल्लेख कर दिया है फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया यह प्रश्न उन्होंने कहा ही नहीं था फिर भी हुकुम सिंह नेता प्रतिपक्ष से क्षमा याचना की बात करते हैं अगर कार्यवाही में बात सत्य नहीं पायी गयी तो मा० हुकुम सिंह खेद प्रकट करने का कष्ट करें । उसके बाद श्रीमन् अगर पत्र को रखना चाहते हैं तो नियमानुसार पत्र रखवा लें लेकिन पहले उसका पटाक्षेप हो ।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो स्वयं कार्यवाही पढ़ ली है और पूरी स्थिति स्पष्ट है तो उसमें भ्रम ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मा० अध्यक्ष जी अगर आप अनुमति दें तो एक बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, पूरा विवाद क्या है ? पूरा विवाद यह हुआ कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने जो नहीं बोला, जो नहीं कहा वह मा० हुकुम सिंह जी ने सुन लिया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप इस बात को अनावश्यक तूल दे रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

नेता प्रतिपक्ष ने जो बोला उसका उत्तर मैंने कहा

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इस बात को समाप्त करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि सदन शांति पूर्वक चले, इसलिये मुझे अपनी बात कहने दें ।

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । अपनी बात कहें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मैं एक बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं जो मा० नेता प्रतिपक्ष ने नहीं कहा और हुकुम सिंह जी ने वह सुन लिया और हुकुम सिंह जी ने ही लाल जी टण्डन को भी सुना दिया, अब इस सरकार के दो-दो मंत्री बोल रहे हैं । जो नेता प्रतिपक्ष ने नहीं कहा । कहीं ऐसा तो नहीं यह चाहते हों कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात न कह पायें । मान्यवर, सीधी सी बात है अब बात खत्म हो चुकी है । नेता प्रतिपक्ष अपनी बात शुरू कर सकते हैं । नेता प्रतिपक्ष ने जो नहीं कहा उसको हुकुम सिंह जी ने सुन लिया और 1.5 घण्टे सदन नहीं चला । एक साधारण सी बात है संसदीय मामलों में बुरी बात नहीं है यह कह सकते हैं । अगर यह कह दें कि मैंने गलत सुन लिया था और इस पर खेद प्रकट करता हूं इसके बाद बात आगे बढ़ा सकते हैं । इसमें अनुचित क्या है । यह आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा । आपने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र की गड़बड़ी से बात आ गयी । मैं तो अक्सर गलत कहता हूं लेकिन आप तो कभी भी गलत नहीं कहते तो मेरी राय यह है कि इस बात को आगे न बढ़ायें । जैसा लालजी टण्डन जी ने कहा कि अगर नहीं कहा तो गलती हो गयी इसी प्रकार मा० हुकुम सिंह जी भी कह दें और बात समाप्त करें । रही पत्र की बात तो उसे मंगा कर देख लिया जाय । जब नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण समाप्त कर दें । अब आप ऐसी बात कह दीजिये । जब तक नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन बोल रहे हों तो जब तक वह बैठ न जायें तब तक अन्य कोई न बोले । उस पत्र को इस मोड़ पर क्यों पढ़ा जाय, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बैठ जायं, हुकुम सिंह जी आप सरकार की ओर से खड़े हो जाइयेगा और पढ़ दीजियेगा ।

(शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति रखिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन का महत्व सबसे ज्यादा है, नेता प्रतिपक्ष का भी महत्व बहुत है, इन दोनों का महत्व बनाये रखने के लिए टण्डन जी के स्टाइल में खेद हो जाय तो काम चल जायेगा ।

(शोर/व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो आपका आदेश होगा उसका पालन करूंगा । जो बात मैंने कही थी, एक पत्र का संदर्भ दे करके कुछ आरोप लगाया गया है उस पर मैं कायल हूं अगर ऐसा नहीं है तो पत्र सदन में प्रस्तुत कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं दोबारा कार्यवाही देख लूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सुना नहीं, क्या कृषि मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया है । अगर नहीं किया है तो अब से खेद व्यक्त कर दें । जो भी अनुचित हो उसके लिए कृषि मंत्री जी खेद व्यक्त कर दें उसके बाद कार्यवाही चला दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक कार्यवाही का अवलोकन कर लिया और कार्यवाही का अवलोकन करने के बाद में जिस चिट्ठी का सदर्भ दे करके जो बात कही गयी है, वह चिट्ठी सदन के सामने और आपके सामने नहीं है । आरोप लगाने की जो बात है, जब कार्यवाही का अवलोकन आपने कर लिया है, चिट्ठी का संदर्भ दे करके आरोप लगाया गया है, अगर इनके पास चिट्ठी हो, प्रमाण हो तो माफी मांगूंगा लेकिन अगर चिट्ठी और प्रमाण नहीं है तो शिष्टाचार के नाते यह मांफी मांगें ।

(शोर/व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, हुकुम सिंह जी ने जो कहा उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् मैंने आपकी पीठ पर आने से पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, अगर अनुमति हो तो इसको आपके सामने कह दूं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी रुकिये, अभी नहीं । मैं अब कार्यवाही सदन के सामने प्रस्तुत कर दूं ।

(शोर/व्यवधान)

कृपया दो मिनट शांत रहिये । मैं पूरी कार्यवाही सदन के सामने रख दूंगा उससे स्थिति का निराकरण हो जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि अभी माननीय हुकुम सिंह जी जो इस सरकार में मंत्री भी हैं, अभी फिर इस बात को दोहरा रहे थे । अधिष्ठाता जी, पीठ पर थे तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसे फिर दोहरा दिया । मान्यवर, उस चिट्ठी के संदर्भ में इस विधान सभा में पहले नोटिसें आ चुकी हैं । कुछ नियम–300, कुछ नियम–311 तथा कुछ 56 में आयी थीं । आपने माननीय सदस्यों को सुना, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जवाब भी दिया और प्रतिपक्ष के लोग जब उस जवाब पर संतुष्ट नहीं हुए तो आपने निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण मामला है इसलिये माननीय नेता सदन दूसरे दिन आकर जवाब दें । दूसरे दिन माननीय नेता सदन, सदन में आयीं और जवाब दिया और उस चिट्ठी का संदर्भ दिया, जो आपके सामने कार्यवाही में है । तो जो बात सदन की प्रापर्टी बन चुकी है जिस पर दोनों तरफ से विचार विमर्श हो चुका है और आपकी तरफ से व्यवस्था हो चुकी है उसी चिट्ठी का संदर्भ नेता प्रतिपक्ष ने दिया । अधिष्ठाता जी [ × × × ]

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही सदन की सम्पत्ति रहती है निष्कर्ष आप निकालें । जो कार्यवाही में है वह मैं पढ़ रहा हूं । ''मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बाहर कुछ कहें लेकिन सदन में सच्चाई का यह आलम है कि वर्ल्ड बैंक का खत वह भी असत्य पढ़ कर सुना दिया ।'' असत्य किसी बात को कहना आरोप है । आगे है–''मान्यवर, यह तो इतना बड़ा पाप है, इस सदन के बारे में यह कहा जाता है कि यहां झूठ नहीं बोला जाता अगर कोई झूठ बोलता है तो वह सच माना जाता है । एक दिन वह आने वाला है, इसलिये जबाने–ए–खल्क को नक्कार–ए–खुदा समझो । अगर कोई अच्छा काम करने वाला कोई गलत काम कर देता है तो समाज उस पर भरोसा करेगा । लेकिन बुरा काम करने वाला अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा । मिसाल है कि भाग गया दाढ़ी वाला, पकड़ा गया मूछों वाला । इसलिये सदन में वर्ल्ड बैंक के लेटर को गलत पेश किया । वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया क्योंकि पैसे का दुरुपयोग किया गया । खुले तौर पर लिखा है, यह हमारा इशारा नहीं है बल्कि सच्चाई का तजकिरा है । उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जितना पैसा बर्बाद किया है उस बर्बादी को देखते हुये वर्ल्ड बैंक कोई आर्थिक सहायता करने के लिये तैयार नहीं है । अगर हमारी बात सही नहीं है तो लेटर को सार्वजनिक कीजिये । आपने जांच बैठा दी कि यह अखबार में कैसे चला गया । जांच बैठाने से सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़ता । अगर आप सच्ची हैं तो अपने भाषण से पहले वर्ल्ड बैंक के लेटर की फोटो कापी करके बांट दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा ।'' कृषि मंत्री जी ने, जब अधिष्ठाता महोदय थे तो उन्होंने उस पत्र को पटल पर रखने की बात की थी । नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं कहा है कि मुख्य मंत्री जी के भाषण के पहले पत्र को बांट दिया जाय उसके बाद मा० कृषि मंत्री जी ने कहा है ''मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नेता प्रतिपक्ष ने वर्ल्ड बैंक के किसी लेटर का संदर्भ देकर उसके कान्टेन्टस यहां बताये हैं उसमें यह लिखा हुआ है । अगर कान्टेन्टस बताये हैं अगर वह कांटेन्ट्स ऐसे हैं जो आरोप लगाने वाले हैं तो नियमों में यह प्राविधान है, यदि ऐसा कोई पत्र है, तो पहले पीठ को उपलब्ध कराया जायेगा । मान्यवर, अगर आपको उपलब्ध कराया है और उसका उल्लेख किया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है अगर उपलब्ध कराये बगैर आरोप लगाये हैं तो क्षमा भी मांगें और शब्दों को वापस लें ।''

अब मैं समझता हूं कि सारी स्थिति सदन में स्पष्ट हो गयी है । मैं नेता प्रतिपक्ष पर छोड़े देता हूं कि वह क्या कहें । चाहें तो अभी पत्र पढ़ दें या आपके भाषण की समाप्ति के बाद वह सदन के सामने पढ़ दिया जाये । केवल छोटी सी बात है हम लोगों ने सदन में इस पर बहुत सा समय दे दिया है । मेरा अनुरोध है कि आप अपना भाषण करिये ।

**वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)**

मा० श्री मोहम्मद आजम खां नेता विरोधी दल– –

अध्यक्ष जी आपकी याद होगा अगर कभी भी सदन में जुबान में शब्द पलट जाने से भी कोई शब्द बोला हो तो मैंने यह नहीं कहा है कि इसके लिये खेद हैं बल्कि खुले तौर पर माफी का शब्द इस्तेमाल

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

किया है । मैं उससे छोटा नहीं हो जाता हूं । कोई गलत बात कहकर चाहे मैं रहूं, नेता सदन हों, संसदीय कार्य मंत्री हों, या कोई अन्य मंत्री हो या हुकुम सिंह हों जो वरिष्ठ सदस्य हैं । उन्होंने अगर कोई ऐसी बात कही है चाहे गुस्से से कही हो जिस तरह से उन्होंने कहा है उससे वह खेद भी व्यक्त न करें कोई बात नहीं यही तो मेरा कष्ट है । यही सब तो मैं कह रहा हूं कि राजनीति में जो मान्यताएं बन रही हैं जो राजनीति की भाषा हो रही है जिसे वह समझते हैं कि बड़े सम्मान की भाषा है, बड़े साहित्य की भाषा है, या बहुत कल्चर्ड भाषा है, सभ्य भाषा है । वह भाषा सभ्य नहीं है, वह तरीका भी सभ्य नहीं है । पत्र के बारे में मेरा कहना है अगर पत्र के संबंध में बात आ जाय, अगर यह पत्र इतना सीक्रेट डाकूमेन्ट है जिससे मुझे माफी मांगने के लिये कहें । यह कहें कि यह पत्र सदन में लाया जाए । यह पत्र सदन में लाया गया है । सुनाने के लिए यह वही पत्र है जिसका मैं हवाला देना चाहता हूं जिसका कुछ अंश है या कोई दूसरा पत्र है यह भी तो देखना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास जो हो वह पढ़ दीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरे पास वही अंश हैं जो सदन की सम्पत्ति पहले से हो चुके हैं । जो नरेश चन्द्र अग्रवाल जी कह चुके हैं । जिस पर नेता सदन का जवाब आ चुका है । मैं उन्हीं अंशों का पत्र चाहता हूं । उन्हीं अंशों का पत्र रखा जाए । क्योंकि वही अंश सदन की सम्पत्ति हो चुके हैं । इसमें नेता सदन का जवाब आ चुका है । अप्रैल के महीने में 577 दलित उत्पीड़न के मामले एस०सी०एस०टी० एक्ट के सामने आए । 21 मई तक 386 शिकायतें आयुक्त के सामने आईं । मैं आगे जो कुछ कहने वाला हूं उसका आशय इससे है कि नेता सदन एक महिला हैं और उन्होंने कई मौकों पर मेरी सूचना है कि अपने विधायकों से भी ऐतराज किया है । मैं इसे अच्छा मानता हूं । उन्होंने इस बुराई की तरफ अपने साथियों से दिल की पीड़ा कही है । ओ०सी०आर० की बिल्डिंग से किरन भारती 24 साल की लड़की को ऊपर से जीने पर फेंक दिया । ओ०सी०आर० से 24 साल की लड़की का नीचे फेंका जाना और आज तक उसके बारे में सच्चाई सामने न आना क्या दर्शाता है । यह सच्चाई सामने आनी चाहिए । वह लड़की कहां से लाई गई, कहां से निकली थी और किसने फेंका था आज तक उस लड़की की हत्या के राज का पर्दाफास नहीं हो सका । 23 जुलाई को मुख्य मंत्री आवास पर तैनात समीक्षा अधिकारी रावत की पीठ में दो गोलियां मारी गई उसकी हत्या कर दी गई । ऐसे लोग भी नहीं बचेंगे जो मुख्य मंत्री आवास समीक्षाधिकारी होंगे और मुख्य मंत्री को अपनी जान का खतरा होगा । सदन में नेता सदन का कानून व्यवस्था के लिए भाषण होगा वह भाषण और कानून व्यवस्था ऐसी स्थिति कि मुख्यं मंत्री आवास का समीक्षा अधिकारी मार दिया जाय ।

वह व्यक्ति जो गांव में रहता है, वह व्यक्ति जिसके मकान में आज भी दरवाजा नहीं है, वह व्यक्ति जिसकी कच्ची दीवार गिर गई है, मैदान में सोता है, खेत खलिहान में सोता है । अपनी मां, बीबी और जवान बेटी के साथ सोता है, उसकी इज्जत आबरू की रखवाली कौन करेगा ? मान्यवर, कल से सदन में कानून व्यवस्था पर जो बहस हो रही है, कौन सा कानून, कौन सी व्यवस्था है, इसलिये

मेरा आरोप नहीं है, यह सच्चाई है । अपट्रान के पूर्व जी०एम० श्री बी०के०पी० शाह के घर मान्यवर, लूट हुई । जवान बेटे की हत्या हुई, जवान बेटी की हत्या हुई और मां बाप की हत्या हुई । मान्यवर, आप हम सब औलाद वाले हैं, जो न हों वो कष्ट नहीं जानते लेकिन जो औलाद वाले हैं, जानते हैं कि औलाद की परिवरिश करने में मां बाप का कितना योगदान होता है । वह जवान औलाद मां बाप के सामने मार दी जाए ? मां बाप के सामने जवान बेटी का बलात्कार हो, हत्या कर दी जाय । जवान बेटे, जिसे पाल पोस कर, जवान कर अपने बुढ़ापे का सहारा बनाते हैं, उसको मां-बाप के सामने मार दिया जाय और कातिलों का पता न चले । वह भी ऐसी जगह राजधानी, जहां रहती है रानी ।

मान्यवर, इस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण हो । इसलिये कहना पड़ता है कि यहां पर कोई कानून लागू नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार नाम की उत्तर प्रदेश में कोई चीज नहीं है । 19 जुलाई को मलिहाबाद के रेलकर्मी के घर दिन दहाड़े डांका डाला गया । प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई । कहा जाता है कि हमने इसमें सुधार किया है, कमी आई है । मान्यवर, मैं तफसील बता रहा हूं इस तीन महीने की सरकार में क्या-क्या हुआ है । इस तीन महीने की बी०एस०पी० और बी०जे०पी० की सरकार में इस तरह से लोग मारे गये जैसे कत्ले आम हुआ हो । ऐसे लूटे गये जैसे कानून नाम की कोई चीज न हो । सरकार में आने के बाद सत्ता पक्ष ने अपने लोगों को छूट दे दी हो कि प्रदेश में लूट का काम करो । मान्यवर, हमारे साथी तो हैं चाहे वह बी०जे०पी० के माननीय सदस्य हों । सुरेश खन्ना मंत्री आवास, बहुखण्डी डालीबाग में रहते हैं इनके यहां दिन दहाड़े अलमारी का ताला तोड़कर लूट हो जाती है और आज तक पता नहीं चल पाया लुटेरों का ।

मान्यवर, सुशील चन्द्र राय की बलिया में 27-7-2002 को हत्या हो गई और बलिया रेलवे स्टेशन पर उस वक्त जब गाड़ी आने वाली है, और हजारों लोगों से प्लेटफार्म भरा हुआ है । हत्यारों को खुली छूट है । कोई कानून नहीं है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है । सिपाही मारा गया, जी०आर०पी० का कान्स्टेबिल मारा गया । दरोगा को गोली मारी गई और आज तक किसी कातिल को नहीं पकड़ा गया । यह प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति है । गुसाईगंज में बी०एस०पी० के विधायक को गोली मारी गई । सी०एम०एस० के बच्चे का अपहरण हुआ 30 जुलाई को और यह मासूम बच्चा जो स्कूल से उठाया गया 4 दिन बाद उसकी लाश मिली । यही कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी । मान्यवर, आज तक इस बच्चे के हत्यारों का पता नहीं चला । फैजाबाद के बारे में मैं बता चुका हूं । प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई मुंहनोचवा के नाम पर । मुंहनोचवा का मामला सिर्फ सदन में इस पर हंस देने का मामला नहीं है । मान्यवर, आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अर्न्तराष्ट्रीय चैनल पर मुहंनोचवा के बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं । कौन है यह मुंहनोचवा ? क्या कोई साइंस का करिश्मा है ?

यह कोई व्यक्ति है, क्या यह सच नहीं है जब मुंहनोचवा का आतंक बढ़ा तो साम्प्रदायिक सोच रखने वालों ने और साम्प्रदायिक आग में उत्तर प्रदेश को ढकेलने वालों ने कहा, मुंहनोचवा आता है जख्मी करता है, जान नहीं लेता है, उसके बाद मुसलमान बस्ती में चला जाता है फिर नहीं मिलता । क्या मंशा थी यह कहने से ? इसलिए मान्यवर, मुंहनोचवा के नाम पर यह सरकार अपना दामन नहीं झाड़ सकती है, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है । मान्यवर, बावरिया गिरोह ने आतंक मचा रखा है, मैं उस मकान पर गया पूरी कालोनी की महिलायें वहां इकट्ठी हो गई, आई०जी० साहब भी थे, उन्होंने कहा हमें पता लगा नेता प्रतिपक्ष आए हैं तो हम मिलने आ गए । उन्होंने कहा, बचाव के लिए हम महिलायें इकट्ठा होकर रात में डंडा लेकर हाथों में टार्च लेकर अपने मकानों का पहरा देती है । यह है

मुख्य मंत्री मायावती की सरकार, मुख्य मायावती की सरकार यह है उत्तर प्रदेश में आतंक और यह है सरकार की महिलाओं का आलम कि मुख्य मंत्री के साथ 25 गाड़ियों का काफिला सुरक्षा के लिए, ए०के० 47 लिए हुए गनर मुख्य मंत्री के साथ, और लखनऊ की महिलायें हाथ में टार्च और डंडा लेकर अपने मकानों की सुरक्षा करें, चौकीदारी करने और गश्त करने का काम करें । यह है कानून और यह है व्यवस्था ?

मान्यवर, कहा गया कि बृजेश सिंह मारा गया और फिर कहा गया कि बृजेश सिंह जिन्दा है इसका नाम अतीक अहमद से जुड़ा है तो अतीक अहमद के नाम से, यह सदन जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हैं कि सरकारें अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में यह पता नहीं कर सकती है कि वह जिन्दा है या मर गया है तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है । बहुजन समाज पार्टी कुं० रेवती रमण सिंह जी के मुकाबले में ददुआ डाकू को खड़ा करती है उस बहुजन समाज पार्टी के बारे में यह कहना कि यह प्रदेश को न्याय दिला सकती है इससे बड़ी गलत बयानी और नहीं हो सकती है । मान्यवर, बृजेश के भतीजे को टिकट दिया कह दें यह सदन में कि यह सत्य नहीं है । धानापुर विधान सभा क्षेत्र से टिकट दिया गया, बृजेश सिंह के भतीजे को, टिकट मिला है तो यह सत्य है कि यह सरकार अपराधियों की पार्टी है अगर ददुआ के भाई को खड़ा किया गया है तो यह सत्य है कि यह डाकुओं की पार्टी है, हत्यारों की पार्टी है ..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा था, मान्यवर, मैंने कहा था कि महापुरुषों की कतार में बहुत से लोग खड़े हैं जिन्हें हम समाजवादी दृष्टि से आइडियल मानते हैं । क्या राममनोहर लोहिया महापुरुष नहीं हैं यह वह लोग हैं जिन्हें अंग्रेजों ने, इंसान की टांगों के बीच में जो सबसे ज्यादा नाजुक स्थान है उस पर भारी वजन बांधकर 15 दिन लटकाए रखा । क्या यह नहीं थे महापुरुष ? इन महापुरुष के नाम पर लाइब्रेरी बनाने के लिये 70 लाख रुपये का सामान डाला गया, लूट ले गए सामान, रेत सीमेन्ट सब लूट ले गए ।

यह होगा ? क्या एक ही व्यक्ति महापुरुष होगा उसके बाद कोई महापुरुष नहीं होगा । डा० राम मनोहर लोहिया जी के नाम से कोई एय्यासी का अड्डा नहीं बनाना चाहते थे केवल एक लाइब्रेरी बनाना चाहते थे ताकि लोग वहां पर आकर पढ़ सकें, उनका इतिहास पढ़ें, समाजवाद पढ़े, वहां पर जहीन अय्यासी न हों, सैकड़ों एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया । मैं तो प्रमोद कुमार से भी शिकवा करूंगा । इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम पर जो जमीन थी उसको भी छीन लिया तो यह होगा । कितनी जमीन चाहिए, कितनी संस्थाओं के नाम पर कोठियां चाहती हैं, कितनी बड़ी कोठी चाहिए कि जो बराबर वाली कोठी खाली करवाकर कब्जा कर लिया । एक व्यक्ति को कितनी जमीन चाहिए, कितना फैलना चाहती है आप । धिक्कार है इस सरकार पर ।

(सदन में कुछ क्षणों के लिए बिजली चली गयी ।)

मान्यवर, जो सरकार सदन में बिजली नहीं दे सकती ऐसी सरकार पर महाधिक्कार है । इसलिए महापुरुषों के नाम पर जिसमें डा० राम मनोहर लोहिया का नाम भी आता है हमने लाइब्रेरी बनानी चाही थी उसका भी सामान लूट लिया गया । 1977 में पंचायतों में कोआपरेटिव सोसाइटीज में आरक्षण किया गया । पहली शुरूआत हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की । मान्यवर, आज जो जनता अदालतें लगती हैं, तहसील दिवस होते हैं उसकी शुरूआत कहां से हुई । उसकी शुरूआत जनता कचहरी से हुई । उसकी शुरूआत माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने से हुई ।

श्री अध्यक्ष–

सन् 1977 में जनता अदालत लगती थी । 1977 में जनता पार्टी थी उस समय कुंवर रेवती रमण सिंह मंत्री हुआ करते थे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने 1977 का हवाला नोमिनेशन का दिया है । मैं माफी चाहूंगा । शायद समझने समझाने में कहीं चूक हो गयी है । मैंने जो 1977 का हवाला दिया था वह नोमिनेशन का दिया था और जनता अदालत का हवाला दिया था वह मुलायम सिंह यादव जी की सरकार का था । शायद समझने समझाने का फर्क रहा है लेकिन मेरा निश्चित मत है और आशा है कि जिस शहर में मैं रहता हूं यहां पर कभी रियासत हुआ करती थीं और हम लोग दोहरी गुलामी का शिकार थे । एक तरफ तो अंग्रेजों की गुलामी थी और दूसरी तरफ नवाबी शहर में हमारे यहां स्कूल जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी । मौलाना मोहम्मद अली जोहर साहब थे । जिन्होंने इंग्लिस्तान में जाकर तालीम हासिल की थी । जब वह यहां आये तो इनके हाथ पैरों में जंजीर पहना दी जो कि हाथी पहना करता था । हमने वह दिन भी देखें हैं । सिर्फ नवाब की सवारी निकलती थी हमने वह दिन भी देखे हैं । मैं यह सब बातें नहीं कहना चाहता हूं । मान्यवर, जो हिन्दुस्तान आजाद हुआ हिन्दुस्तानियों को एक आजादी मिली और दूसरी आजादी मिली इन राजे-रजवाड़ों और नवाबों से ।

मान्यवर, 1947 के बाद हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों से कहीं ज्यादा रामपुर की जनता को एक नहीं दोहरी गुलामी से आजादी मिली है । मान्यवर, आज आजादी के 54 साल बाद [ × × × ] पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि मैं रात में इन्काउन्टर नहीं करता दिन में मारता हूं और 4 लोगों को खुलेआम गोली से मार दिया । 4 महीने तक जिला कचहरी में मुकदमा चला । मायावती की सरकार आई और उनका तबादला पी०ए०सी० में कर दिया । उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गाज गिरी है । जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी । उन चार मुसलमानों की हत्या का मुकदमा आज हाईकोर्ट में है । वह मेरी तरफ से है । आज तक नहीं जानकारी हुयी है कि उनके हत्यारे कौन हैं । यह कष्ट है हमें ? मैं यह अहसास उन लोगों को दिलाना चाहता हूं जिनकी नादानी से आज इस प्रदेश में यह सरकार गैरों की टांगों पर खड़ी है और यह आखिरी बात उन 14 विधाकों से जिनके एहतमात पर यह सरकार वोट हासिल करते हुए उन 14 लोगों की हिमायत हासिल की जिनके बारे में कल मुख्य मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा । जिन मुसलमानों के बारे में उनके साथ होने वाली बेइंसाफी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राम हिन्दू धर्म के भगवान का नाम है, इस्लाम पाबन्दी आयत करता है कि खबरदार किसी के मजहब के खिलाफ एक शब्द भी कहने की हिमाकत नहीं करना और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उसमें कहा गया है कि अगर आप ऐसी गुस्ताखी करोगे तो आपके मजहब पर भी यह गुस्ताखी होगी । यह सही नहीं है । हमारे यहां राम को अपमानित नहीं किया जाता यह मामला अदालत का है राम हिन्दुओं के भगवान हैं इसलिए मैंने इस नारे का विरोध किया है कि राम का बदला लेना है, बाबर की औलाद से । मैं कहना चाहता हूं कि हम बाबर की औलाद नहीं हैं, वह एक मुगल बादशाह था जिसमें अच्छाइयां और बुराइयां भी रही होंगी अगर मुगल सल्तनत अच्छी होती तो आज भी मुगल सल्तनत होती । मैं कहना चाहता हूं कि अपना राजनैतिक स्वार्थ हासिल करने के लिये आपने भारतीय जनता पार्टी ने श्री भगवान राम को बाबर के बराबर कर दिया ।

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपने समाज और देश को बांटा है । मैं इसकी तारीख में नहीं जाना चाहता मैं कहना चाहता हूं कि इस महाधिक्कार रैली में [ × × × ] यह महाधिक्कार रैली उत्तर प्रदेश के करोड़ों मुसलमानों और देश के करोड़ों मुसलमानों पर धिक्कार करने के लिये की जा रही हैं और इसके लिए दोषी है बहुजन समाज पार्टी ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आज, अध्यक्ष जी, यही तो सवाल है और पूरी रहबरी का सवाल है । आज यही सवाल जिन साहब ने उठाया, पूरी की पूरी रहबरी का सवाल है । यही तो आज सवाल है किसके हाथ में रहबरी जिसके नेता ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला बाबरी मस्जिद का मसला हल करने का तो उसकी जगह पर मैं [xxx] बनवा दूंगा । यह कहा है । (सत्ता पक्ष की ओर से झूठ-झूठ की आवाजें), यह सरकार समाज विरोधी हैं, यह सरकार बिना कानूनियत की सरकार है, यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार दलित विरोधी है । पिछड़ा विरोधी है यह सरकार मुस्लिम विरोधी और यह सरकार समाज विरोधी हैं, यह सरकार प्रदेश विरोधी है (व्यवधान) मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, बहन मायावती जी के सरकार में मुस्लिमों को सम्मान मिला है इसलिये इनको तकलीफ हो रही है । बहन मायावती जी ने मुझे कई महत्वपूर्ण विभाग दिया है इसलिये इनको तकलीफ है और श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जब यह मंत्री थे तो इनको वक्फ मंत्री, यानि कब्रिस्तान का मंत्री बना दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्तिपूर्वक सुनें । किसी की आवाज ऊंची हुई है, नीची हुई है तो उसका प्रभाव सदन में पड़ा है उसको सबने देख लिया है । अब सत्तापक्ष से जो बात आ रही है उसको भी आप लोग शान्तिपूर्वक सुनिये ।

श्री हुकुम सिंह कृषि मंत्री– –

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का मैं दो दिन से भाषण सुन रहा था और दो दिन से भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ओहदा कितना बड़ा हो जाये शख्सियत कितनी बड़ी हो लेकिन उससे बड़ा यह मुल्क है । यह प्रदेश है और उससे बड़ी यह जनता है जो कुछ हम कह रहे हैं उसका असर बाहर क्या जा रहा है । अगर हम बिना सोचे समझे यह आरोप लगाते रहे और आरोप अपने आप लगायें किसी वर्ल्ड बैंक के पत्र का हवाला देकर, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर यहां के सरकार पर आरोप लगायें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि तो उसमें वर्ल्ड बैंक और बाहर के विदेशियों की क्या राय होगी ? मान्यवर, हम लोकतंत्र में हैं हर आदमी हमारे बारे में सोच रहा है । मान्यवर, एक

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पत्र मैंने आपको भेजा है उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा । अंग्रेजी में है । अगर यह पत्र सही है तो क्या उस सरकार के बारे में दूसरी राय रखनी चाहिये । यह पत्र अंग्रेजी में हैं और मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा । मान्यवर, मैं पत्र पढ़े देता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

पत्र किस तारीख का है । यह भी बता दें ।

श्री बीजू पटनायक–

मान्यवर, तारीख बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी विपक्ष की ओर से माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचार रखे अभी आपके और नेतागण बोलेंगे अगर खण्डन करना है तो उसमें आप कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं पढ़े दे रहा हूं ।

मि० डी०एस० बग्गा,

चीफ सेक्रेट्री,

गर्वनमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश,

सेक्रेटेरियल एनेक्सी भवन,

लखनऊ–226001

डियर मि० बग्गा,

थैंक यू योर लेटर आफ अगस्त, 29, 2002 रिगार्डिंग परफारमेन्स फ थ्री रुरल सेक्टर प्रोजेक्टस एण्ड अवर सब्सक्यूयन्ट डिस्कशन आन दिस सबजेक्ट वी एप्रीसिये र अटेन्शन टू अवर कन्सर्नस एबाउट प्रोजेक्ट स्टाफिंग एण्ड वेलकम दि इफोर्टस विइंग मेड बाई .. .वर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश टू इन्स्योर दैट दि इम्पलीमेन्टेशन आफ दि प्रोजेक्ट इज विइंग केप्ट आन ट्रेक ।

दि बैंक हैज ए सब्सटेनिसयल प्रोग्राम आफ असिसटेन्स इन उत्तर प्रदेश एण्ड इन दि कमिंग वीक्स वी विल बी विजिटंग लखनऊ ऐज पार्ट आफ अवर रूटींग डिस्कशन्स इन वेरियस सेक्टर्स एज एग्रीड वी विल आलसो टेक दिस अपरचूनिटी टू रेव्यू विथ यू दि ओवरआल प्रोग्रेस आफ दि पोर्टफोलियो विथ पर्टीकुलर एम्फेसिस आन एचीवमेन्ट आफ दीयर डिजायर्ड डेवेलपमेन्ट आउटकमस ।

वी आर आलसो लुकिंग फारवर्ड टू कम्पलीशन आफ नेगोशियेसन्स फार प्रपोज्ड यू०पी० स्टेट रोड्स प्रोजेक्ट दिस मन्थ ।

विथ रिगार्डस्,

सिन्सियरली,

माइकल एफ० कार्टर,

कन्ट्री डायरेक्टर, इण्डिया ।

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो मैं अनुवाद कर दूं । मान्यवर, पत्र मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर यह पत्र है और विरोध है उसे पत्र भी कहते हो तो देखने की बात है । जो संस्था हमारे काम की इतनी प्रशंसा कर रही है । हमारे काम के लिए केवल संतोष नहीं है, बल्कि प्रशंसा कर रही है, क्या उस संस्था

से हम उम्मीद करेंगे कि आरोप लगायेगी । अगर आरोप लगाया होता तो उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र नहीं प्राप्त हुआ होता इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए । मान्यवर, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ । मान्यवर, आरोप लगाया गया, बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख भी किया गया मगर चिन्ता इस बात की होनी चाहिए कि एक संस्था के माध्यम से हम लोकतंत्र को जिन्दा नहीं रख सकते । जब तक हमारी मानसिकता लोकतंत्र की नहीं होगी । मान्यवर, लोकतंत्र में व्यवस्था होती जहाँ सहन शक्ति होती है यह सहन शक्ति का परिचय नहीं दिया है, तो लोकतंत्र की मान्यताऐं जिन्दा नहीं रख पायेंगे । जब आप सम्मानित नेता का उल्लेख कर रहे थे और लोकतंत्र मानसिकता से सरकार चल रही थी । डा० मसूद उस सरकार में मंत्री थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए रातों रात उनसे केवल इस्तीफा नहीं लिया गया बल्कि सामान निकाल कर बाहर रख दिया गया । क्या यही लोकतांत्रिक मानसिकता है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, किस-किस के साथ किया है, जरा गिरेबाँ में झांककर देखे । नेता सदन उसी घर में रहती हैं । जिसका सामान फेंका गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बता दे रहा हूँ लोग कुर्सी को बचाने के लिये किस हद तक जा सकते हैं । मैंने केवल एक मिसाल दिया है । मान्यवर, गठबंधन की सरकार चलती है आपस में विश्वास होता है और अगर एक पार्टी अपने समर्थन को वापस ले ले तो दो जून हमेशा-हमेशा उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नये दिन के रूप में माना जायेगा । मान्यवर, एक उदाहरण और देना चाहता हूँ । लोकतंत्र में जहाँ विधान सभा है उसी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न्यायपालिकायें, दृष्टि रखने वाले पत्र है, पत्रकार हैं अगर दो पत्रकार दो समाचार पत्र हमारे बारे में आलोचना कर दें और हम सत्ता के मद में आकर सारे पत्रकार जगत पर हल्ला बोल दें, सारी न्यायपालिका पर हल्ला बोल दे यही लोकतंत्र है । यह हमको पाठ सिखायेंगे लोकतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र का । मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ । 2 अक्टूबर बापू का जन्म दिन होता है बापू का चित्र हमारे सिर के ऊपर लगा हुआ है जिन बापू के जन्म पर हम लोग नतमस्तक होते हैं उसी 1/2 अक्टूबर को उत्तरांचल की हमारी माँ व बहने दिल्ली में अपनी बात कहने जा रही थीं उनके साथ मुजफ्फरनगर में उनको वहां रोककर जो आपने जुल्म किये और आपकी सरकार ने जो जुल्म किये क्या यही लोकतंत्र है ? आज समीक्षा हम अपने मन की कर लें । केवल हम प्वाइन्ट स्टोर करने में कि कौन अच्छा बोलता है । मैं जानता हूँ कि उर्दू जबान में बहुत मिठास है । इस जबान में कव्वाली हैं, गजल हैं, नज़्म हैं लेकिन जब गलत रास्ते पर यह जबान चली जाये तो कहर बरपा देती है । इस माध्यम को सही इस्तेमाल करें या गलत । इस जबान को इस्तेमाल करके तमाम उत्तर प्रदेश में आप आग लगा सकते हैं । मेरा आग्रह है नेता प्रतिपक्ष से, आप हमारे पुराने मित्र हैं, राज्यसभा में भी रहने का आपका अच्छा अनुभव है आप ऐसा बोलें जिससे प्रदेश की जनता में आपस में प्रेम हो, एकता हो, सद्भाव हो । इसलिए कृपा करके जो आपकी शैली है इसको बदल दें । यह गठबंधन की सरकार एक मिशन को लेकर खड़ी हुई है, एक चुनौती हमारे सामने थी । आपकी बड़ी पार्टी हैं, बड़ी पार्टी के नाते कोई सदाचार है आपका कि आपके साथ कोई बैठने को तैयार है, सरकार चलाने को तैयार है । आपके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है । सबके साथ आपने सरकार चलाई है, बीजेपी के साथ चलाई है, कांग्रेस के साथ चलाई है, उनको खा गये आप, बहुजन समाज पार्टी के साथ चलाई वह भी आपने देख लिया । जिस पार्टी का आचरण इतना उज्जवल रहा हो, जिसका इतिहास इतना उज्जवल रहा हो उसके साथ कौन बैठेगा ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये ।

श्री हुकुम सिंह–

हमें गले लगाने की आदत है, परस्पर विश्वास बढ़ाने की आदत है, उसका परिणाम आपने देख लिया है कि केन्द्र में सरकार चल रही है, कितनी पार्टियों की सरकार चल रही है । आपने भी तो वायदा किया था किसी से कि प्रधानमंत्री बना देंगे, कैसे आपने पलटा खाया । दो-दो बार यहां अवसर दिया गया उसके बाद यह उज्जवल छवि सबके सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में कोई दल आपके साथ नहीं है । मुख्य मंत्री ने कहा था कि न्यूनतम आधार पर सरकार चला रही हैं, पारस्परिक सद्भाव के आधार पर सरकार चला रही हैं । इस सरकार ने पांच साल का जो संकल्प लिया है उसे सरकार पूरा करेगी । मेरा यह सौभाग्य है कि हर सत्र में आप वहीं बैठे रहें, आपके भाषण हम सुनते रहे । आप 3-4 महीने में आंकड़े इकट्ठे करते रहें, लेकिन कभी कोई सकारात्मक बात कही है आपने । केवल बुराई करना, आलोचना करना, इसी आचरण के शिकार होकर आपकी हालत यह हो गयी है । यह एकलवादी पार्टी है जिसके साथ कोई बैठने वाला नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, माननीय नेता बोलेंगे । विपक्ष से जो नाम आये हैं मेरे पास हैं मैं पढ़ देता हूँ श्री मदन सिंह, श्री मशहूद खां, श्री विजय बहादुर पाल, श्री बीजू पटनायक श्री धनन्जय सिंह, और श्री चितरंजन स्वरूप ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं विपक्ष के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जब नेता सदन इस सदन में बोल रही थीं तो मैंने बड़े गौर से नेता सदन को सुना है । उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था के साथ-साथ विकास और डेवलपमेंट परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । और बिना विकास के कानून व्यवस्था अधूरी हैं, मैं शतप्रतिशत इनकी बातों से सहमत हूँ । इनकी बात में इतनी सच्चाई है कि दोनों अगर एक दूसरे के पूरक होंगे तो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और शान्ति भी कायम होगी । लेकिन मान्यवर, 4 महीने से ज्यादा हो गये, इस गठबंधन की सरकार को बने हुये । चार महीने में मान्यवर, यह बात परिलक्षित हो जाती है कि सरकार का नजरिया क्या है और सरकार के क्रियाकलाप क्या हैं ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह पीठासीन हुए ।)

अगर आप देंखे तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने कई इतिहास बनाये हैं, जैसा माननीय हुकुम सिंह जी कह रहे थे । दो बार पहले भी गठबंधन की सरकार आपने बनाई और दो बार आपने ही गठबंधन की सरकार तोड़ी, उसमें किसी तीसरी पार्टी का हाथ नहीं था । माननीय लाल जी टण्डन ने पहले भी राखी बंधवाई थी और दुबारा फिर राखी बंधवाई है लेकिन टण्डन जी आप ही यह बता दो कि 5 साल तक राखी की लाज रखोगी या बीच में तोड़कर चले जायेंगे । यह आप ही बता सकते हो । माननीय मुख्य मंत्री जी, यह प्रदेश जानना चाहता है कि इस 4 महीने में क्या विकास का काम हुआ है ? कौन सा ऐसा विकास का कार्य किया है, जिसमें प्रदेश की जनता को

गौरवान्वित होना चाहिये और आपके इस गठबन्धन को पीठ थपथपाना चाहिये जैसा आपने आकांक्षा की है।.

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 35 सूती कताई मिलें बन्द, कर दी गई, पूरे प्रदेश में 5 चीनी मिलें पूर्वांचल की बन्द कर दी गई और 900 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, चीनी मिल मालिकों पर। और आप कह रहे हो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप एक भी बात बता दो कि जब से 4 महीने से इस गठबंधन की सरकार बनी है कि इतने सौ करोड़ का पूँजी निवेश कराया है। पूँजी निवेश हुआ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और भी प्रदेश हैं कर्नाटक है, मध्य प्रदेश हमारे बगल में है, राजस्थान हमारे बगल में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में थोड़ा बहुत पूँजी निवेश हो रहा है, वह भी इसलिये हो रहा है कि उत्तर में है, इसलिये नहीं, बल्कि इसलिये कि वह दिल्ली के करीब हैं। आप बता दो बुन्देलखण्ड में कितना पूँजी निवेश हुआ है, पूर्वांचल में कितना हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मेरठ में, चाहें मुजफ्फरनगर में, जहां के माननीय हुकुम सिंह जी थे, अभी चले गये हैं। एक भी आप बता दो। बिजली का क्या आलम है, कोई आपके यहां आयेगा क्यों ? बिजली आपके पास है नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिये, जितनी बिजली कटौती आपकी सरकार में हुई पिछले 54 साल में कभी इतनी नहीं हुयी। बिजली आपके पास है नहीं, बिजलीघर लगाने को पैसा नहीं है, कोई उद्योगपति यहाँ क्यों आयेगा, आपके प्रदेश में ? मैं पूछना चाहता हूँ।

मान्यवर, आप यह तो देखें कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपने कहा परसों, कि खजाना खाली है। आपने बाद में यह कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार। लेकिन पहले यही कहा था कि जो आपके पहले वाली सरकार थी, लाल जी टण्डन की सरकार थी खजाना उन्होंने लुटा दिया आमदनी से ज्यादा खर्च कर दिया। और जहां 66 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था उन्होंने 5 साल में बढ़ा कर के 88 हजार करोड़ रुपये कर दिया। बड़ी तरक्की उन्होंने कर दी। वह उपहार आपको सौंप दिया और आप शामिल हो गयीं। 95 और 97 में आप भी सरकार में रहीं हैं अगर आप चौदह-पन्द्रह साल का हिसाब जोड़िये तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, 17 करोड़ जनता में आज 5 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है मिलता है तो आधा-थोड़ा भोजन। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार कहता है। आपने अम्बेडकर ग्राम योजना बनाई, आप वहां बिजली लगवा देंगी। सड़क बनवा देंगी, कुछ दलित भाईयों के मकान भी आप बनवा देंगी क्या इससे गरीबी दूर हो पायेगी ? आपने उनको रोजगार देने की व्यवस्था कहीं नहीं की। जितने विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं उनमें खेती पर से ज्यादा से ज्यादा ध्यान हटा करके रोजगार में, व्यापार पर, नौकरी पर रहा है, तब उन देशों की तरक्की हुई। आपके यहां आज भी 72 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं, आप क्या देंगे ? उनको रहने के लिए मकान, उनको एक घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए कितनी जमीन दिलायेंगी, एक बिस्वा, या दो बिस्वा एक बिस्वा या दो बिस्वा जमीन में उनकी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, यही उनकी कार्य योजना है। उनके लिए रोजगार देने के लिए, पैसा देने के लिए चार महीने में आपने कौन सी व्यवस्था करी, प्रदेश में कौन सा ऐसा काम किया है ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहती हैं तो ये पैवन्द लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको यह योजना बनानी पड़ेगी कि यह प्रदेश विकास करें। आज विकास दर 3.2 प्रतिशत है अगर 8 प्रतिशत दर लाई जाए और पांच साल इसी दर से आगे बढ़ाये तो गरीबी दर 36 प्रतिशत है वह घटकर लगभग 5–10 प्रतिशत पर आ जाएगी, लेकिन आपके बजट से ऐसा कुछ नहीं लगता। मान्यवर, मंत्री चयन करने का अधिकार मुख्य मंत्री को है,

लेकिन उसका बैकग्राउण्ड देखना चाहिए, मान्यवर, एक बात कहना चाहुँगा कि आपने जिस तरह से अफसरों के ट्रान्सफर किए हैं, जैसे पत्तों की तरह फेंट कर रात को कोई कहीं किया और दिन में कोई कहीं किया, और शाम को फिर कैन्सिल । मान्यवर, इतने ट्रान्सफर कभी नहीं हुए । टण्डन जी आप पुराने आदमी हैं, कोई स्थानान्तरण नहीं बन पाई है । आपका चीफ सेक्रेटरी और डी०जी०पी० आपके डाकिया हो गए हैं । 15 साल पहले चीफ सेक्रेटरी कर देते थे कि कौन अधिकारी कहां जाना चाहिए, डी०जी०पी०, एस०एस०पी० की पोस्टिंग करता था । अब पोस्टिंग आप करती हैं और आपके आदेश का पालन वह करेगा ।

मैं बनारस का एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ । कल रात को वहाँ चोरी हुई, बनारस के एक अर्थशास्त्री और विभागाध्यक्ष डा० जनार्दन सिंह, कल दोनों पति-पत्नी गए थे बंगलौर, तीन लड़कियाँ थी घर में, चोर आए दो बजे रात को, ताला और दरवाजा तोड़कर चोरी की, जब लड़कियों ने 100 नम्बर पर फोन किया तो पुलिस ने कहा कि 101 नवम्बर पर फोन करो और एस०एस०पी० बनारस से जब मैं सुबह बात करने की कोशिश कर रहा था तो पता चला कि साढ़े नौ बजे तक एस०एस०पी० साहब सो रहे हैं । इस तरह से आप राज चलवायेंगी । जिसमें इकबाल दिखाई नहीं पड़ेगा, अपराधी का मनोबल ऊँचा हो जायेगा । कल आपने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठायेंगे । आपके ही लिस्ट में है मेरे द्वारा नहीं कहा गया, ददुआ पर दो लाख का इनाम है लेकिन आपरेशन ददुआ समाप्त कर दिया गया । क्यों समाप्त कर दिया गया ? आपके द्वारा एक शब्द नहीं कहा गया कि ददुआ के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, जिसमें 50 करोड़ रुपया उ०प्र० सरकार का खर्च हुआ उसको और तेज किया जायेगा । और जितने बड़े सरगना डाकुओं के हैं उनको समाप्त किया जायेगा । आपको यह इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी ।

माननीय कल्याण सिंह जी, यहां नहीं हैं मैं उनको बधाई दूँगा । उन्होंने एक अभियान चलाकर एक शातिर बदमाश का इन्काउन्टर करवाया था । आप अपना इकबाल बनाना चाहती हैं तो आपकी एक्शन दिखाना पड़ेगा कि यह कार्यवाही की है, ददुआ ऐसे डकैत को भी मार गिराया है । जब इच्छाशक्ति होगी तभी आप यह कर पायेंगी । आपके प्रशासन में अधिकारियों का मनोबल इस तरह से गिरा हुआ है कि अधिकारी यह जानते नहीं कि आज वह डी०एम० हैं या एस०एस०पी० हैं तो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे । मिनटों में स्थानान्तरण कर दिया जाता है आजादी के पहले एक जिले में अधिकारी पांच साल तक रहते थे, आजादी के बाद तीन साल हुआ, आज के शासन काल में तो कुछ दिन है । दिन में कहीं और रात में कहीं भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आप कार्यवाही करो, उनकी कार्य क्षमता को देखकर कार्यवाही करो । इस तरह से नहीं कि उन्होंने कोई बात पूरी नहीं की और रातो रात आपने उनका ट्रान्सफर कर दिया । जितने स्थानान्तरण आपके राज्य में हुए हैं उतना किसी राज्य में नहीं हुए, किसी मुख्य मंत्री ने नहीं किया । एक बात और देख लीजिए तमाम कमीशन पुलिस के उपर बनें, धरमवीर कमीशन 1970 में बना उसमें कुछ संस्तुतियां कीं फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने टी०एन० धर कमीशन बनाया, उसकी भी रिपोर्ट आई । उन रिर्पोटो को देखिए तो आपको पता चल जायेगा कि गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है ?

चौधरी चरण सिंह जी, जिन्दा नहीं हैं मैं उन्हें बधाई दूँगा, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था । [xxx] जितने दक्षिण भारत के राज्य हैं, सभी जगह पुलिस

---

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कमिश्नर हैं लेकिन आपने पुलिस कमिश्नर बनाने का काम नहीं किया । आपके यहां सब काम आई०ए०एस० करेंगे । मैं उनका विरोधी नहीं हूँ उनको विकास के काम में लाइए, उनको जिम्मेदार करिए पुलिस 24 घण्टे जनता की बीच में काम करती है । मैं आपसे मांग करूंगा कि पुलिस कमिश्नर की घोषणा जो पांच बड़े शहर हैं, अपने बजट भाषण में करना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहती हैं सबसे ज्यादा निरक्षर हमारे प्रदेश में हैं, क्या कार्ययोजना आपने बनाई हैं ? प्राइमरी स्कूलों में जाकर पूछिये दलित के बच्चे को 100 तक की गिनती और पहाड़ा कक्षा 5 तक नहीं पढ़ाया जाता, उसे अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं मालूम वह इस प्रतिस्पर्धा के युग में कैसे कम्पीट करेंगा । सबसे ज्यादा निरक्षर हैं तो हमारे प्रदेश में हैं । सबसे ज्यादा गरीब हैं तो उत्तर प्रदेश में । अब इस प्रदेश को किस आंकड़े से आप आगे ले जा रही हैं यह मेरी समझ के बाहर है । मैं आपको दो दृष्टांत याद दिलाना चाहूंगा । प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय से बार-बार फोन आ रहा था लेकिन उस फोन को कलेक्टर ने रिसीव नहीं किया । इसी तरह एक मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, बार-बार मुख्य मंत्री कार्यलय से फोन आ रहे थे लेकिन तत्कालीन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी । आई०ए०एस० और आई०पी०एस० बैठे हैं मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है मुख्य मंत्री का आदेश मानना जरूरी है लेकिन पोस्टिंग पर अपनी बात न कहो यह भी ठीक नहीं है, आई०ए०एस० आज अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं हैं । आप लिस्ट निकाल कर दिखवा ले कि किसके खिलाफ क्या-क्या आरोप हैं आरोप लगे है, इस सदन में लगे हैं, विजिलेन्स ने लगाये हैं और उसके अनुसार कार्यवाही करें तो आपका इकबाल बुलन्द होने लगेगा । केवल ट्रान्सफर पोस्टिंग और एवरप्ट तरीके से सस्पेन्ड कर देने से क्षणिक भय पैदा होगा, ज्यादा समय का नहीं ।

आप एक स्थानान्तरण नीति बनायें, अगर आप प्रदेश की भलाई चाहती हैं । ट्रान्सफर, पोस्टिंग आप मेरिट पर करिये । जिस अधिकारी की मेरिट हो उसको काम दीजिये । अगर आप 10-15 दिन में रिजल्ट चाहेंगी तो नहीं मिलने वाला है । आप ऐसे मंत्रियों का चयन करिये जिन पर दाग न लगा हो और जिनकी कार्य-क्षमता हो । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन इतना मैंने जरूर देखा है कि आपने ऐसे-ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है जिनकी छवि ठीक नहीं रही है और ऐसे-ऐसे लोग मंत्री हैं जो महीनों गायब रहे हैं उनके खिलाफ वारंट रहे हैं और कोर्ट ने स्ट्रिक्चर भी दिये हैं । आपने ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण विभाग दे रखे हैं । आपका दायित्व है कि आप यह भी देखें कि कोई भी मंत्री आपके नाम का लाभ तो नहीं ले रहा है । मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन जब फोन करो तो पता लगेगा कि मुख्य मंत्री के यहां हैं कभी तो हमसे बात करें । सुबह फोन करो तो, रात में फोन करो तो यही जवाब मिलता है । इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए इतनी कर्टसी तो आप में भी होगी कि हम लोग फोन करें तो हमको भी फोन करें । कोई शहंशाह नहीं हैं, कोई राजशाही नहीं है, यह संसदीय प्रणाली है इसमें हमें अपनी बात कहने का हक है । हुकुम सिंह जी चले गये हैं नेता प्रतिपक्ष ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे किसी को गुरेज हो सकता है । आजम साहब एक जाति को विकलांग करते हैं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही । उन्होंने कहा कि भगवान राम हिन्दुस्तान के महान देवताओं में से एक हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ । उन्होंने यह भी कहा कि बाबर की भगवान राम से तुलना नहीं की जा सकती । बाबर मामूली सा इंसान था संयोग से बादशाह हो गया । भगवान राम की तुलना बाबर से किसने की ?

एक सदस्य–

सपा ने किया ।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

यह भा०ज०पा० ने किया है जिसके साथ आपने गठबंधन किया है । मान्यवर, आपके राज्य में 447 अपहरण हुए, 1147 हत्यायें हुईं, दलित उत्पीड़न की 1160 घटनायें हुईं और 234 बलात्कार हुए और अभी यहां लखनऊ में जहां आप बैठती है लखनऊ विश्वविद्यालय में उस छात्रा के साथ दिन दहाड़े जो आचरण किया गया वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपकी सरकार का इकबाल कितना रह गया है ? आप आंकड़े देकर सिद्ध कर देंगे जो कि सरकारी आंकड़े हैं उनको कहें कि शत-प्रतिशत सही हैं लेकिन वह गलत हैं । हम लोगं मांग कर रहे थे आपने मान लिया व मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा की है । भारत सरकार की रिपोर्ट देख लें 60 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश के होंगे । कहीं महिलाओं के खिलाफ कहीं दलितों के खिलाफ होंगे । यह इस बात का द्योतक है कि बहुमत के बल पर भले ही आप अपनी पीठ थपथपा लें बजट पास करा लें लेकिन जनता के बीच छवि आपकी क्या है । आज आप जाकर जनता से पूछें, दलितों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है । आपकी पार्टी के लोग ही लाइसेन्स में तीन से पांच हजार रुपये ले रहे हैं ।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा झूठ कहने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप लोग ही तो हरिश्चन्द्र हैं । मैं जो कह रहा हूं वह तो सब झूठा है । मैं अगर कोई गलत बात कह रहा हूं तो जांच करा लें । एक कमेटी बना दीजिए अगर हमारी बात गलत होगी तो मैं विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ? जांच कराकर आप देख लें । जो आपके पदाधिकारी हैं वह जिलाधिकारी से कैसे बात करते हैं । धौंस देते हैं कि यह काम नहीं करोगे तो बोरिया बिस्तर बंध जायेगा । धौंस जमाकर काम कराना अच्छा नहीं है । इसी के साथ-साथ चौथे और पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट है वह पी०ए०सी०, शैडो, गनर, पुलिस वालों को उस रिपोर्ट के अनुसार वेतन नहीं मिला है । रिपोर्ट आपके पास पड़ी है । क्या उनको पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन देंगे । मुख्य मंत्री जी यहां से चली गई है आप उनको नोट कर के बता देना । बिजली की हालत आप देख रहे हैं यहां सदन में चार-बार बिजली जा चुकी है । बटलर पैलेस में कल भी पानी नहीं आया आज सुबह भी पानी नहीं आया था । जब बटलर पैलेस में पानी नहीं आ रहा है तो अन्य के जगहों की क्या हालत होगी । आपसे कहो तो कहेंगे कि पुराना हो गया है । अभी मिर्जापुर में एक हत्या हुई जिगना थाने में और मारकर गंगा नदी में मारकर डाल दिया गया । एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई । कोई कार्यवाही नहीं हुई । मेरी विधान सभा में चार माह पहले हत्याएं हुई । आज तक मुल्जिम पकड़ा नही गया । दरोगा के संरक्षण में खुलेआम अपराधी घूम रहा है । आपके आदेश का कहीं पालन नहीं हो रहा है । यह आपका इकबाल है और आज पूरे प्रदेश में लगता है कि प्रदेश एडहाक पर चल रहा है । एडहाक पर ट्रांसफर हो रहे हैं । एडहाक पर काम हो रहा है । मान्यवर, पहले यह भी पता करें कि आपके बारे में क्या छवि बन रही है ? लोग क्या कह रहे हैं ? सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं । माननीय टण्डन जी से मैं आग्रह करूंगा कि दया करो । कुछ ऐसे काम करें । राय दीजिए अच्छी । आपने राखी बंधवाई है, इस प्रदेश का भला हो । बिजली में, प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हो । चारों तरफ अराजकता का माहौल है, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकें । यही मैं कहना चाहता हूं ।

* श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

मान्यवर, आपने गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । इसके लिए आपका धन्यवाद । अधिष्ठाता महोदय, बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया तो गृह विभाग के साथ-साथ प्रदेश के विकास की भी चर्चा की । नेता विरोधी दल को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ में अम्बेडकर पार्क का निर्माण कराया तो पता नहीं क्यों उन्हें जिस दिन से सदन प्रारम्भ हुआ लगातार अपने भाषण के दौरान हर बार अम्बेडकर पार्क का जिक्र करते हैं । आपके माध्यम से नेता विपक्ष का बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री मायावती जी ने लखनऊ का नाम हिन्दुस्तान में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है । दिल्ली में लाल किला है, आगरे में ताजमहल है उसी तरह से लखनऊ में अम्बेडकर पार्क का निर्माण करके लखनऊ को एक पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित किया है । अम्बेडकर पार्क के कारण ही विश्व में चीन, जापान जैसे बहुत देशों के हजारों पर्यटक लखनऊ में भी आयेंगे । मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी ।

(व्यवधान)

सुन लीजिये, धैर्य रखिये । जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी इनके नेता मुलायम सिंह जी ने सैफई गांव में एक स्टेडियम करोड़ों रुपये से बनाया था जहां आज गाय, भैंस चर रही हैं । तब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं हुआ था ? आज उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं । मैं आज लखनऊ की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं । उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि एक ऐतिहासिक केन्द्र प्रदेश को दिया है । अभी तक विकास की चर्चा हुई तो प्रदेश के विकास में लालजी टण्डन जी का नाम लिये बगैर प्रदेश की बात नहीं की जा सकती । माननीय लालजी टण्डन जी ने उत्तर प्रदेश के शहरों, जिनमें लखनऊ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं । माननीय टण्डन जी लखनऊ को एक सुन्दर ऐतिहासिक नगरी बनाना चाहते हैं । हमारा लखनऊ जो राजधानी है इसकी सड़कों को चौड़ीकरण किया गया । शहर में रात को तिराहे पर चौराहे पर लपालप बिजली चमकती रहती है । इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय टण्डन जी को बधाई देता हूं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कानून व्यवस्था का जिक्र आया लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है यहां विधान सभा है उत्तर प्रदेश की, जहां नेता विरोधी दल भी निवास करते हैं, इन सबकी सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है वह विशेष पुलिस सुरक्षा दल सुरक्षा करेगी जो हमारे लखनऊ की मुख्य समस्या थी कि जब यह सदन चलता है तो हमारे लखनऊ के सभी थानों से पुलिस मंगाई जाती थी, पुलिस अधिकारियों को माननीय सदस्यों की सुरक्षा के इंतजाम में लगाया जाता था, अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलग से सुरक्षा बल स्थापित कर दिया है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारी पुलिस को इस कार्य से मुक्त कर दिया गया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

अन्त में मैं एक मिनट का समय लूंगा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा ....।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मान्यवर, जिस तरह से पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि है उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे आवास मंत्री टण्डन जी बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा उसी तरह से राजधानी विकास निधि की घोषणा की जाय। राजधानी की महत्ता के बारे में मैं बता दूं।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अम्बेडकर पार्क बनवाया, टण्डन जी ने, महापुरुषों की मूर्तियां लगवाई, बच्चे किताब पढ़ते हैं तो महापुरुषों के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं उन महापुरुषों की मूर्तियां टण्डन जी ने लखनऊ शहर में लगवाई। मुख्य मंत्री जी ने और प्रदेश के नगर विकास मंत्री जी ने इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है। हिन्दुस्तान के इतिहास में, जो लखनऊ का, प्रदेश का, विकास करने का काम करते हैं। राजधानी के विकास के लिए मैं चाहूंगा कि वह राजधानी विकास निधि की घोषणा करें। सदन चलता है तो 403 विधायक जो लखनऊ के सीवर पानी को इस्तेमाल करते हैं इन सबकी सुन्दर व्यवस्था के लिए राजधानी विकास निधि की घोषणा की जाए जिससे नगर निगम का भी विकास हो सके (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय अटल, जयभारत, जयहिन्द।

श्रीमती गीता सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, सुबह से टण्डन साहब हमारे नेता विरोधी दल को कुछ गजल पेश करना चाहते थे। शुरूआत मैं एक गजल से करूंगी–

"उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाय।
अजब हालात थे जब दिल का सौदा कर लिया,
मोहब्बत की हवेली किस तरह नीलाम हो जाय।"

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

* श्रीमती गीता सिंह–

मान्यवर, जो हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है वह है यातायात की । इसमें 70 हजार लोग लगभग प्रदेश के बेगुनाह रोड एक्सीडेन्ट में मर जाते हैं जिसमें 9 हजार लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के होते हैं । उन 9 हजार लोगों की संख्या किसी भी राहजनी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार से ज्यादा है । जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उनकी उम्र मात्र 40 साल के आस-पास होती है और 40 साल के आसपास का कोई व्यक्ति जब मरता है तो आप समझ सकते हैं उसके घर में कितना अंधेरा हो जाता है । दिल्ली पुलिस यातायात को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपया खर्च करती है । हमारी सरकार पहले जो रिकवरी होती थी यातायात से उसका पच्चीस प्रतिशत देती थी अब आज की डेट में एक प्रतिशत भी नहीं दिया जाता है । अगर कुछ पैसा यातायात के नाम पर दिया जाता है तो वह पैसा नगर निगम अपने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह और रख-रखाव में खर्च कर देता है । आज भी उत्तर प्रदेश में 60 जिले ऐसे हैं जहां डिप्टी एस०पी० इंचार्ज हैं अलीगढ़ में भी कोई इंचार्ज नहीं है । हमारे यहां कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होता है । आप समझ सकते हैं कि एक हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल है तो वह कैसे कोई व्यवस्था सुधार सकता है । मार्ग दुर्घटनाओं का आलम यह है कि शत प्रतिशत यहां दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या हत्या में मरने वालों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो प्रदेश में 70 जिलों में से 40 जिले ऐसे हैं जहां मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या हत्या में मरने वालों की संख्या से अधिक है । 15 जिले ऐसे पाये गये हैं जहां यह संख्या दो गुनी से अधिक है । पांच जिले सोनभद्र, मिर्जापुर, संत कबीर नगर और बस्ती तथा आगरा ऐसे हैं जहां हत्या से तीन गुना रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या है । प्रदेश में मरने वालों की संख्या सबंसे ज्यादा गाजियाबाद में 507 है तथा आगरा में यह संख्या 349 है ।

मान्यवर, उसके द्वारा लगभग 800 लोग ट्रैफिक में मारे गये । इसी कड़ी में 349 लोग मार्ग दुर्घटनाओं में मारे गये लेकिन फिर भी वहां कोई व्यवस्था नहीं है । मार्ग दुर्घटनाओं में होनहार लोगों के कैरियर का अंत हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि सन् 60 में 7 हजार गाड़ियां उत्तर प्रदेश में पंजीकृत थी और उसके बाद 52 हजार गाड़ियां यू०पी० में थीं । 2000-2002 में इनकी संख्या 40 लाख है । इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

इसका कोई भरोसा नहीं है कि आज कोई घर से जब निकलता है तो वह शाम को अपने घर पहुंचता है या नहीं । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करे और इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये ताकि यह रोड दुर्घटनाएं रुक सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं ।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर, विधान सभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की स्थिति इस प्रदेश में बनी उसमें किसी भी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला । इस प्रदेश की जनता जनार्दन ने जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनादेश दिया था उससे किसी की सरकार नहीं बन रही थी और लगभग तीन महीने तक तमाम राजनीतिक दल आपस में तालमेल का प्रयास रहे थे लेकिन प्रतिपक्ष में बैठने वाले लोगों से कोई भी तालमेल करने के लिए तैयार नहीं था और फिर भाजपा, बसपा, लोकदल, लोक जनशक्ति पार्टी तथा तमाम निर्दलीय लोगों ने निर्णय किया कि माननीय मुख्य मंत्री मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनायी जाये । यह एक दलित महिला का सम्मान है । यह पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए एक गौरव की बात है । आज बार-बार क'नून व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है । मैं भी बहुत दिनों से राजनीति में भाग ले रही हूं और 1989-93 के बाद अगर आज तक के तमाम हालातों पर अगर देखा जाय तो विकास की किरण कितनी धीमी गति से चल रही थी लेकिन वर्तमान विकास की गति पिछली 5-10 सालों में आयीं सरकारों की देन है । पहले भी सरकारें थीं पर विकास नहीं हुआ । अगर हुआ तो इटावा के सैफई और बाराबंकी के मसौली में हुआ । मेरे राम नगर के लोग पुल-पुलिया के रास्ते के लिए तरस रहे थे लेकिन विकास का कार्य नहीं हुआ । पिछले 5 वर्ष में बजट का पूरा कार्य हुआ है । गांव-गांव में बजट पहुंचने लगा है । चाहे वह प्रधान का बजट हो, ब्लाक प्रमुख का बजट हो जिला पंचायत का बजट हो या विधायक का बजट हो । मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आने वाले समय में भी बहुत अधिक विकास का धन देकर जैसे उन्होंने अम्बेडकर गांवों का चयन किया है उसी तरह से अन्य चीजों का भी विकास करेंगी । हमारे क्षेत्र में भी अम्बेडकर गांव चयनित हुए हैं । यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है जो 5 गांव चयनित किए गए हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से चयनित किए गये हैं । उसमें विद्युत का एक किमी० पर 10 लाख का खर्च आएगा । यह बहुत बड़ा कार्य है । ला एण्ड आर्डर बहुत बड़ी समस्या है । यह स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं । विगत समय में मुंहनोचवा और तमाम अन्य तरह की घटनाएं करवाकर विघटनकारी लोग इस प्रदेश की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं ।

मान्यवर, लेकिन जब शासन ने सख्ती की तो सब रुक गया । मैं पूछना चाहती हूं, प्रतिपक्ष के नेता ने अभी कहा कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी । मान्यवर, 1992-93 में समाजवादी पार्टी के मुखिया [ × × × ] यहां बैठते थे । बाराबंकी में सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर दो यादव बंधुओं की दिन-दहाड़े हत्या हो गई और बाराबंकी के यादवों का विश्वास [ × × × ] पर से उठ गया । यह एक ऐसा कांड था जो उदाहरण के रूप में रखा ।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय टण्डन जी के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि अभी प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा कि 28 तारीख को आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी रैली में लखनऊ आ रहे हैं और उन्होंने उनके बारे में अनेक विभूषण दिए हैं । मान्यवर, माननीय आडवाणी जी भारत सरकार के गृह मंत्री, उप प्रधान मंत्री के रूप में यहां आ रहे हैं तो यह हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह एकता का परिचायक है । यह सरकार गठबन्धन की सरकार है और पूरे 5 साल अपना कार्यकाल बहुमत से पूरा करेगी और सारे लोगों की विकास की नदियां बहायेगी । (सत्ता पक्ष की ओर से मेंजों की थपथपाहट)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रखे गये गृह एवं सामान्य प्रशासन के बजट पर माननीय श्री मोहम्मद आजम खां जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने

---

नोट :–[ × × × ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का अवसर दिया । मान्यवर, बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं कि इसे सुदृढ़ करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं और कौन सी रणनीति बनाई है उसका उल्लेख किया ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में पिछले 4 महीने के अपने कार्यकाल में जो इन्होंने अपराध से संबंधित आंकड़े दिये हैं और इन आंकड़ों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में अपराध घटे हैं । आप प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं आंकड़े या तो बढ़ते जाते हैं या घटते हैं लेकिन प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, लोगों को परिणाम का एहसास हो कि लोग सुरक्षित हैं और उस परिणाम से जनता संतुष्ट हो तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती । मान्यवर, जब समाज है तो समाज में अपराध निश्चित होगे । मान्यवर, आदिकाल से अपराध होते रहे हैं लेकिन अपराध रोकने के लिए सरकार इन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करे उनके हौसले बुलन्द न हों और उन्हें यह रहे कि अपराध करेंगे तो पुलिस और सरकार की कार्यवाही से बच नहीं सकते हैं । इस तरह की परिस्थिति पैदा होने की जरूरत है ।

मान्यवर, इसी सदन में जब प्रदेश में अपराधों के सुधार और अपराधों के बारे में कुछ बातों का उल्लेख हुआ था कि पिछली सरकारों में भी इस तरह की चीजें हुई थीं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यहां प्रश्न उठता था कि उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों में आई०एस०आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं । सरकार यह समझती थी कि अगर हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो यह सरकार की विफलता होगी । सरकार ने अभी यह स्वीकार भी किया है कि 27 जिलों में आई०एस०आई० की गतिविधियां हुई हैं । कदाचित यह अन्य जनपदों में बढ़ी होंगी । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार हो सीमाओं से पार जब कुछ अपराधियों के दायरे बढ़ेंगे तो वह केवल चुनौती प्रदेश सरकार के लिए नहीं होगी बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए होगी । अपने उत्तर भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर इस बात का उत्तर देंगी । मान्यवर, प्रदेश में जिस तरह से आई०एस०आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं । आई०एस०आई० की गतिविधियां परिवर्तित हो रही हैं । आज से कुछ वर्षों पूर्व एक दो जाली नोट कहीं दिखते थे आज अगर किसी दुकानदार को कोई पैसा देता है तो दो हजार, तीन हजार, चार हजार, तो एक मुस्कराकर कहते हैं कि एक नोट यह जाली है । हमारे प्रदेश में आज एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने का प्रयास हो रहा है । इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे । मान्यवर, आप कहेंगी कि हम अपराध रोक दिये । मान्यवर, इतनी हत्या बढ़ गयी, बलात्कार की घटना इतनी हो गयी, तो अपराध बढ़ता गया लेकिन इन अपराधों से भी बहुत ज्यादा गंभीर खतरा आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से जाली नोटों का प्रचलन हो रहा है । आज बैंक गड्डियों में जाली नोट आते हैं छोटी-छोटी जगहों में 500 रुपये का नोट लोग नहीं लेते हैं क्योंकि लोगों के मन में असुरक्षा की एक व्यवस्था पैदा हो गयी है । सबसे पहले इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

आज पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है । समानान्तर काली अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर एक चिन्ता का विषय है । आज से दो-चार साल पहले अपराधी पकड़े जाते थे अच्छे से अच्छा अपराधी पकड़ा जाता था तो उसके पास कन्ट्रीमेड पिस्तौल मिलता था, जिसे कट्टा कहा जाता है । लेकिन आज जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके पास ए के–47, ए के–56 मिलती है आज इतने खतरनाक असलहे लोगों के पास उपलब्ध है आज पुलिस के लोग सिपाही अपने को असुरक्षित पाते हैं और असहाय महसूस करते हैं और वह कहते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छे हथियार तो इन अपराधियों के पास हैं । आखिर इन अपराधियों को कैसे हिम्मत हो गयी कि वह प्रदेश की राजधानी में अपराध कर रहे हैं । डकैती होती है,

अपहरण करते हैं और प्रदेश की राजधानी की कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हुए चले जाते हैं। आज प्रदेश में हथियारों का जखीरा चला आ रहा है। चाहे वह नैपाल की सीमाओं से आ रहा है चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो। सैकड़ों मील की सीमा उ० प्र० की नैपाल को जोड़ती है उसे रोकने में हम विफल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ी खेप पकड़ी गयी हो। आज इस तरह से जो अवैध हथियार आ रहे हैं वह चिन्ता का विषय है। आज जिस तरह से कानून की स्थिति है वह चिन्ता का विषय है।

चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है अन्याय मुक्त, भयमुक्त का नारा दिया उन्होंने कहा अपराधमुक्त बनाना है लेकिन निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी चाहे लखनऊ हो, चाहे अन्य कोई जगह हो सब जगह कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आपने कहा कि अपराधमुक्त बनाना है तो स्थानान्तरण कर दिये लखनऊ में बड़े पैमाने में स्थानान्तरण कर दिये उसके बाद अपराध रुका। लखनऊ बार के पूर्व अध्यक्ष, छात्रसंघ के अध्यक्ष इन्द्रदेव सिंह की हत्या हुई हाईकोर्ट के समीप बेगम हजरत महल के पार्क के सामने जो प्रदेश की राजधानी के हृदय में है उस घटना ने सबको एक बार फिर सोचने के लिये मजबूर कर दिया है। स्थानान्तरण किये जायें लेकिन अपराध नहीं रुक रहे हैं तो आज उन अपराधियों को सजा देने से काम नहीं चलेगा उन अपराधियों के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी मानसिकता है उस पर चोट पहुंचाने की जरूरत है। यह समय की आवश्यकता है। मान्यवर, पूरा मुम्बई अगर अण्डरवर्ल्ड के खतरों से जूझ रहा था लेकिन आज वहां सुरक्षा की भावना पैदा हो गई वहां पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था की गई।

देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। आज उत्तर प्रदेश के जिलों में भी आप देखते हैं उनके ऊपर कितना बढ़ता हुआ बोझ है। लखनऊ-कानपुर दो शहरों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था शुरू करें, उसको मजिस्ट्रेटी पावर भी दें। जब देश की राजधानी दिल्ली में हो सकता है, बम्बई में हो सकता है, दक्षिण भारत में हो सकता है तो आप यहां पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लखनऊ और कानपुर में क्यों नहीं कर सकती है। अगर यहां यह सफल होते हैं तो अन्य शहरों में भी करें। जहां एक तरफ पुलिस की आलोचना करते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों की संख्या बढ़ रही है वहीं आपको उन पुलिस के लोगों की तरफ भी देखना पड़ेगा। वह समाज के दूसरे वर्गों के कार्यों को और वेतन को देखते हैं और उनके साथ अपनी सुविधाओं को देखते हैं तो वह परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहती हैं। जब उनकी मानसिकता नहीं अच्छी होगी तब वह क्या कर पायेंगे।

पांचवे वेतन आयोग ने उनको 3050-4050 का वेतन देने की संस्तुति की है। जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है आपको उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे और डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कि राजा नहीं राज करता है उसका इकबाल राज करता है। प्रदेश के गरीब, प्रदेश के अल्पसंख्यक, प्रदेश के कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर कार्य करें। लखीमपुर में एक दलित रिपोर्ट लिखवाने गया उसकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उसी को जेल भेज दिया गया। मार्च, 2001-2002 में 1748 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं जबकि दिल्ली में यह संख्या–740 है। डेवलपमेन्ट स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 42 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार होते हैं। मैं सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि सरकार को सुझाव दे रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती पर बल देता हूं।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री कौकब हमीद)–

मान्यवर, यह जरूरी है कि यह सदन जिसने गृह विभाग की चर्चा पर बड़े-बड़े भाषण सुने हैं वह हकीकत से भी आगाह हो जाय । उसे यह भी मालूम हो जाये कि सिर्फ तकरीर देने से, भाषण देने से अगर मसले हल हो जाते तो अब तक सारे मसले हल हो गये होते । मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं । 1993 में जो सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश की आबादी 12 करोड़ की थी आज साढ़े 16 करोड़ है और उसके बीच का जो अन्तर है उसका अंदाजा आपको अभी हो जायेगा । आंकड़ों से यह पता चल जावेगा कि जो इस बात का दावा करते हैं और कहते हैं कि रहबरी का सवाल है उनके जमाने में क्या व्यवस्था थी और आज क्या है । डकैती के मामले 1993 में 1383 थे और 2002 में 632 हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, कौकब साहब की बात हम लोग शान्तिपूर्वक सुनना चाहते हैं, अच्छी जानकारी देंगे लेकिन यह तो 4 महीने की सरकार है, साल भर के आकड़े से क्या फायदा । 4-4 महीने के आकड़े बतावे तो तुलनात्मक बात होगी ।

श्री कौकब हमीद–

यह आपकी व्यवस्था ठीक है । सन् 2001-2002 पूरे साल के बता रहा हूं । मैं यह बताना चाह रहा हूं कि 1993 के अन्दर ऐसा हाल नहीं था कि सब लोग खुले दरवाजे सो रहे थे, मौज आ रही थी । मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं कि उस समय 12 करोड़ जनता थी और आज 9 साल के अन्तर में साढ़े 16 करोड़ हैं, उसके आकड़े दे रहा हूं ।

(विपक्ष द्वारा टोकाटाकी करने पर–व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये । 1993 में लूट हुई 5248 और हत्या हुई 8581 और सन् 2001-2002 में हत्या हुई 3133 । यह तो वह आकड़े बता रहा हूं जो इस जनता को जानने जरूरी थे । आपने जो बहुत अच्छा भाषण देकर माहौल बनाया है, उससे कुछ हल नहीं हुआ है । बड़ी तड़प थी, परेशानी थी कि ताजमहल जो बना रहा है, उसके बच्चों का क्या हुआ, जो मेरठ में कैंची बना रहा है, उसके परिवार का क्या हुआ, जो मुरादाबाद में बर्तन बना रहा है, उसका क्या हुआ, जो और जगह और कार्य करने वाले हैं, बुनकर हैं, उनका क्या हुआ ? यह लोग तो तब भी ताजमहल बना रहे थे और आज भी बना रहे हैं । आपने अक्लियतों की बात किया है, सहारनपुर की धरती पर 1200 की सूची बदलकर, दो सूची फाड़कर एक मुसलमान का नाम भी नहीं था उसमें । और जानने के लिये यह बता दूं कि 3000 आदमी मुसलमान व्यक्ति वहां आया था, अपनी जांच कराने, भर्ती कराने, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि उनका कद जो 6-6 फीट था, कैसे आपका फीता 5 फीट का रह गया । जो उनके सीने 40-42 के थे, वह छातियां 34–36 की कैसे रह गई, इसको समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा । आपने कहा कि 14 आदमी, 15 आदमी सरकार बचाये हुये हैं । यह भी आप जान लो कि परचम तुम्हारे हाथ में देने का कोई इरादा नहीं है । बहुत परेशान थे आप ।

(विपक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

अरे आप सुनो तो । मान्यवर, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, यह बहुत परेशान हैं मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूं कि 145 आने के बावजूद आप नियम–56 उठा रहे हो और हम सत्ता चला रहे हैं, हम इसके कसूरवार नहीं है । अगर आपका सहयोग आपके भाई लोग न देने को तैयार हो, आपके

साथ कोई सरकार बनाने को तैयार न हो तो फिर आप नियम–56 ही उठायेंगे । मान्यवर, इनकी एक परेशानी यह भी है कि यह बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं अकलियतों के, और बड़ी बात करते हैं कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तब आपके साथ आप लोगों ने क्या किया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ? आपने यह किया कि जिसने सीना ठोंक कर कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल था इसी तेरहवीं विधान सभा में उसने अपनी छाती ठोंककर कहा उसके साथ आपने चुनाव लड़ने का काम किया । जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनके लिए कभी कुछ किया ? पहले तो यह जवाब दें कि बाबरी मस्जिद के अलमबरदार हम हैं या आप ? आप हैं इसके लम्बरदार । यह पीड़ा तो आपको ही सहन करनी पड़ेगी । आप इस तरह से आग न लगावे और इस सरकार को चलने दो मैं इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद काण्ड हो रहा था तब उन्हें मुसलमान क्यों नहीं नजर आये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गृह तथा समान्य प्रशासन के बजट पर हमको अपने विचार रखने का मौका दिया है । श्रीमन्, मैंने कल नेता सदन का भी भाषण सुना और नेता प्रतिपक्ष का भी सुना जो हमारे पुराने मित्र रहे हैं और योग्य श्री हुकुम सिंह जी उनका भी भाषण हमने सुना । और अब कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, सामान्य प्रशासन बढ़िया काम कर रही है लेकिन यह कहां तक शिकायत की जाये कि कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है, सामान्य प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है । इन आरोपों और प्रत्यारोपों से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला । आज इतने दिन हिन्दुस्तान को आजाद हुए हो गये एक नीति नहीं दे सके । यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि पुरानी सरकार ने गलत काम किया है तो क्या आप की भी सरकार गलत काम करेगी ? पुरानी सरकार ने सरकारी कोष के पैसे का गबन किया है तो क्या आपकी भी सरकार सरकारी कोष के पैसे का गबन करेगी ? आपने क्या किया, हमने क्या किया बस इसी पर समय नष्ट हो रहा है । यह विधान सभा यह नहीं देना चाह रही है कि इस प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए कानून-व्यवस्था कैसे ठीक करेगी ?

माननीय नेता प्रतिपक्ष कानून-व्यवस्था की धज्जियां इस विधान सभा के द्वारा उड़ाने की बात कर रहे हैं । कौन नहीं जानता है कि लखनऊ राजधानी से लेकर के प्रत्येक जनपदों में गुण्डों का आतंक बढ़ा है । वह हत्या करके चला जाता है, लूट करके चला जाता है, डकैती करके चला जाता है, रोड-होल्डर करके चला जाता है और हम यहां आरोप-प्रत्यारोप लगाकर के अपने कर्तव्यों की, अपने जिम्मेदारियों की इतिश्री कर देते हैं । चाहे मंत्री के माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री के माध्यम से अगर को सदन में सत्ता पक्ष का या विपक्ष का सदस्य किसी गम्भीर मसले को उठाता है तो सरकार उससे सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी का बचाव करती है । लेकिन कभी इस तरह का दबाव नहीं हुआ लेकिन अगर कानून-व्यवस्था को ठीक करना है तो मेरा एक निवेदन है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर एक बार इस सदन में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, विकास करने के लिए बैठ के समस्या हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते ? आंकड़े कम ज्यादा दिखा देंगे, कटिंग हैं, पुस्तकालय हैं, नेता सदन को मिलेगा, हमें भी मिल जायेगा । एक उदाहरण देना चाहूंगा हुकुम सिंह जी एक योग्य और पुराने मंत्री हैं । थाने में जैसे थानेदार होता है उसमें परमानेन्ट गवाह होते हैं, थानेदार चला जाता है लेकिन गवाह वहीं रहते हैं । पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह जी सरकार के परमानेन्ट गवाह बने रहते हैं, इस गवाह बनने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बात सही है लेकिन कुछ खास मुखबिर भी होते हैं जो वहीं बने रहते हैं, आप भी वही हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय मा० नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बलिया स्टेशन पर सरेआम एक इंजीनियर की हत्या हुई जब पुलिस वालों ने अपने जान की बाजी लगाकर अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़े तो उस अपराधी ने 3 सिपाहियों को मार कर के घायल कर दिया उसमें से एक मर गया, दो अस्पताल में हैं, एक दरोगा भी घायल हुआ है । वहां की पुलिस उस विभाग के इंजीनियरों के घरों में दबिश डाल रही है जो उनको स्टेशन पर पहुंचाने आये थे । हजारों लोग देख रहे हैं कि इंजीरियर को मारने के बाद कैसे वह भाग गया फिर भी उसकी गिरफ्तारी न करके, विभाग के अधिकारियों को प्रताड़ित करना कौन सा नियम और कानून है । इसलिए मैं मा० नेता सदन से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, प्रदेश का राजनैतिक वातावरण ठीक हो, तो कृपया आप नेता प्रतिपक्ष को, सभी दल के नेताओं को, विधान सभा अध्यक्ष को, अधिष्ठाता मण्डल के लोगों को तथा इस प्रदेश के बड़े अधिकारियों को बुलाकर विचार विमर्श करिये कि किस तरह से इस प्रदेश का शासन चलाया जाये जिससे इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता जी आपने जो समय दिया है उसके लिए बधाई देता हूं और मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चौपट हो गयी है उसको ठीक करने के लिए सभी दल के नेताओं के साथ बैठकर रास्ता निकाले । धन्यवाद ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मा० अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर मा० नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । श्रीमन् कल मा० नेता सदन सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर अपना भाषण करते समय इस प्रदेश के विकास और कानून-व्यवस्था पर बल देने का काम किया । श्रीमन् मैंने मा० नेता सदन के विचारों को बहुत ध्यान से से सुनने का काम किया लेकिन अन्त में निष्कर्ष यह निकला कि उनका भाषण भाषण में ही केन्द्रित रहा । प्रदेश की जनता के विकास के लिए और कानून व्यवस्था के लिए कोई सार्थक बात नहीं कही गयी । यह बात जरूर सामने आयी और आंकड़ों के द्वारा इस बात को साबित करने का प्रयास किया गया कि कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है डिस्टिंगशन के रूप में सुधार हुआ है । जब कि गांवों में, कस्बों में हम लोग देखते हैं सुधार आना तो दूर रहा बल्कि गिरावट आयी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आजादी के 55 साल में जितनी कानून व्यवस्था नहीं खराब हुयी थी उतनी बहन जी के 4 महीने के शासन काल में हुयी है । 4 महीने हो गये है इस वित्तीय वर्ष के और 5वां महीना बीतने जा रहा है । मा० सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, किसी के क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुयी है, तो सिर्फ कल्पना करने से विकास नहीं हो सकता है । कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जो हालत है उसको मा० नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं ने बताने का काम किया है । नियम–311 और 56 के अन्तर्गत अनेक मामले आये हैं । इस सत्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में यह विशेष बात रही कि बहुत से मामले जिनको हम लोगों ने यहां पर रखा उनको सत्ता पक्ष के लोगों ने उसे स्वीकार किया है । जनपद फैजाबाद के बारे में नेता सदन के समक्ष मैं बताना चाहता हूं कि पिछले एक महीने में फैजाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गयी है ।

फैजाबाद जनपद जहां पर डा० राम मनोहर लोहिया पैदा हुये थे, जहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी जैसी मनीषी पैदा हुआ है और राम राज्य की कल्पना जहां पर की गयी है कि राम राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा लेकिन आज पूरे जनपद के सबके सब लोग दुखी हैं । 2 सितम्बर को, फैजाबाद में नाका मुजफ्फरा है, शहर में है, वहां अयोध्या प्रसाद यादव जिनकी उम्र 40 साल की थी और उनके सहयोगी ओम प्रकाश जायसवाल, जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहा था उसको देखने गये थे इंजीनियरिंग कालेज में डेढ़ बजे दिन में दो लोग आये और भयमुक्त होकर अयोध्या प्रसाद यादव एवं श्री जायसवाल की कनपटी एवं सीने पर तब तक गोलियां मारते रहे जब तक उनको यह एहसास नहीं हो गया कि वह मर गये हैं । अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गयी ओम प्रकाश जायसवाल की ही मृत्यु लखनऊ ले जाते समय हो गयी । 7/8 अगस्त को वजीरगंज में सरस्वतीपुरम् में रहने वाले, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर कर्मचारी थे और उनके साथ 2 साल की बच्ची तथा 12 साल का लड़का था उनके परिवार के 6 सदस्यों को मार दिया गया । 2 साल की लड़की की बोटी-बोटी काट कर बाथरूम में डालने का काम किया गया । नेता प्रतिपक्ष जी वहां पर गये थे उन्होंने जाकर वहां देखा था, उनके सामने हजारों-हजार महिलाओं ने अपनी बात कही थी मैं बधाई देता कि यदि आपका कोई अदना सा मंत्री वहां देखने जाने का काम करता । मान्यवर, यह बहुत दर्दनाक घटना है आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । यह कहा गया है कि इसमें बावरिया गिरोह का हाथ है तो क्या सरकार ने बावरिया गिरोह को हत्या करने का लाइसेन्स दे दिया है । 11/12 मई को त्रिभुवन नाम का एक व्यक्ति जो आर०टी०ओ० का सिपाही था उसके घर में डकैती होती है और उसके परिवार के छ-छ लोगों की बोटी-बोटी काट दी जाती है । मरने वालों के एक कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़की प्रीति और एक 15 साल का लड़का भी था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

तीन लड़कियां, महिलाओं और पुरूषों की हत्या की जाती है । हौसला नगर जहां पर एक परिवार के लोगों को काट दिया जाता है आज तक कोई कार्यवाही नहीं होती है । मेरे मुहल्ला शाहगंज में बबलू यादव जो समाज वादी पार्टी का कार्यकर्ता था बढ़-चढ़ कर हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता था । जनता की सेवा करता था । उसके ऊपर दुःसाहसिक तरीके से गोली चलाई जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में दक्खिन पारा गांव है वह रोनाही थाने के अन्तर्गत आता है वहां चार-चार बच्चों की हत्या कर दी जाती है । एक साल का, दो साल का, चार साल का छह साल के ये बच्चे थे । उनकी लाश मिलती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[ × × ×]

श्री अधिष्ठाता–

लिखा नहीं जाएगा ।

* श्री महेन्द्र सिंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने गृह विभाग पुलिस के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । पुलिस में मैंने 25 साल की सेवा की है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग के बजट को प्रस्तुत करते समय कानून व्यवस्था को विकास से जोड़ा । पहली बार कानून व्यवस्था को विकास का आधार माना गया है । पुलिस के बिना न तो सरकार का काम चलता है न ही समाज का काम चलता है । यह दूसरी बात है कि पुलिस की आलोचना भी की जाती है । जो भी सरकार सत्ता में होती है प्रतिपक्ष उसकी आलोचना करता है । आंकड़ों को गलत बताता है । कानून व्यवस्था को खराब बताता है । कभी-कभी अगर सच बोल दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है । कत्ल ऐसा जुर्म है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है ।

पिछले चार महीने में कत्लों के आंकड़े भी बताते हैं कि अपराध कम हुए हैं । तो मान लीजिए कि अपराध कम हुए हैं । पिछले तीन चार महीने में पुलिस विभाग में जो चुस्ती आई है मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं उनके नाम से लोगों के शरीर में बिजली दौड़ जाती है । चुस्ती आ चुकी है । दुरुस्ती भी आ जाएगी । दुरुस्ती लाने के लिए बजट में सभी प्राविधान किए गए हैं । जिनकी आवश्यकता है । बजट में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । सभी साधन जुटाने का प्राविधान किया गया है । मैं समझता हूं कि वह कम है इसके बजाय 26 प्रतिशत की वृद्धि की जाए । पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस को साज-सज्जा नक्सलवाद, आई०एस०आई० वालों, साम्प्रदायिक तत्वों, वांछित अपराधियों, माफियाओं से डील के लिए साज-सज्जा की आवश्यकता है । मुख्य मंत्री जी ने एक महत्वपुर्ण बात कही है एफ०आई०आर० तुरन्त थानों पर लिखी जाएं । ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं । पुलिस की सबसे बड़ी कमी रही है कि एफ० आई० आर० थाने में तुरन्त नहीं लिखी जाती । सबको अनुभव है । जब मैं पुलिस अधिकारी था तब भी ऐसा होता था । मैं नहीं कह रहा कि आज हो रहा है । एस०ओ० साहब जब आ जायेंगे तब लिखी जायेगी इसकी नहीं लिखी जायेगी उसकी नहीं लिखी जायेगी । लूट हुई है तो उसको मार-पीट में दिखा दो तब लिखी जायेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपने पुलिस अधिकारियों को आदेश दें कि एफ०आई०आर० लिखने में कोई कोताही न की जाय । आंकड़े चाहें कहीं चले जायें लेकिन पुलिस के प्रति जो जनता में भावना है वह जरूर महत्वपूर्ण है । नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य नेताओं ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब है । इतने बड़े प्रदेश में कभी भी कत्ल, डकैती, अपहरण की कोई घटनाएं हो सकती हैं । मैं एक और बात कहना चाहूंगी, पुलिस व्यवस्था के बारे में ।

आज भी एस०एस०पी० के नीचे 5-6 एस०पी० हैं । पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जानी चाहिए । किन्हीं कारणों से उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इसको लागू किया जाना चाहिए ।

---

नोट :–[ x x x ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुलिस के कर्मचारियों की तनख्वाह चपरासियों से कम है । शिक्षकों को पंचम वेतनमान मिल गया है पुलिस वाले भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए । एक बात और कहूंगा । दो साल से हमारे गनर्स को टी०ए०, डी०ए० नहीं मिल रहा है । यहां पर यह कहा गया है कि यादव जाति के अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है । मैं यादव जाति का अधिकारी रहा और बताना चाहता हूं । एक किस्से, दो किस्से जानता हूं । डी०आई०ओ०एस० को डी० एम० ने हटाया लेकिन बिना किसी बात के नहीं । एक डी०आई०जी० का तबादला किया गया । उनको तैनात इन्हीं की सरकार ने किया था । जातीय भावना फैलाकर समाज का हित नहीं होगा । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तीन बिन्दुओं पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । नेता सदन ने जब अपना भाषण पढ़ा था तो दो विषय दिए थे, पहला था विकास का और दूसरे नम्बर पर कानून व्यवस्था थी । मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहता मेरी जिज्ञासा है और मेरे कुछ सवाल हैं, आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उनको नोट करती जायेंगी और जब उत्तर देने के लिए खड़ी होंगी तो उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगी, यही मेरी अपेक्षा है । इसलिए मैं भाषण के रूप में नहीं, केवल सवालों के रूप में पहला बिन्दु जो विकास का रखा था उसके बारे में करना चाहता हूं । मेरे जमाने में वार्षिक योजना 11 हजार 400 करोड़ रुपये की थी । मेरे बाद राम प्रकाश जी के समय में 9 हजार करोड़ की ही रह गई । उसके बाद में राजनाथ सिंह जी आये तो वह घटकर 8 हजार करोड़ की रह गई और आज सरकार जो योजना आयोग से वार्षिक योजना को स्वीकार करवा पाये हैं सही पक्ष नहीं रख सके । अतः घटकर 7 हजार करोड़ के आसपास रह गयी है । कहां 11 हजार 400 करोड़ और कहां यह सात हजार करोड़ रुपये । मेरा यह प्रश्न है कि लगातार योजना का वार्षिक आकार घटता जा रहा है, तो विकास की गति कैसे बढ़ेगी ? सवाल नम्बर 2 यह है कि जब राजस्व में वृद्धि हो रही है, इसी के साथ-साथ आयोजनेतर व्यय होता है उसमें भी वृद्धि हो रही है और तब विकास से सम्बन्धित व्यय होता है आयोजनागत-व्यय, उसमें कमी हो रही है । विकास की गति कैसे तेज होगी ? आयोजनेत्तर व्यय में कमी होनी चाहिए । राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए । आयोजनागत व्यय में वृद्धि होनी चाहिए । जिनमें कमी होनी चाहिये थी उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है और जिसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये उसमें कमी हो रही है तो इस सवाल के बारे में मैं जानना चाहूंगा । ऐसी स्थिति में इस प्रदेश का विकास कैसे होगा वित्तीय संसाधन जुटाने की किसी प्रक्रिया का कोई संकेत नहीं है । कहते हैं कि खर्चे में कटौती होगी । हम जानते हैं कितनी कटौती होगी, सब भाषण की बात है । खर्चे में कितनी कटौती करेंगे 10-20-50 करोड़, कितनी खर्चे में कटौती करेंगे । इस प्रदेश का विकास कैसे करेंगे ।

मान्यवर, हम सब जानते हैं प्रदेश का विकास कब तक हो नहीं सकता है जब तक प्रदेश का व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण न हो । अगर खेती पर सोचते हैं कि विकास हो जाएगा तो भ्रम है खेती पर पहले से प्रति एकड़ बहुत अधिक भार है और इस तरीके से गरीबी बढ़ेगी । औद्योगीकरण के लिये आपने क्या उपाय किये हैं । जो निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश होता है यह निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश कितना है, किससे बातचीत हुई है, कब तक होगा । पूंजी निवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश में अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं होता जब तक अवस्थापना सुविधा न मिले, कानून व्यवस्था चुस्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दुरुस्त न हो । बिजली की व्यवस्था उचित न हो । यहां पर अपना उद्योग चलाने के लिये भरपूर बिजली न मिले, कानून का सरलीकरण, यह चीजें महत्वपूर्ण है । कोई भी उद्योग लगाने के लिये अवस्थापना सुविधा क्या हों उसको वह देखेगा, कोई उद्योग लगायेगा तो यह देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कार में डालकर ले जाएगा और पांच-छः लाख या 50 लाख रु० की फिरौती लेगा । जैसी आर्थिक स्थिति का व्यक्ति होगा उसका अपहरण होगा और अपहरण जैसे एक बड़ा उद्योग बन गया है और जब तक पद होगा तब तक यहां उद्योग लगाने के लिये कोई नहीं आएगा । बिजली है नहीं । तीन चीजों के अभाव में एक तो अवस्थापना सुविधा, दूसरा चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और तीसरे बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के उत्तर प्रदेश के विकास की गति कैसे बढ़ेगी । आप बेरोजगार को रोजगार कैसे देंगे । गरीबी हटाने के नारे से कभी गरीबी नहीं हट सकती है हटती तो वह चीज है जो होती है अब मेरे हाथ में यह कागज है आप कहें कागज हटा दो यह लीजिये मैंने हटा दिया । अब आप कहेंगे कागज हटा दो तो मैं क्या हटाऊंगा मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इसी तरह गरीबी अपने में कुछ नहीं है । गरीबी नतीजा है बेरोजगारी का उसको हटायें । जिसके हाथ में काम आ जाएगा उसके हाथ में दाम आ जायेगा, जिसके हाथ में दाम उसके घर में खुशहाली, जिसके हाथ खाली, उसकी जेब खाली और उसके घर कंगाली आ जाएगी । दूसरा प्रश्न कानून व्यवस्था का है ।

**अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव**

संसदीय, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे सदन का समय और बढ़ा दिया जाए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

डेढ़ घंटे का कम से कम बढ़ाया जाए । डेढ़ घंटे सदन व्यवस्थित नहीं था तो इसको कम से कम डेढ़ घंटे बढ़ायें ।

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)**

श्री कल्याण सिंह–

दूसरा बिन्दु उठाया था मुख्य मंत्री ने कानून व्यवस्था का दुरुस्त करना और उसमें विशेष बल दे रही हैं । मेरी मान्यता यह है कि यह जो अपराध हैं यह कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे मान्यवर, जब से सृष्टि की रचना रही होगी तब से छोटे मोटे अपराध रहें होंगे और प्रलय आने तक जारी रहेंगे अपराध कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे । आंकड़ों के माया जाल में पड़कर कानून व्यवस्था सतही समीक्षा की जाती रहती है कि कानून व्यवस्था ठीक हो गयी । ऐसी समीक्षा मान लिया जाता है । उचित नहीं है । मेरी मान्यता तो यह है कि कानून-व्यवस्था के बारे में आम जनता की अवधारणा क्या है ? वह अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं । सिनेमा के आखिरी शो में जब महिला गहने पहनकर

जाये तो यह अवधारणा पैदा हो रही है कि नहीं वह घर सुरक्षित पहुंच जायेगी रात के अंधेरे में किसान अपने ट्यूबवेल की मोटर को वहीं खेतों में छोड़कर घर सोने के लिये चला जाय यह अवधारणा बन रही है कि नहीं कि वह और मोटर सुरक्षित रहेगा जब तक यह नहीं होगा कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अवधारणा क्या है ? अपराधी कांप रहा है कि नहीं, माफिया कांप रहा है कि नहीं, जो जनता की अवधारणा है वह अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं। यह कह देना कि हमारे जमाने में अपराध कम हुआ तो हुए होंगे। लेकिन आपको यह देखना है कि पब्लिक का परसेप्शन क्या कहता है।

मान्यवर, हमने योजना बनायी थी कि टाप–10 के अपराधी और थाने में टाप–5 की सूची बनाकर कार्यवाही की जाय। यह योजना थी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जब अपना उत्तर भाषण दें तो यह बतायें कि टाप–10 और टाप–5 की योजना का क्या हुआ। श्रीमन् मैं सच कहता हूं कि कल से मेरे मन में यह नहीं था कि मैं इस पर कुछ बोलूं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कौकब हमीद साहब को अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठकर मैं सबका भाषण सुन रहा था। कौकब साहब का भी भाषण सुना। उनका भाषण सुनकर मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे सदन में जाना चाहिये। दो बिन्दु माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहे। एक तो विकास का और दूसरा कानून व्यवस्था का। कौकब जी ने उठाया अयोध्या का मामला। 6 दिसम्बर, 1992 का। हम मुख्य मंत्री थे यह ठीक है। हम लखनऊ में थे। अयोध्या में फैजाबाद में बड़े–बड़े नेता थे। भा०ज०पा०, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल, आर० एस० एस० के बड़े-बड़े नेता थे। मैं आज इस सदन में एक रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूं कि इन सबने मुझे अंधेरे में रखा था जिससे वहां पर घटना हो गयी।

(सत्ता पक्ष की तरफ से शोर)

पहले मुझे सुन लीजिये। अभी मैं एक और बात कहने जा रहा हूं। जांच सी० बी० आई० को सौंपी गयी। सी० बी० आई० ने रिपोर्ट दर्ज करायी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस आया। उसने निर्णय में यह कहा कि एक तो रिपोर्ट लिखी है जिसका केस चल सकता है। दूसरे वाली रिपोर्ट के बारे में जो नोटीफिकेशन का था वह त्रुटिपूर्ण है इसके लिये केस नहीं चल सकता है। उसमें माननीय अडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री अशोक सिंह मौजूद हैं और 20-21 जो भी नाम हैं उनमें मेरा भी एक नाम है। जो दूसरा नोटीफिकेशन था उसे त्रुटिपूर्ण मानकर अदालत ने कह दिया कि जब तक मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक केस नहीं चलाया जा सकता। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि अगर इसमें हिम्मत हो और डर न लगता हो तो कानून की हिफाजत की परम्परा को कायम रखते हुए मुख्य मंत्री जी आज यह घोषणा कर दें कि जो हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि गलत नोटीफिकेशन हुआ है तो उसमें सही नोटीफिकेशन जारी किया जायेगा। मान्यवर, मैं अपने आपको बचाना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये जिससे शोर का वातावरण बन गया)

श्री अधिष्ठाता–

आज सदन का अंतिम दिन है इसलिये कम से कम विधान सभा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कृपया शान्ति बनाये रखें इधर के सदस्य बोल रहे हों तो उधर के सदस्य सुनें और उधर के बोल रहे हों तो इधर के सदस्य सुनें।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी ने बड़े गैर जिम्मेदारी से अपना बयान दिया है । वे इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, जहां तक 6 दिसम्बर की घटना का प्रश्न है उस समय हम मुख्य मंत्री थे यह भी सच है । मैं नाम नहीं लेना चाहता इस समय उसमें एक की मृत्यु हो गयी है और एक संसद में बैठे हुए हैं उनकी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है । उनकी चिट्ठी पर विश्वास करके मैंने सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेण्ट कर दिया था लेकिन वह कमिटमेण्ट पूरा नहीं हो पाया और अयोध्या में इन लोगों ने मिलकर वह घटना घटित कर दी । मुख्य मंत्री होने के नाते मैंने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मैंने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ कन्टेम्पट का केस चला उसमें मुझे एक दिन की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना हुआ वह मेरी क्षेत्र की जनता ने एक-एक रुपये कर के दे दिया । मैं तकनीकी तौर पर अगर निर्दोष हो जाता हूं तो मैं इसे उचित नहीं मानता हूं बल्कि मैं अपने आपको अदालत जाकर निर्दोष साबित करना चाहता हूं । मुख्य मंत्री जी में हिम्मत हो तो कानून की रक्षा के लिये एक फ्रेश नोटिस जारी करें ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, ने जो गृह विभाग का बजट पेश किया है उसके समर्थन में आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार 3 तारीख को बनी । मान्यवर, जो नेता हमारे विपक्ष में बैठे हैं, मान्यवर, जब यह अपनी सरकार नहीं बना पाये गठबन्धन की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार मान्यवर, आंकड़े गवाह हैं कि अपराधों में कमी आई है । मान्यवर, मैं उस समय इस विधान सभा का सदस्य था जब 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी । मैं जानता हूं गोण्डा ही नहीं पूरे प्रदेश में उस समय हत्या, लूट, डकैती और क्या-क्या घटनाएं होती थी मैं बता नहीं सकता हूं । मान्यवर, मेरे जनपद गोण्डा में ही आज समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय बना है उस जगह पर एक डाक्टर का घर था उस घर को इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया । यह इनकी हरकत थी ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को एक नारा दिया कि हम अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त और विकासयुक्त प्रदेश बनायेंगे । मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग को लाभ देने के लिये नारा दिया और जो दलित ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा था, गांवों में दुरुपयोग हो रहा था उस दुरुपयोग को खत्म करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसके लिये मैं माननीया मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

मान्यवर, हमारे सामने बैठे यही नेता हैं जिन्होंने उस समय भारत माता को [xxx] कहा था कि और लोक सभा के अन्दर कहा था कि पाकिस्तान का एक और विभाजन होना चाहिये, भारत का एक और विभाजन होना चाहिये । लोक सभा में बयान दिया था कि भारत का एक और विभाजन होना चाहिये ।

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

आप असली देशभक्त हैं । जब भी कोई बात होती है आप कहते हैं खाली 14 मुस्लिम विधायक ।

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

[ x x x ]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शुक्ला जी, बैठिये लिखा नहीं जायेगा ।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं बहुत आलोचना प्रत्यालोचना न कर कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है । मान्यवर नेता प्रतिपक्ष ने जो अपराधिक गतिविधियों के बारे में बात की, सदन में चर्चा की मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, एक सुझाव यह है कि पहले हम लोगों को कार्यपूर्ति परफार्मेन्स की किताब मिलती थी उसमें पिछले वर्ष कितने मुकदमें दर्ज हुए कितने चार्जशीट किये और कितनी सजा दी गयी इसकी सूचना सदन को दी जाती थी अब नहीं मिलती । उस पर कानून व्यवस्था में जिस तरह से चर्चा करनी चाहिये वह नहीं कर पाते हैं परिणाम यह है कि मुकदमें लिखे जाते हैं और मुकदमा लिखे जाने के बाद उसमें कितने में सजा हुई ।

मान्यवर, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है उनको कितनी सजा दिलवायी, आपके जो एडवोकेट जनरल हैं, जो आपके डीजीसी हैं उनके भी कार्यकलापों की समीक्षा होनी चाहिये कि वह कितने मुकदमों की पैरवी करके कितने अपराधियों को सजा दिलाये हैं मैं एक तारीफ करना चाहता हूं कल्याण सिंह जी जब यहां मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने समीक्षा कराई थी तो मेरे जिले के चार वकील हटाये गये थे । इसलिये मुकदमा लिखने के बाद निरन्तर समीक्षा होनी चाहिये कि मुकदमें में सजा हुई कि नहीं । आज जितने प्रभावशाली लोग हैं उन पर कोई मुकदमा लिखने को तैयार नहीं होता है । मुकदमा जब लिखा जाता है तब आपका क्राइम बढ़ता है और दरोगा की परेशानी बढ़ती है इसलिये मेरा सुझाव है कि जो हेड कांस्टेबिल हैं, रिपोर्ट लिखने वाला है वह एस०पी० के नियंत्रण में न रहे । वह रिपोर्ट लिखे और दूसरे दिन के लोगों को विवेचना दी जाये तब तो कोई परिणाम निकलेगा । मेरा क्षेत्र वार्डर का है । वार्डर का क्षेत्र होने के नाते

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो वार्डर फोर्स वहां है, यह बार्डर का नियम है कि 10 कि०मी० के अन्दर कोई आदमी सामान लेकर नहीं जा सकता है। मान्यवर, कोई किसान सामान लेकर जाता है तो 3/7 का मुकदमा लिखकर कह देंगे कि विदेश जा रहा है और वह बन्द हो जायेगा। मान्यवर, हमारे यहां बढ़नी बाजार है, पचपेड़वा बाजार है, मान्यवर हमारे यहां बढ़नी बाजार तो 400-500 मी० के अन्दर उसकी सीमा लग जाती है तो जब फोर्स वाले उनको पकड़ लेते हैं तो अवैध धन उगाही करते हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि तमाम फर्जी प्रमाण-पत्र बनाये गये इस कानून का दुरुपयोग कर बड़े लोग चुनाव में आ गये। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ऊंची जाति के एक साहब थे उन्होंने प्रमाण-पत्र पिछड़ी जाति का ले लिया चुनाव लड़े उसकी जांच हुई। कलेक्टर ने नोटिस लेकर जांच कराई हाई कोर्ट में प्रमाण-पत्र खारिज हो गया। मान्यवर, जब इसका मुकदमा लिखाया गया तो दरोगा ने उसमें फाइनल लगा दिया कि यह फर्जी प्रमाण-पत्र नहीं है सही है। जबकि इसमें कलेक्टर, एस० डी० एम० की जांच हुई। मान्यवर, आप दरोगा के ऊपर नियंत्रण रखें। तो इसके लिये नियमों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे अपराधियों को सजा दे सके।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीया मुख्य मंत्री द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ जनपद में जो 93 कि०मी० लम्बा और 49 कि०मी० चौड़ा है उसमें 4 ए०सी०एम० के पद स्वीकृत हैं उनके पास न वाहन हैं न टेलीफोन हैं। कलेक्ट्रेट का भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना जीर्णशीर्ण है। आर० ई० एस० का आगणन 10.00 लाख का है उसकी स्वीकृति और धन चाहिये मान्यवर, हमारा मेरठ शहर एनसीआर रीजन का सबसे बड़ा शहर है। उसकी स्वीकृति का मैं निवेदन करता हूं। कलेक्ट्रट पर 26 लाख रुपया बिजली का बकाया है, बिजली विभाग के लोग वहां बिजली काटने के लिये जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि अनुदान देकर उनको बिजली के संकट से मुक्ति दिलायी जाये। मेरठ में गाड़ियों की बहुत आवश्यकता है। 7 लाख बीस हजार रुपये की दो कंडम गाड़ियां हैं। वहां पर गाड़ियों की व्यवस्था ठीक करने के उपाय किये जायें। थाना रोहटा तथा पल्लव पुरम्, वैली बाजार चौकी, गंगा नगर, हीरा खेड़ा ललियान चौकी की स्वीकृति के लिये जो प्रस्ताव है वह विचाराधीन है। मैं उसकी स्वीकृति के लिये निवेदन करता हूं। वहां पर थाना और चौकियों के लिये जो हथियार की आवश्यकता है रायफल–80, रिवाल्वर पिस्टल–81, स्टेन–96, एस० एल० आर०–27, ए० के० 47-27 टाइगन–4 इन्हें शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाये। स्टेट मोबाइल सेट की संख्या वहां 244 है जिनमें से 64 कन्डम हैं। हैल्ड हैन्डसेट 117 है जिनमे से 58 कन्डम हैं। जिनका परिवर्तन आवश्यक है। 6 बोल्ट की 310 बैटरियों की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध कराया जाये। वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का कष्ट करें। पुलिस को पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिये फोर्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। सी० ओ० के 10 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 8 हैं और 2 रिक्त हैं। एस० आई० के 231 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 198 भरे हुए हैं तथा 33 पद रिक्त हैं। हेड कांस्टेबिल के 360 पद हैं जिनमें से 204 भरे हैं तथा 56 पद रिक्त हैं। कांस्टेबिल के 2050 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 2018 भरे हैं तथा 32 पद रिक्त हैं। इनमें से एस० आई० के जो 33 पद रिक्त हैं उनकी संख्या 50 कर दी जाये। हेड कांस्टेबिलों के जो 56 पद रिक्त हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाये तथा कांस्टेबिल के जो 32 रिक्त हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 300 करने की आवश्यकता है। फायर बिग्रेड की जो स्थिति है वह संतोषजनक नहीं है उसे सही किया जाये। पातापुर औद्योगिक संस्थान, भवाना, सरधना में फायर स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव है उसे स्वीकृत किया जाये तथा जो गाडियां लम्बित हैं उन्हें शीघ्र

उपलब्ध कराया जाये । ट्रैफिक पुलिस में 92 कांस्टेबिल, पांच एच०सी०, 2 टी०एस०आई०, तथा एक सी० ओ० का पद रिक्त है इनको शीघ्रता से भरा जाये । इसके अलावा चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल ठीक किये जायें तथा ट्रैफिक पुलिस में 100 सिपाही बढ़ाये जायें । ट्रैफिक सी० ओ० बनाया जाये तथा अतिक्रमण/सामान/ वाहन उठाने हेतु 2 रिकवरी डेन व एक सब इंस्पेक्टर, 2 हैण्ड तथा 4 सिपाही का एक दस्ता गठित किया जाये । जो पुलिस के अधिकारी बहादुरी के साथ दुर्दान्त अपराधियों का काउन्टर करते हैं उनका उत्साहबर्धन नहीं किया जाता है । जब उसके लिये शासन को प्रस्ताव दिया जाता है तो शासन में बैठे हुए बड़े अधिकारी यह समझते हैं कि अगर उसको कुछ दे दिया गया तो वह शायद उनके घर से चला जायेगा । पृथ्वी राज तोमर, राजनाथ सिंह यादव, पंकज वर्मा, संजय तिरोही, ए० के० सिंह, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार, सतीश कुमार, पवन कुमार इन लोगों के मामले दो साल से शासन में लम्बित पड़े हैं उनका अभी तक निस्तारण नहीं हो सका है । एक आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । पुलिस विभाग में प्रत्येक पुलिस के आदमी से 10 रुपये शिक्षा के नाम पर काटा जा रहा है और जो स्कूल है वह पुलिस लाइन से बहुत दूर है । 10 रुपये उनकी तनख्वाह से कटता है लेकिन उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते । मैं एक बात और कहना चाहता हूं जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार का सवाल है, निश्चित तौर पर सुधार हुआ है । प्रशासन में अधिकारी 10 बजे से 12 बजे तक अपनी जगह पर बैठते हैं । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम लाल अकेला–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर, विस्तार से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विचार रखे हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता जी, चूंकि मैं दलित वर्ग का हूं और विशेषकर नेता सदन को बताना चाहता हूं कि नेता सदन का ताल्लुक जिस वर्ग से है, उसी वर्ग से मेरा भी ताल्लुक है । डा० बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर को लेकर यहां बड़ी चर्चा की गई । मैं कहना चाहता हूं कि आज दलितों की असली धरातल की जिन्दगी क्या है, यह नेता सदन को बताना चाहता हूं, उसकी तरफ कभी आपने काश देख लिया होता । करोड़ों दलित परिवार ऐसे हैं, जो सड़कों पर अपनी जिन्दगी गुजारते हैं, कितने दलित ऐसे हैं, जिनके पास तन ढकने का कपड़ा नहीं है, कितने दलित परिवार ऐसे हैं, जिनके पास सिर छुपाने के लिये छत नहीं है, यदि आपने अपने बजट में उनके सिर छुपाने के लिये कोई प्राविधान कर दिया होता तो मैं दलितों के प्रति आपके मन में जो दर्द है, उसको समझ सकता । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन आपने इतनी बार मुख्य मंत्री बनने के बाद भी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण कोटा आज तक पूरा करने का काम नहीं किया । केवल अम्बेदकर उद्यान बना देने से उनका उत्थान होने वाला नहीं है ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बड़े-बड़े काम ठेकेदारी प्रथा से होते हैं और ठेकेदार कौन लोग होते हैं, जो धनवली हैं, बाहुबली हैं लेकिन जो दलित वर्ग का लड़का एम० ए० किया हो, तकनीकी शिक्षा अर्जित किया हो लेकिन उसके पास धन नहीं है, तलवार नहीं है, बन्दूक नहीं है तो वह ठेके का काम नहीं कर सकता । आज उद्योग बन्द हो रहे हैं, सरकारी नौकरी उसे मिलेगी नहीं तो फिर उसका विकास कैसे होगा ? दलित वर्ग के लोगों का विकास कैसे होगा ? मैं नेता सदन आपसे यह भी

कहना चाहता हूं कि [xxx] के लिये एक कैबिनेट मंत्री [xxx] ने उन्हें अपनी किताब में अंग्रेजी का दलाल कहा, इससे करोड़ों-करोड़ दलितों की भावनायें आहत हुयी हैं। मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं कि आपकी वैशाखी पर दिल्ली की सरकार टिकी है, जिसने [xxx] को अंग्रेजों का दलाल कहा है तो अगर आप वास्तव में डा० अम्बेदकर के हिमायती हैं तो अपनी वैशाखी हटा लीजिये, सरकार से और साबित करिये कि हम डा० अम्बेदकर के वास्तविक हिमायती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम लाल अकेला–

मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण मामला है। आपकी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में बैठे हुए एक माननीय मंत्री ने अप्रैल के महीने में, रायबरेली जिले में दलितों ने बाबा साहब की प्रतिमा वहां के कलेक्टर के माध्यम से लगवाई थी, उसको उन मंत्री जी ने हटाने के लिये कहा और कप्तान से भी कहा कि अगर इस प्रतिमा को नहीं हटाया गया तो ठीक नहीं होगा। आप लोग बाबा साहब के नाम पर नारे लगाते हो। आपके दिल्ली के और आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री अम्बेदकर की प्रतिमा को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जब वह प्रतिमा नहीं हटाई गई तो लोग सड़कों पर आ गये। दलित वर्ग के नौजवान बिन्दादीन ने यह प्रतिमा लगाई थी, अब आज उसको दूसरे मामलों में फंसाकर जेल में डालने का काम किया जा रहा है। यह दलितों को इन्साफ देने का काम नहीं है। मैं इन दलित लोगों की व्यथा को एक शेर के माध्यम से रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा–

कोई तन ढकने निकला, तो तन बिकने लगता है,

कोई पेट पालने निकला तो पेट में पलने लगता है,

जिस देश का बचपन ऐसा है, उस देश की जवानी क्या होगी ?

इसी के साथ मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मेरा सौभाग्य है कि इस सदन में लगभग सवा महीने चर्चा में भाग लेने का मौका मिला।

श्री अधिष्ठाता–

आप बजट पर चर्चा कीजिये क्योंकि समय बहुत कम है।

*श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

आज मैं धन्यवाद देता हूं नये विधायकों का जिन्होंने इस सदन की कार्यवाही चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मान्यवर, जहां करोड़ों रुपये रोज खर्च होता है वहां कम्परेटिव स्टेटमेण्ट बनता है कि 1993 में क्या हुआ और आज क्या हुआ ? मान्यवर, 1993 की चर्चा करते हैं लोग हमारी दलित की बेटी हैं बहन मायावती जी, जो मुख्य मंत्री हैं। क्यों बनी हैं, क्यों बनायी है सरकार, क्यों

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जारी है ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इसको देखता रहता है । राखी बंधवाई जाती है, हम भी बंधवाते हैं । हम बहन मायावती जी का सम्मान भी करते हैं । मैं लालजी टण्डन जी को प्रणाम करते हुए अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे दें । ताकि जनता के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की भी रक्षा हो सके ।

मान्यवर, लोगों की आलोचना यह रही है बार-बार कि हमारी सुरक्षा नहीं होती । क्या मान्यवर, कभी विचार किया गया कि एक थाना चलाने के लिए 100 ली० डीजल और पेट्रोल दिया जाता है और फिर हम उनसे आशा करते हैं कि 100 ली० डीजल और पेट्रोल से पूरे थाने को चला लेगा ? थानों में स्टेशनरी नहीं मिलती कोई भी भुक्त–भोगी रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उससे कहा जाता है कि दो गत्ते कागज ले आओ, स्याही ले आओ रिपोर्ट लिखने और अंगूठा लगवाने के लिए कहा । मान्यवर, हम लोग साफ-सुथरा कुर्ता पायजामा पहनते हैं जो धुला भी हो, प्रेस भी हो, जिससे हमारी पहचान बनती है कि हां नेता जी हैं लेकिन मान्यवर, पुलिस वालों को वर्दी का सौ रुपये महीने या सौ रुपये साल में मिलता है । तो वह कैसे अपने आप को मेनटेन करे ? हम घरों में एयर-कंडीशन आराम से सोया करते हैं वहीं हम इनसे ड्यूटी करने की अपेक्षा करते हैं । मान्यवर, मोटर साईकिल एलाऊंस 150 रुपये महीने मिलता है और हम सब–इंस्पेक्टर से उम्मीद करें कि वह पेट्रोलिंग कराये या करे रात और दिन इसकी भी तरफ ध्यान मैं मुख्य मंत्री जी का दिलाना चाहता हूं । वहां कर्मचारियों का अहित होता है । तो निश्चित तौर पर जनता का अहित होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

जो सफाई कर्मचारी बाल्मीकी महिला वहां पर काम करती हैं उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती है इसी तरह होमगार्ड का है । उसकी यह स्थित है कि चौराहे पर खड़ा कर दिया जाता है उसका भी कोई इलाज नहीं होता है । मान्यवर, दिल्ली में जब कोई वी०आई०पी० जाता है तो फोर्स उठा करके उनकी सुरक्षा ड्यूटी में लगा दी जाती है । केवल वी०आई०पी० वहां पर जाते हैं । हम इतने गये गुजरे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए किसी ने बात नहीं उठाई ....

मान्यवर, टेलीफोनों की व्यवस्था नहीं है, क्रिमिनल मोबाइल टेलीफोन लिए घूमते हैं जबकि थानों में इनकी व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में हम उनसे सुरक्षा की अपेक्षा करें तो यह एकतरफा बात होगी, कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा कि हम अपनी बात तो करते रहें लेकिन उनकी बता संज्ञान में न लायें ।

श्री अधिष्ठाता–

गोयल जी समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

उनके साथ अत्याचार होगा तो प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार होगा इसके साथ ही मैं आपका आभार और धन्यवाद देता हूं कि आज सत्र का अंतिम दिन है । हम लोग अपने-अपने घरों को लौटेंगे इन उम्मीदों के साथ कि कोई नया कार्य होगा प्रदेश में जिससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा एक बात और कहना चाहता हूं कि नोएडा के अन्दर चार महीने में एक-एक अधिकारी का 10–10 बार ट्रांसफर

हुए हैं, ये ट्रांसफर उसकी खामियों का अच्छाइयों के चलते नहीं हुए हैं बल्कि बिना कोई मानक तय किये हुए हैं। जबकि होना यह चाहिए कि अधिकारियों की कमियों को दर्शाया जाय, उन्हें पनिश किया जाय इस रूप में तो उनका स्थानान्तरण ठीक है लेकिन बिना वजह ट्रांसफर किये जाने से अधिकारियों का मनोबल गिरता है। आप प्रशासन चलाइए लेकिन अधिकारियों का मनोबल बनाये रखना एक सफल प्रशासक के लिए आवश्यक है इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री किरन पाल कश्यप–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र थाना भवन की ओर ले जाना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना-भवन में 6 तारीख को यूनियन बैंक आफ इण्डिया जो कोतवाली से मात्र 150 मी० की दूरी पर स्थित है, लुट गया। 24 आदमी एक कमरे में बन्द कर दिये गये। 15–20 मिनट बाद पुलिस नहीं पहुंचती तो वे सारे के सारे मर चुके होते। 16 तारीख को एक आदमी 10 लाख रुपये की जमीन बेचकर दिल्ली जा रहा था, थाना खतौली के अन्दर 10 लाख रुपये लूट लिये गये और उसकी हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर जिले में टाउनहाल में दिनदहाड़े 3 लाख रुपया लेकर एक आदमी जा रहा था, 2.30 बजे दिन में लूट लिया गया। उसके बाद 28 अगस्त को शामली से एक व्यापारी चलता है राधेश्याम नाम का लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। 3 सितम्बर को थाना भवन में पोस्ट आफिस दिनदहाड़े लूट लिया जाता है। 40 हजार रुपया नगद, 1 लाख 25 हजार रुपये का इन्दिरा विकास पत्र, 250 रु० का डाक टिकट लूट लिया जाता है। परसों शाम श्री शील सिंह जो गन्ना समिति के चेयरमैन तथा पूर्व प्रधान हैं उनको गोली मार दी गयी वह मरणासन्न की स्थिति में दिल्ली में भर्ती हैं यह आपकी कानून व्यवस्था है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, से कहना चाहूंगा कि एक भी केस का खुलासा नहीं हुआ, अगर एक भी केस वर्क आउट हुआ हो तो हम मानेंगे कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। एक भी थानाध्यक्ष/दरोगा को आपने नहीं हटाया जबकि आप एस०पी० डी० आई०जी० का ट्रासफर कर देते हैं। एस०पी० ने बयान दिया है कि चार थाना मंत्री के हैं कुछ बसपा विधायक के हैं, थाना बांट लिया है तो कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी ? मैं चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर की घटनाओं पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो कानून व्यवस्था हमारे भी हिस्से में आ जायेगी।

**नगर विकास मंत्री के कथन पर आपत्ति**

आवास नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, कवि दिनकर ने एक कविता लिखी है हर युग में एक महाभारत होता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है। वही परिस्थितियां सामने दिखायी दे रही हैं।

मान्यवर, कुंवर साहब बैठे हुये हैं और यहां बहुत पुराने हमारे माननीय सदस्य राम नरेश यादव जी, पूर्व मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। कल्याण सिंह जी चले गये हैं वह भी उसमें ही हैं। मान्यवर, जब भी बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर चर्चा होती है तो आमतौर पर जिस विभाग का बजट होता है उसी के बारे चर्चा होती है । [x x x] चाहे बजट हो चाहे चर्चा हो, कहीं से निकल कर जरूर आ जाती है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जाइये मुझे बोलने दीजिये ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं माननीय नेता विरोधी दल जी की इस बात के लिये जरूर तारीफ करता हूं.....

श्री मोहम्मद आजम खां–

माफ कीजियेगा, चीज नहीं है, बाबरी मस्जिद है ।

श्री लालजी टण्डन–

मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है । आपके लिये होगी, कुछ लोगों के लिये होगी, आम जनता को उससे कुछ मतलब नहीं है ।

(शोर)

श्री वसीम अहमद–

वह चीज़ नही है, बाबरी मस्जिद है । बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद है ।

श्री लालजी टण्डन–

अगर शोर मचाना है तो मचा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जाइये ।

श्री वसीम अहमद–

टण्डन जी को इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[xxx] बाबरी मस्जिद पूरे हिन्दुस्तान के लोगों की आस्था से जुड़ी है ।

(शोर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

अगर कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

---

नोट:– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी टण्डन–

मैंने तो शुरू किया था। नेता प्रतिपक्ष ने ही नहीं श्री कल्याण सिंह जी ने भी इस पर कहा। मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजों का मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं। यह घटनाएं मेरे सामने हुई हैं। अगर कोई उन पर परदा डाले तो यह गलत होगा।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा किसी एक समुदाय के बारे में ऐसी बात कही जाए।

(व्यवधान जारी)

यह सदन हिन्दुस्तान के मुसलमानों का भी है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ तो जायं। कृपया आप सब लोग बैठिये।

(श्री अजीम भाई, श्री वसीम अहमद तथा श्री राम करन आर्य आदि समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी को मंत्रि-मण्डल से बर्खास्त कर दिया जाय। यह कोई चीज नहीं है। टण्डन जी अपने शब्द वापस लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग बैठ जायं। बात सुनने का मौका तो दें।

(सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को 4 बजकर 58 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 58 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 4 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)**

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

पहले 4 बजे विनियोग विधेयक लाने की बात थी एक घण्टा समय बढ़ा दिया गया था आधा घण्टा समय और बढ़ा दिया गया अभी तक आम तौर से यह पद्धति रही है, यह परम्परा रही है कि विनियोग विधेयक के पहले दल के माननीय नेता बोलते हैं और समय को देखते हुए 1-2 प्रमुख लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष के बोलते हैं अभी कांग्रेस दल के नेता का बोलना बाकी है और कुछ माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं । कुछ लोगों को अवसर न मिल पाये यह यथार्थ है । इससे कोई फायदा नहीं है । कांग्रेस दल के नेता को बोलना है । नेता प्रतिपक्ष को कटौती के प्रस्ताव का उत्तर देना है उसके बाद नेता सदन का जवाब आना है । तो समय का विनियमन करना पड़ेगा । माननीय आवास मंत्री बोल रहे थे मैं चाहूंगा जो भी माननीय सदस्य बोलने का अवसर पायें अति संक्षेप में अपनी बात कह दें । तो सारी कार्यवाही का विनियमन हो जायेगा ।

(व्यवधान)

**नगर विकास मंत्री के कथन पर आपत्ति (क्रमागत)**

श्री शारदानन्द अंचल–

किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम पढ़ते हैं और स्वयं पालन नहीं करते । व्यंग, कटाक्ष और भावावेश में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जिसको कहने की किसी की इच्छा नहीं होती है ।

(व्यवधान)

दोनो पक्ष के लोग शान्त रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारी नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है सदस्यों को उनके भाषण की नीति बताई गयी है । किस तरह के शब्दों को प्रयोग नहीं करेंगे और उसमें मान्यवर किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक समूह पर आक्षेपात्मक बात इस तरह से की जाये

(व्यवधान होने पर)

मेरा वाक्य सुन लें । मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं इनकी अनुमति से नहीं खड़ा हुआ हूं । माननीय अध्यक्ष जी माननीय टण्डन जी ने पीठ द्वारा अनुमति दिये जाने के बाद नियमानुसार गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा में अपना भाषण रख रहे थे [ x x x ] यह उत्तर प्रदेश का सदन है । [ x x x ]

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, यह संविधान की शपथ लेकर मंत्री हैं और संविधान की व्यवस्था के तहत मंत्रि-मंडल है । [ x x x ] यह पूरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं और आस्था का मामला है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि

---

नोट :–[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभिलेख दिखवा लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[ x x x ]

श्री अध्यक्ष–

ऐसी स्थिति न आये जिससे तनाव फैले । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कटु बातें कहीं थीं, ''पापी'' शब्द का प्रयोग किया था, यह सुनते रहे । हम कोई भावुक वातावरण में नहीं ठंडे वातावरण में बैठे हैं । एक दूसरे के शब्दों को सुनना चाहिए इसलिए भावुकता में न आयें, उत्तेजना न फैलायें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, इस प्रकार की टिप्पणी को निकाल दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

वोट बैंक बनाने के लिए इस प्रकार की बातें न की जायें । आज अन्तिम दिन है वातावरण अच्छा होना चाहिए ।

श्री अजीम भाई–

मान्यवर, इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी है ।

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 5.15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं । उसके बाद आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायें । अगर नहीं जायेंगे तो मुझे फिर निर्णय लेना पड़ेगा कि सदन कैसे चलाया जाय, किस प्रकार से आगे की कार्यवाही चलायी जाय ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 5 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 5 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 25 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 5 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

डा० वकार अहमद शाह साहब बात हो गई है कार्यवाही मैं देख लूंगा । जिस अंश के बारे में कहा गया है उसे मैं देख लूंगा और निकलवा दूंगा ।

---

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर जो इन्हें करना चाहिए था वह इन्होंने कर दिया लेकिन जो सहयोगी बैठे हुए हैं बी०एस०पी० में उनको तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सब लोग शान्त रहिये। मैं टण्डन जी को बुला रहा हूं। आप लोग बैठ जायें। इसका अर्थ यह हुआ कि आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, घर जाने की जल्दी है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और नारे लगाने लगे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई आपत्तिजनक अंश होगा तो मैं उसको निकलवा दूंगा। अब इसमें जिद् नहीं होती है हठधर्मिता नहीं होती है।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस सदन में नारे लगे हैं [xxx] (मान्यवर यह बहुत दुखद है)

श्री अजीम भाई–

टण्डन जी माफी मांगे।

श्री अध्यक्ष–

विनियोग विधेयक ले आयें, समय हो रहा है।

( इस मध्य श्री अजीम भाई, सहित समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये )

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह नहीं होगा कि केवल आपकी बात सुन ली जाय।

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नारेबाजी कर रहे हैं उधर से नारेबाजी होगी तो कैसे चलेगा ? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप लोग उत्तेजना का वातावरण पैदा कर रहे हैं। यह कोई बात नहीं होगी कि आप सदन में बोले और दूसरे की बात सुनी न जाये।

(समाजवादी पार्टी के सदन के फ्लोर पर आये माननीय सदस्य नारे लगाते रहे जिससे निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

---

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के अदेशानुसारर कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इन्हें वापस बुलायें, मैं संज्ञान ले लूँगा । मुझे कोई दिक्कत नहीं है । मैं 5.30 बजे मतदान के लिये मद प्रस्तुत कर दूंगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष सुन लीजिए 5.30 बजे मतदान करा दूंगा ।

आपकी मंशा सदन चलाने की नहीं है ।

**वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)**

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य नारा लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16(1) और 16(2) पर विचार समाप्त । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या बल दे रहे हैं ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े नहीं हो रहे हैं । मैं मतदान करा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,97,86,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायें।

(प्रतियां बांटी गयीं)

अब मैं मद संख्या–17 पर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करती हूं।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

### खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

### उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002

31 मार्च, 2003 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2002-2003 के लिए 58,252,34,32,000 रुपये का निकाला जाना।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [संसद द्वारा यथापारित उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या–11 सन् 2002)की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 58,252,34,32,000 रुपये (अट्ठावन हजार दो सौ बावन करोड़, चौंतीस लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है-उनका विनियोग 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

## अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुदान/ क्रम संख्या | सेवायें और प्रयोजन | | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) | | |
| | | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की समेकित निधि पर भारित | योग |
| 1 | आबकारी विभाग | राजस्व | 250295 | 10 | 250305 |
| | | पूंजी | — | — | 0 |
| 2 | आवास विभाग | राजस्व | 739763 | 415000 | 1154763 |
| | | पूंजी | 210000 | 447500 | 667500 |
| 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन) | राजस्व | 412330 | 400 | 412730 |
| | | पूंजी | 103857 | ... | 103857 |
| 4 | उद्योग विभाग (खानें और खनिज) | राजस्व | 88960 | 50 | 89010 |
| | | पूंजी | ... | — | 0 |
| 5 | उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) | राजस्व | 204614 | — | 204614 |
| | | पूंजी | — | | 0 |
| 6 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | राजस्व | 303884 | 40 | 303924 |
| | | पूंजी | 40000 | 358 | 40358 |
| 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | राजस्व | 39036 | 48390 | 87426 |
| | | पूंजी | 1020003 | 36488 | 1056491 |
| 8 | उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) | राजस्व | 528638 | — | 528638 |
| | | पूंजी | 6000 | ... | 6000 |
| 9 | ऊर्जा विभाग | राजस्व | 12143419 | 3520 | 21146939 |
| | | पूंजी | 8030586 | ... | 8030586 |
| 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) | राजस्व | 583352 | 3420 | 586772 |
| | | पूंजी | 19000 | ... | 19000 |
| 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | राजस्व | 8472819 | 33395 | 8506214 |
| | | पूंजी | 2908922 | ... | 2908922 |
| 12 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) | राजस्व | 871889 | ... | 871889 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | राजस्व | 10673181 | 750 | 10673931 |
| | | पूंजी | 3973146 | ... | 3973146 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | राजस्व | 8385631 | 21 | 8385652 |
| | | पूंजी | 6300 | ... | 6300 |
| 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) | राजस्व | 1644396 | 250 | 1644646 |
| | | पूंजी | 25035 | ... | 25035 |
| 16 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | राजस्व | 161667 | 20 | 161687 |
| | | पूंजी | 22500 | ... | 22500 |
| 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | राजस्व | 268067 | 5 | 268072 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | राजस्व | 459400 | 120747 | 580147 |
| | | पूंजी | 510247 | 180501 | 690748 |
| 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) | राजस्व | 14514 | ... | 14514 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 20 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) | राजस्व | 7975 | 120658 | 128633 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 21 | खाद्य तथा रसद विभाग | राजस्व | 1255458 | 2000085 | 3255543 |
| | | पूंजी | 27740000 | 9000050 | 36740050 |
| 22 | खेल विभाग | राजस्व | 166903 | ... | 166903 |
| | | पूंजी | 48610 | ... | 48610 |
| 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | राजस्व | 513971 | 2200 | 516171 |
| | | पूंजी | 22510 | 1914 | 24424 |
| 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | राजस्व | 1145940 | 26637 | 1172577 |
| | | पूंजी | 1300000 | 54259 | 1354259 |
| 25 | गृह विभाग (कारागार) | राजस्व | 1164077 | 800 | 1164877 |
| | | पूंजी | 135628 | ... | 135628 |
| 26 | गृह विभाग (पुलिस) | राजस्व | 20587077 | 5939 | 20593016 |
| | | पूंजी | 534667 | 2733 | 537400 |
| 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | राजस्व | 996899 | ... | 996899 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | राजस्व | 573971 | ... | 573971 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | राजस्व | ... | 31596 | 31596 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 30 | गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) | राजस्व | 12139 | ... | 12139 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | राजस्व | 2071379 | 25 | 2071404 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) | राजस्व | 7827408 | 500 | 7827908 |
| | | पूंजी | 742821 | ... | 742821 |
| 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) | राजस्व | 1251336 | ... | 1251336 |
| | | पूंजी | 14587 | ... | 14587 |
| 34 | चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) | राजस्व | 585255 | 25 | 585280 |
| | | पूंजी | 47160 | ... | 47160 |
| 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | राजस्व | 4566380 | 78 | 4566458 |
| | | पूंजी | 60000 | ... | 60000 |
| 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | राजस्व | 1820613 | 700 | 1821313 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 37 | नगर विकास विभाग | राजस्व | 3870523 | ... | 3870523 |
| | | पूंजी | 774001 | ... | 774001 |
| 38 | नागरिक उड्डयन विभाग | राजस्व | 113458 | ... | 113450 |
| | | पूंजी | 23000 | ... | 23000 |
| 39 | भाषा विभाग | राजस्व | 32784 | ... | 32784 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 40 | नियोजन विभाग | राजस्व | 383605 | ... | 383605 |
| | | पूंजी | 2004982 | ... | 2004982 |
| 41 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 416398 | ... | 416398 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 42 | न्याय विभाग | राजस्व | 2633378 | 494031 | 3127409 |
| | | पूंजी | 300004 | ... | 300004 |
| 43 | परिवहन विभाग | राजस्व | 293421 | ... | 293421 |
| | | पूंजी | 45966 | ... | 45966 |
| 44 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 72663 | ... | 72663 |
| | | पूंजी | 210289 | ... | 210289 |
| 45 | पर्यावरण विभाग | राजस्व | 1219679 | ... | 1219679 |
| | | पूंजी | 1200000 | ... | 1200000 |
| 46 | प्रशासनिक सुधार विभाग | राजस्व | 9195 | ... | 9195 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | राजस्व | 749617 | 102 | 749719 |
| | | पूंजी | 58270 | ... | 58270 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | राजस्व | 1586991 | 1284 | 1588275 |
| | | पूंजी | 60238 | | 60238 |
| 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | राजस्व | 4037046 | ... | 4037046 |
| | | पूंजी | 4000 | ... | 4000 |
| 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | राजस्व | 1793395 | 350 | 1793745 |
| | | पूंजी | 1134366 | ... | 1134366 |
| 51 | राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत). | राजस्व | 1629557 | 1628701 | 3258258 |
| | | पूंजी | 1 | 1 | 2 |
| 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | राजस्व | 5502513 | 13654 | 5516167 |
| | | पूंजी | 14047 | 1052 | 15099 |
| 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | राजस्व | 1234 | ... | 1234 |
| | | पूंजी | 100 | ... | 100 |
| 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | राजस्व | 4619577 | 400 | 4619977 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | राजस्व | 361621 | 13795 | 375416 |
| | | पूंजी | 93127 | 3506 | 96633 |
| 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) | राजस्व | 5309697 | 500 | 5310197 |
| | | पूंजी | 9103489 | 55000 | 9158489 |
| 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | राजस्व | 154474 | ... | 154474 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 60 | वन विभाग | राजस्व | 1225373 | 370 | 1225743 |
| | | पूंजी | 578000 | ... | 578000 |
| 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | राजस्व | 20826791 | 106619886 | 127446677 |
| | | पूंजी | 581000 | 121366773 | 121947773 |
| 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) | राजस्व | 18546490 | 41537 | 18588027 |
| | | पूंजी | 1000000 | ... | 1000000 |
| 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | राजस्व | 546946 | 600 | 547546 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 64 | वित्त विभाग (राज्य लाटरी) | राजस्व | 8035 | ... | 8035 |
| | | पूंजी | | ... | 0 |
| 65 | वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) | राजस्व | 541193 | ... | 541193 |
| | | पूंजी | 574 | ... | 574 |
| 66 | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | राजस्व | 8104 | 1347267 | 1355371 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | विधान परिषद् सचिवालय | राजस्व | 94175 | 2783 | 96958 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 68 | विधान सभा सचिवालय | राजस्व | 243404 | 4310 | 247714 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 69 | विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) | राजस्व | ... | ... | ... |
| | | पूंजी | 20000 | ... | 20000 |
| 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | राजस्व | 197322 | ... | 197322 |
| | | पूंजी | 2500 | ... | 2500 |
| 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | राजस्व | 39940813 | ... | 39940813 |
| | | पूंजी | 1001 | ... | 1001 |
| 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | राजस्व | 20191316 | 270 | 20191586 |
| | | पूंजी | 118849 | ... | 118849 |
| 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | राजस्व | 4984473 | 1 | 4984474 |
| | | पूंजी | 47500 | ... | 47500 |
| 75 | शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | राजस्व | 447811 | ... | 447811 |
| | | पूंजी | 106431 | ... | 106431 |
| 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | राजस्व | 741934 | ... | 741934 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | राजस्व | 752092 | 29 | 752121 |
| | | पूंजी | 30014 | ... | 30014 |
| 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | राजस्व | 1428200 | 105 | 1428305 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | राजस्व | 868304 | ... | 868304 |
| | | पूंजी | 35001 | ... | 3500 |
| 80 | समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | राजस्व | 8765325 | ... | 876532 |
| | | पूंजी | 82954 | ... | 8295 |
| 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | राजस्व | 59786 | 10 | 5979 |
| | | पूंजी | 37284 | ... | 3728 |
| 82 | सतर्कता विभाग | राजस्व | 106848 | 7432 | 114280 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 83 | समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनायें) | राजस्व | 1239786 | ... | 123978 |
| | | पूंजी | 1845401 | ... | 1845401 |
| 84 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 17035 | ... | 1703 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 85 | सार्वजनिक उद्यम विभाग | राजस्व | 39811 | ... | 3981 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | सूचना विभाग | राजस्व | 292572 | ... | 292572 |
| | | पूंजी | 20 | ... | 20 |
| 87 | सैनिक कल्याण विभाग | राजस्व | 163413 | 5 | 163418 |
| | | पूंजी | 9435 | ... | 9435 |
| 88 | संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) | राजस्व | 14330 | 2 | 14332 |
| | | पूंजी | 151100 | ... | 151100 |
| 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) | राजस्व | 1647456 | 1002 | 1648458 |
| | | पूंजी | 102463 | ... | 102463 |
| 90 | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) | राजस्व | 70573 | ... | 70573 |
| | | पूंजी | ... | ... | 0 |
| 91 | संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | राजस्व | 450979 | 12 | 450991 |
| | | पूंजी | .. | ... | 0 |
| 92 | संस्कृति विभाग | राजस्व | 122528 | 5 | 122533 |
| | | पूंजी | 260990 | ... | 260990 |
| 93 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | राजस्व | 5390969 | ... | 5390969 |
| | | पूंजी | 835786 | ... | 835786 |
| 94 | सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य) | राजस्व | 2262551 | 3819278 | 6081829 |
| | | पूंजी | 8306361 | 40000 | 8346361 |
| | योग– | | 257820192 | 116812982 | 374633174 |
| | | | 76700123 | 131190135 | 207890258 |
| | महायोग– | | 334520315 | 248003117 | 582523432 |

**खण्डशः विचार**

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 पारित किया जाये । अधि

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या–20 पर मतदान करा रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आये हुये सदस्यों के वापस न जाने और नारेबाजी करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 6.00 बजे तक के लिये स्थगित कर रहा हूँ ।

(घोर व्यवधान के कारण 5 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 6 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 6 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया है । 6 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 7 सितम्बर, 2002 की बैठक में सदन के निम्नलिखित विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 के विचार एवं पारण के उपरान्त सदन की प्रक्रिया नियमावली के संगत नियमों को शिथिल करते हुये रखे जाने की सिफारिश की है :–

1—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 तथा

2—कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मा०, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव**

श्री प्रमोद कुमार–

महोदय, कृपया उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 की संगत नियमों को शिथिल करते हुये हमें उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 सितम्बर, 2002 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने का कष्ट करें–

"यह कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31 मार्च, 2001 को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में एक आदेश पारित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिये निर्देश दिये हैं,

दस लाख जनसंख्या की तुलना में न्यायाधीशों का अनुपात 50 किया जाय, जो वर्तमान समय में 10 लाख पर 13 न्यायाधीश हैं,

यह कि उक्त आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिलों के न्यायाधीशों के वेतन और परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिये भी कहा है,

यह कि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकारें उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में समस्त व्ययों का वहन यह ध्यान में रखकर करेंगी, कि केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, और यह कि अनुपालन के लिये एक समय सीमा निर्धारित की है,

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में प्रदेश पर लगभग 60 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा, इस व्यय भार में उक्त आदेश के अनुपालन में सृजित होने वाले न्यायालय और पदों का व्यय भार सम्मिलित नहीं है । यदि उक्त आदेश का अनुपालन किया जाय तो उसमें लगभग क्रमशः 2.100 करोड़ रुपये का अनावर्तक व्यय भार तथा 700 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष आवर्तक व्यय भार प्रदेश की जनता पर पड़ेगा,

यह कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश का राजस्व घाटा लगभग 5276 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । प्रदेश सरकार पर 83401 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ पहले से ही चला आ रहा है । प्रदेश के राजस्व व्यय में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है । इस वर्ष राजस्व व्यय में लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है,

यह कि न्याय विभाग के आयोजनेत्तर बजट में असामान्य वृद्धि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिये हानिकारक है, विशेषकर जब योजना गत बजट में मूलभूत आवश्यकता यथा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, सम्पर्क मार्ग की पूर्ति के लिये आर्थिक कठिनाई के कारण पर्याप्त निधि की व्यवस्था नहीं की जा सकी,

यह कि उक्त आदेश का परिणामी प्रभाव यह पड़ेगा कि विधान सभा को बजट में निधि आवंटन प्राथमिकता पर चर्चा एवं विनिश्चय करने का अवसर दिये बिना न्याय विभाग के गैर योजना गत व्यय के लिये निधि आवंटन हेतु उपबन्ध करना पड़ेगा,

यह कि उक्त आदेश से सम्भवतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 203(2) के अधीन यथा उपबन्धित विधान सभा की अधिकारिता का अतिक्रमण हुआ है,

अतएव इस सदन का निश्चित मत है कि उपर्युक्त आदेश को परिवर्तित एवं उपान्तरित करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी वृहत्तर पीठ के रखने हेतु कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार निर्णय पारित करे ।

**नगर विकास मंत्री के कथन पर आपत्ति (क्रमागत)**

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जिस बात को लेकर सदन अव्यवस्थित हुआ था तो क्या लालजी टण्डन जी, माफी मांगने के लिये तैयार हैं । यह सदन बहुत देर नहीं चला है [x x x ]

श्री अध्यक्ष–

मैंने दो-तीन बार आपको बुलाया कि कृपया उत्तर भाषण करें ।

---

नोट :–[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं उसे नहीं कह रहा हूं। सदन अव्यवस्थित है इसका मतलब यह हुआ कि इतनी देर कार्यवाही नहीं चली है। अब आपके निर्देश पर कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

उस समय भी कार्यवाही चली थी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, लालजी टण्डन जी ने जो शब्द कहे हैं [x x x]।

श्री अध्यक्ष–

सदन में आते ही मैंने घोषणा कर दी थी कि जिन शब्दों पर आपत्ति है उसे अभिलेख देखकर निकाल दूंगा और आपके दल के उप नेता अम्बिका चौधरी जी, सहमत हो गये थे। जब वह शब्द कार्यवाही का अंग ही नहीं रहेगा तब फिर बात खत्म हो गई।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं, मान्यवर, वह वास्तव में कार्यवाही का अंग रहे टण्डन जी माफी मांग लें।

श्री अध्यक्ष–

मेरी व्यवस्था हो गई है मैंने कह दिया है कि आपत्तिजनक शब्दों को निकाल दूंगा। इसलिये अब यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वह शब्द कार्यवाही में रहे, यह मैं चाहता हूं। लेकिन टण्डन जी से माफी मंगवाइये।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव (क्रमागत)**

श्री अध्यक्ष–

कृपया व्यवधान मत करिये। अब मैं जो श्री प्रमोद कुमार जी ने प्रस्ताव रखा है उस पर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

(शोर/व्यवधान के मध्य)

श्री अजीम भाई–

टण्डन जी, से माफी मंगवाइये यह अन्याय है धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया है।

---

नोट :–[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय प्रमोद कुमार जी ने किया है कि कृपया उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुये हमें उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 सितम्बर, 2002 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

यह कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31 मार्च, 2001 को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में एक आदेश पारित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों को जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिये निर्देश दिये हैं,

(इसी मध्य में श्री अजीम भाई, श्री अब्दुल कलाम, श्री राम करन आर्य, श्री बीजू पटनायक, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अरविन्द गिरि, श्री नारद राय, श्री वसीम अहमद, श्री राम विशुन आजाद, श्री अब्दुल कलाम (सिद्धार्थ नगर), श्री अनवर महमूद, श्री आलम वदी सहित समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य नारे लगाते हुये सदन की वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अजीम भाई–

टण्डन जी माफी मांगे। [x x x]

(घोर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

दस लाख जनसंख्या की तुलना में न्यायाधीशों का अनुपात 50 किया जाय, जो वर्तमान समय में दस लाख पर 13 न्यायाधीश हैं।

यह कि उक्त आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिलों के न्यायाधीशों के वेतन और परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिये भी कहा है,

यह कि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकारें उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में समस्त व्ययों का वहन यह ध्यान में रखकर करेंगी कि केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, और यह कि अनुपालन के लिये एक समय सीमा निर्धारित की है,

यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में प्रदेश पर लगभग 60 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा, इस व्यय भार में उक्त आदेश के अनुपालन में सृजित होने वाले न्यायालय और पदों का व्यय भार सम्मिलित नहीं है। यदि उक्त आदेश का अनुपालन किया जाय तो उसमें लगभग क्रमशः 2,100 करोड़ रुपये का अनावर्तक व्यय भार तथा 700 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष आवर्तक व्यय भार प्रदेश की जनता पर पड़ेगा,

---

नोट :–[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यह कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश का राजस्व घाटा लगभग 5,276 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्रदेश सरकार पर 83,401 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ पहले से ही चला आ रहा है। प्रदेश के राजस्व व्यय में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस वर्ष राजस्व व्यय में लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है,

यह कि न्याय विभाग के योजनेत्तर बजट में असामान्य वृद्धि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिये हानिकर है, विशेषकर जब योजनागत बजट में मूलभूत आवश्यकता यथा-स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, सम्पर्क मार्ग की पूर्ति के लिये आर्थिक कठिनाई के कारण पर्याप्त निधि की व्यवस्था नहीं की जा सकी,

यह कि उक्त आदेश का परिणामी प्रभाव यह पड़ेगा कि विधान सभा को बजट में निधि आवंटन प्राथमिकता पर चर्चा एवं विनिश्चय करने का अवसर दिये बिना न्याय विभाग के गैर योजनागत व्यय के लिये निधि आवंटन हेतु उपबन्ध करना पड़ेगा,

यह कि उक्त आदेश से संभवतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 203(2) के अधीन यथा उपबन्धित विधान सभा की अधिकारिता का अतिक्रमण हुआ है,

अतएव इस सदन का निश्चित मत है कि उपर्युक्त आदेश को परिवर्तित एवं उपान्तरित करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी वृहत्तर पीठ के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार निर्णय पारित करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002**

(घोर व्यवधान)

कृषि, पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करें।

श्री अध्यक्ष–

जो नारे लगाये जा रहे हैं वह नहीं लिखे जायेंगे और यह नारे समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित नहीं किये जायेंगे। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करिये ।

(संशोधन प्रस्ताव उपस्थित न किये जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि संशोधन प्रस्ताव नहीं रखा गया है इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)**

**(संशोधन) विधेयक, 2002**

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

**विधेयक**

भारत गणराज्य के लिये तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा ।

(2) यह 24 दिसम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7 सन् 1972 की धारा–2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2003 तक" रख दिये जायेंगे ।

वैधीकरण

(3) शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी मण्डी समिति, उसके सभापति और उप सभापति के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य जो पहली जनवरी, 2002 के ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 2 के अधीन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट में निहित थे ऐसे जिला मजिस्ट्रेट में विधिमान्यता निरन्तर इस प्रकार निहित समझे जायेंगे और पहली जनवरी, 2002 को या उसके पश्चात् किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिकारों के प्रयोग, कृत्यों के संपादन और कर्तव्यों के पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 2002 (1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी धारा–1 मे निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियिम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002**

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तवना तथा शीर्षक**

**कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002**

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

कारागार अधिनियम, 1894 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

**विधेयक**

भारत गणराज्य के लिये तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—(1) यह अधिनियम कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1894 में नई धारा 36–क का बढ़ाया जाना

2—कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

बन्दियों का पारिश्रमिक

"36–क(1) प्रत्येक ऐसा सिद्धदोष अपराधी बन्दी जो किसी कारागार में श्रम करने के लिये नियोजित किया गया हो और सन्तोषजनक कार्य कर रहा हो, ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी सिद्धदोष अपराधी बन्दी को देय धनराशि में से उसके 20 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की कटौती की जायेगी और उसका भुगतान उस बन्दी द्वारा कारित अपराध के पात्र पीड़ितों को प्रतिकर के रूप में किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में की गई सभी कटौतियों को इस प्रयोजन के लिये सृजित सामान्य निधि में जमा किया जायेगा ।

(3) निधि का सृजन, उसमें धनराशि के जमा करने और उसके संचालन को ऐसी रीति से विनियमित किया जायेगा, जैसी विहित की जाय ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(सदन में निरन्तर व्यवधान होता रहा ।)

**प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दो घण्टे की निर्धारित चर्चा का स्थगन**

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा स्थगित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

(मद संख्या–22, मद सं० 23, मद सं० 24, मद सं० 25, मद सं० 26, मद सं० 28, मद सं० 29, मद सं० 30, मद सं० 31, मद सं० 32, मद सं० 33, मद सं० 34, मद सं० 35, मद सं० 36, मद सं० 37, मद सं० 38, मद सं० 40, मद सं० 41, मद सं० 42, मद सं० 43, मद सं० 44, मद सं० 45, मद सं० 46, मद सं० 47, मद सं० 49, मद सं० 50, मद सं० 51, मद सं० 52, मद सं० 53, मद सं० 54, मद सं० 55, मद सं० 56, मद सं० 57, मद सं० 58, मद सं० 59, मद सं० 60, मद सं० 61 उक्त मदें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गईं ।)

(मद सं० 27, 39, 48 स्थगित की गईं ।)

**जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर में 132 के०वी० के विद्युत केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ इस वर्ष की कार्य योजना में 132 के०वी० बिल्हौर उपकेन्द्र एवं तत्सम्बन्धी पारेषण लाइन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । आंतरिक संसाधनों की कमी के कारण इस कार्य को प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो पा रहा है । इसके वित्तीय पोषण हेतु पी०एफ०सी०, नई दिल्ली को रु० 1050 लाख का प्रस्ताव दिनांक 14-01-2002 को प्रेषित किया जा चुका है । स्वीकृति अभी अपेक्षित है ।

धन प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कर लगभग दो वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा । ]

**जनपद गाजीपुर के थाना नन्दगंज में एप्रोप्रिएट टेक्नालाजी डेवलेपमेंट एसोसियेशन द्वारा डीसेन्ट्रलाइज रिपेयरिंग एण्ड सर्विस नियम 51 के अन्तर्गत सेन्टर, कुसमीकला की जमीन का कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव द्वारा दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ जनपद गाजीपुर के थाना नन्दगंज में एप्रोप्रिएट टेक्नालाजी डेवलपमेंट एसोसियेशन द्वारा डीसेन्ट्रलाइज रिपेयरिंग एण्ड सर्विस सेंटर कुसमीकला की जमीन का कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री कैलाश यादव, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा सूचना दी गयी है ।

2–प्रश्नगत मामले में श्रम प्रवर्तन अधिकारी से जांच कराई गयी । जांच के दौरान श्री आर० के० यादव, एकाउन्टेन्ट उपस्थित रहे । प्रतिष्ठान संस्थापक सर्वश्री जय प्रकाश नारायण, एम० के० गर्ग, अजय कुमार गर्ग, एवं एम० एन० हूदा की मृत्यु हो चुकी है । यह प्रतिष्ठान वर्ष 1976 में स्थापित हुआ था तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत है । प्रतिष्ठान का मुख्यालय गांधी भवन, लखनऊ में स्थित है । इस प्रतिष्ठान में गांधी आश्रम का जॉब वर्क होता है तथा प्रतिष्ठान में कुल 10 कर्मचारी नियोजित हैं ।

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतिष्ठान के कर्मचारी श्री डी० पाण्डेय, श्री बीसई राम, श्री रामचन्द्र राम, श्रीमती तपेसरा देवी एवं श्रीमती सुइया देवी की बैठकी की गयी है तथा सर्वश्री रमेश सिंह, अनुमान शर्मा, लालचन्द्र, रामनरेश यादव एवं श्री सर्वेश्वर गिरी की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं उनके वैधानिक पावनों का भुगतान नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त सर्वश्री रामवृक्ष यादव, राम नगीना मौर्य एवं श्री रामपति राम ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया है किन्तु उनके भी वैधानिक पावनाओं का भुगतान नहीं किया गया है । श्रीमती मीरा देवी स्वीपर वर्ष 1990 से रु० 350 प्रतिमास पर कार्यरत थीं किन्तु उन्होंने भी कार्य छोड़ दिया है किन्तु उन्हें एक माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है । प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को माह फरवरी, 2001 से अर्जित वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिए वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत वाद सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है ।

इस प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण अगस्त, 2001 से उत्पादन कार्य बन्द है । प्रतिष्ठान के नियोजकों द्वारा उपस्थिति रजिस्टर, जिसमें 9 कर्मचारियों का नाम अंकित है, के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रतिष्ठान की स्थिति शान्तिपूर्ण है । ]

**जनपद वाराणसी में आगामी दुर्गा पूजा एवं दीपावली पर्व पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ वाराणसी में दुर्गा पूजा एवं दीपावली पर्व के अवसर पर विद्युत लोड एवं मांग में विशेष बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए आवश्यतानुसार लाइनों को सुदृढ़ कर दिया जाता है तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जर्जर तारों को बदला भी जाता है । उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत उपभोग के कारण ही प्रायः लो वोल्टेज एवं तार टूटने की घटनायें होती हैं । ऐसी स्थिति में टूटे हुए तार की मरम्मत का कार्य तुरन्त कर दिया जाता है एवं अधिक लोड लगाने वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग कर उन्हें निर्धारित सीमा में ही विद्युत प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है । जर्जर हो चुके तारों का समय-समय पर निरीक्षण कराकर सम्बन्धित स्थानों पर तार बदलने का कार्य वित्तीय संसाधनों की सीमा में सम्पन्न करा दिये जाते हैं ।

उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि, संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक अनिवार्यता के अनुसार करायी जाती है । नये 33/11 के०वी० के उपकेन्द्र आशापुर, महमूरगंज एवं अलईपुर में प्रस्तावित किये गये हैं । परन्तु इनमें से किसी भी उपकेन्द्र के लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है ।

भेलूपुर स्थित पावर हाउस की जमीन पर 132 के०वी० उपकेन्द्र बनाने के प्रस्ताव पर परीक्षण किया गया । लेकिन वहां पर 132 के०वी० लाइन के जाने का कोई रास्ता नहीं है । अतः यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया ।

वाराणसी के अवर अभियन्ता एवं अन्य अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहते हैं एवं सीमित संसाधनों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहते हैं । दीपावली

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पर्व के पहले विद्युत लाइनों की मरम्मत आदि का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराने के निर्देश पहले से ही हैं, जिसके लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है। फिर भी दीपावली में विद्युत व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक (वितरण) वाराणसी क्षेत्र को पुनः निर्देशित किया जा रहा है। ]

**ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य प्रो० जयराम यादव द्वारा छात्रों का उत्पीड़न किये जाने सम्बन्धी डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

( वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[डा० विनोद तिवारी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 4-9-2002 को नियम–51 के अन्तर्गत ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य प्रो० जयराम यादव के द्वारा अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क वापस न किये जाने, समाज कल्याण विभाग से उपलब्ध पुस्तकों को वितरित न किये जाने तथा छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने आदि गम्भीर उत्पीड़न की सूचना दी गयी है। मा० सदस्य ने इस विषय में शासन से अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की है।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों का शिकायती-पत्र एवं भिन्न-भिन्न श्रोतों से अनेक शिकायती-पत्र प्रो० जयराम यादव प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त हुए। उक्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ० प्र० से करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर शिकायतों को प्रथम दृष्ट्या सत्य पाये जाने के कारण प्रो० जयराम यादव प्रधानाचार्य को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। ]

**जनपद लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा जलापूर्ति की उचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[सूचना के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि लखनऊ महानगर में लगभग 1800 कि०मी० वितरण लाइन मुख्य पाइप लाइन का नेटवर्क बिछा हुआ है। पाइप लाइनों में लीकेज होना नियमित प्रक्रिया है क्योंकि नगर के पुराने क्षेत्र की पाइप लाइनें लगभग 100 वर्ष तक पुरानी हैं तथा मुख्य पाइप लाइन सड़क चैड़ीकरण होने के कारण सड़क के बीच में आ गयी है, जिसके फलस्वरूप मार्ग वाहनों के आवागमन के कारण लीकेज की समस्या विद्यमान रहती है तथा लखनऊ जल संस्थान द्वारा नियमित रूप से पाइप लाइनों की लीकेज अस्थाई गैंग के माध्यम से ठीक कराये जाते रहते हैं।

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जल संस्थान द्वारा अवैध जल संयोजनों को चिन्हित कर उनके नियमितीकरण हेतु वार्ड एकाउन्ट की सेवायें पूरे नगर में ली गयी हैं तथा उसके अपेक्षित परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं । लगभग 4200 जल संयोजन नियमित किये जा चुके हैं ।

जल संस्थान द्वारा पेयजल के 5319 नमूने ओ०टी० टेस्ट के लिए गये जिसमें से 5241 नमूनों में क्लोरीन पायी गयी । 78 नमूनों में क्लोरीन नहीं प्राप्त हुई है, जिसे राज्य स्वास्थ्य संस्थान भेजकर उनका जीवाणु परीक्षण कराया गया । साल भर में कुल जीवाणु परीक्षण के 1211 नमूने लिए गये जिसमें से 1191 उत्तर सन्तोषजनक पाये गये । असन्तोष पाये गये 20 नमूनों का मानक के अनुसार पुनः परीक्षण कराया गया, जिसमें नमूने उत्तम प्राप्त हुए । नगर निगम एवं जल संस्थान की संयुक्त टीम के साथ माह अप्रैल, 2002 से 2 अगस्त, 2002 तक कुल 2212 नमूनों का परीक्षण कराया गया, जिसमें 2159 में क्लोरीन पायी गयी तथा 43 नमूनों में क्लोरीन नहीं पायी गयी, जिसमें 7 स्थान पर जल संस्थान आपूर्ति के नहीं हैं । पुनः परीक्षण में इन नमूनों में क्लोरीन प्राप्त हुई ।

मैनुअल आन वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेन्ट, 1976 के अनुसार यदि 50 प्रतिशत भी नमूने सही पाये गये तो सप्लाई सन्तोषप्रद पायी गयी परन्तु जीवाणु परीक्षण में 99 प्रतिशत नमूने सही पाये गये हैं, जो सन्तोषजनक है ।

पुराने लखनऊ के यहियागंज, कुण्डरी रकाबगंज, सआदतगंज, काजमैन, राजाजीपुरम, सी ब्लाक आदि क्षेत्रों में मटमैले गन्दा पानी आने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । पानी में नियमित रूप से क्लोरीनेशन किया जा रहा है । लखनऊ जल संस्थान द्वारा यह सतत् प्रयास रहता है कि स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो जिससे लगभग 30.00 लाख की आबादी वाले नगर में संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न न हो ।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी नियमित रूप से पानी की जांच की जा रही है । एक माह पूर्व विष विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा 75 सैम्पुल नगर के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गये । परीक्षणोपरान्त सन्तोषजनक पाये गये । ]

**जनपद बलिया में नगरा-गहवार मार्ग से रेकुआ उरैनी मार्ग का बन्द पड़ा निर्माण कार्य चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीराम इकबाल द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन**

**हिन्दू महासभा द्वारा गोरखपुर, कुशीनगर एवं महराजगंज जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

( वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ पुलिस अधीक्षक महराजगंज से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जोखू लाल पुत्र श्री सुराती यादव निवासी नरकट बाजार, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज द्वारा दिनांक 20-8-2002 को समय लगभग

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

15.10 बजे इस आशय की लिखित सूचना दी गयी कि उसका पुत्र संजय यादव उम्र लगभग 9 वर्ष दिनांक 19-8-2002 की सायंकाल 5.00 से 6.00 बजे के बीच था उसके बाद उसका पता नहीं चला। इस सूचना पर थाना पनियरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट अंकित की गयी। दिनांक 21-8-2002 को सायंकाल संजय का शव गांव के उत्तर गड्ढे में पड़ा मिला। मृतक संजय के परिवार वालों को सन्देह था कि यह कृत्य साबिर पुत्र रशीद निवासी भमऊर टोला गड़हिया, थाना पनियरा द्वारा किया गया, दिनांक 21-8-2002 को ग्राम नरकटहा बाजार में साप्ताहिक बाजार का दिन था जिसमें रशीद बकरी काटकर मांस बेचने आया था, इसी बीच संजय की लाश पाकर आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा रशीद उम्र 65 वर्ष एवं उसके एक अन्य सम्बन्धी अनवर उम्र 30 वर्ष को पकड़कर मारा-पीटा जिससे उनको गम्भीर चोटें आयीं एवं घटना स्थल पर रशीद व अनवर की मृत्यु हो गयी। मृतक रशीद एवं जोखू यादव के बीच जमीन का विवाद भी बताया जाता है। जोखू यादव की सूचना पर थाना पनियरा जनपद महराजगंज में मु०अ०सं०–219/2002 धारा 302/201 भा०दं०वि० विरुद्ध (1) राशिद (2) साबिर अली पुत्र राशिद निवासी थाना पनियरा पंजीकृत कराया गया। बैंचन अली पुत्र जवाहर अली की सूचना पर थाना पनियरा पर मु०अ०सं०–219A/2002 धारा 147/148/302/436/336/302 भा०दं०वि० विरुद्ध (1) वीरेन्द्र सिंह (2) जोखू यादव (3) रविध्वज तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी (4) मकरध्वज तिवारी उर्फ डब्बू तिवारी (5) केशरी नन्दन तिवारी (6) जयराम प्रसाद (7) तीजू यादव (8) राम अशीष यादव (9) राम किशुन तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। मु०अ०सं०–219/2002 में अभियुक्त साबिर अली दिनांक 27-8-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। मु०अ०सं०–219A/2002 में नामजद अभियुक्त केशरी नन्दन तिवारी, जय राम प्रसाद दिनांक 29-8-2002 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। अभियुक्त जोखू यादव, राम किशुन यादव दिनांक 3-9-2002 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त पप्पू तिवारी, डब्बू तिवारी दिनांक 2-9-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया। अभियुक्त राम आशीष यादव दिनांक 5-9-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया। अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह दिनांक 6-9-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया। उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन एवं अन्य कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही शेष रह गयी है। जिसे शीघ्र करके अभियोग के निस्तारण हेतु विवेचक द्वारा कार्यवाही तत्परता पूर्वक की जा रही है। ]

**जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में सिंचाई खण्ड टांडा के अन्तर्गत आने वाली नहरों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य**

( वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कटारगढ़ रजवाहा, जहांगीर राजवाहे से निकलता है। बड़ा गांव माइनर, भटपुरा माइनर, कबीरपुर माइनर, मदन पट्टी माइनर, भीरा माइनर, करसंडा माइनर, दरगाह माइनर, सूफीगढ़ माइनर तथा अहिरोला माइनर टाण्डा मुख्य एवं समानान्तर नहर के टेल भाग से निकलती है। बड़ा-गांव माइनर की लम्बाई 8.4 किमी० है। वर्ष 2000-2001 में तथा 2001-2002 में इसकी पुरी लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है। पिण्डोरिया माइनर जिसकी लम्बाई 19.8 किमी० है में वर्ष 1998-99 में हेड से 11.8 किमी तथा वर्ष 2000-2001 में हेड से 5

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किमी० तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । भटपुरा माइनर जिसकी 2-2 किमी० है, गत 4 वर्षो में प्रत्येक वर्ष हेड से टेल तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । कबीरपुर माइनर जिसकी लम्बाई 2.4 किमी० है में गत 4 वर्षों में वर्ष 99-2000 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष हेड से टेल तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । मदन पट्टी माइनर जिसकी लम्बाई 2.2 किमी० है, में वर्ष 2001-2002 में शीर्ष से 200 मीटर तथा उसके पूर्व के तीन वर्षों में शीर्ष से टेल तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । भीरापुर माइनर जिसकी 3 किमी० है वर्ष 2000-2001 को छोड़कर उससे पूर्व के तीनों वर्षों में शीर्ष से टेल तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । सरसंडा माइनर जिसकी लम्बाई 3.8 किमी० है, में वर्ष 98-99 में शीर्ष से 2 किमी० तथा 2000-2001 में शीर्ष से 3.8 किमी० तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । दरगाह माइनर जिसकी लम्बाई 2.9 किमी० है वर्ष 2001-2002 को छोड़कर शेष 3 वर्षों में सिल्ट सफाई कार्य कराया गया है । सूफी माइनर लम्बाई जिसकी लम्बाई 4 किमी० है में वर्ष 99-2000 एवं 2000-2001 में शीर्ष से टेल तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । अहिरौला माइनर जिसकी लम्बाई 10.2 किमी० है, में वर्ष 2000-2001 में शीर्ष से 2 किमी० तक तथा 01 से 02 में शीर्ष से 7.4 किमी० तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । प्रदेश में इस वर्ष असामान्य अवर्षण के कारण उत्पन्न सूखे परिप्रेक्ष्य में नहर प्रणाली के हेड रीच में अवैध कटिंग एवं आवश्यकता से अधिक पानी उपयोग होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच सका है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक माइनर की गत वर्षों में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है । प्रत्येक माइनर में गत 4 वर्षों में खरीफ व रवी की फसल में सींच भी हुई है । ]

**ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी भ्रष्टाचार तथा कनिष्ठों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ श्री उदय नारायण, तत्कालीन मुख्य महाप्रबन्धक (लेसा) सम्प्रति निदेशक (वाण्ज्यि), लखनऊ के विरुद्ध लेसा के कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा उनके विरुद्ध दिनांक 8-04-2000 के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र के द्वारा की गई शिकायत की जांच कराये जाने हेतु मा० श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 10-08-2000 के साथ प्राप्त हुआ । इस शिकायत की जांच डा० रमा पति दुबे, तत्कालीन निदेशक, (कारपोरेट प्लानिंग) द्वारा की गई । जांच निष्कर्ष के आधार पर श्री उदय नारायण, तत्कालीन महाप्रबन्धक (लेसा) के विरुद्ध सभी आरोप अप्रमाणित पाये गये । तथापि श्री उदय नारायण को कारपोरेशन लि० तके पत्र दिनांक 16.11.2000 के द्वारा यह सलाह दी गई है कि वे अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ व्यवहार में संयम/शालीनता बरतें तथा समाचार-पत्रों को अनावश्यक बयान देने से बचे ।

श्री उदय नारायण, तत्कालीन अधिशासी निदेशक (वितरण), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कथित भ्रष्ट कारनामों की जांच राज्य सतर्कता इकाई से कराये जाने विषयक मा० श्री दाऊद अहमद, सांसद (लोक सभा) का मा० मुख्य मंत्री जी, उ० प्र० को सम्बोधित पत्र दिनांक 4-07-2002 शासन के माध्यम से कारपारेशन लि० में दिनांक 4-08-2002 को प्राप्त हुआ था । इस पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ]

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद सहारनपुर के ए० आर० आर० टी० ओ० द्वारा अवैध रूप से चलवाई जा रही प्राइवेट बसों एवं उनके कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ श्री महबूब अली, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर के विरुद्ध अनियमितताओं के कतिपय आरोप लगाये गये हैं ।

उक्त सूचना में अंकित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में जांच करने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया है और उन्हें यह निर्देश दिए गये हैं कि वे जांच आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करें ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर जांच में यदि सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी दोषी पाये जाते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । ]

**जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में पैथालोजी विभाग के कर्मियों द्वारा कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल, लखनऊ में औसतन 300–400 परीक्षण प्रतिदिन पैथालोजी विभाग द्वारा किये जाते हैं । इन परीक्षणों हेतु वाह्य रोगियों का सम्पूर्ण नमूना संग्रह प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों द्वारा स्वयं किया जाता है तथा भर्ती रोगियों का उंगली से निडिल्स के द्वारा रक्त संग्रह करके उनके समस्त परीक्षण प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों द्वारा पैथालोजिस्ट के साथ उसी दिन सम्पन्न किये जाते हैं ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० लखनऊ के आदेश दिनांक 21-12-98 की व्यवस्था के अनुसार वार्ड के रोगियों का नस से रक्त संग्रह करके परीक्षण हेतु पैथालोजी विभाग को भेजा जाता है जिसका परीक्षण प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों द्वारा पैथालोजिस्ट के साथ उसी दिन सम्पन्न किये जाते हैं । इमरजेंसी व गम्भीर रोगियों हेतु 24 घण्टे पैथालोजी की आकस्मिक सेवायें, एक टैक्नीशियन व पैथालोजिस्ट के साथ अनवरत संचालित रहती है । गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पैथोलोजी विभाग में एक सेमी–आटोएनालाइजर व एक पूर्ण स्वचालित आटोएनालाइजर नित्य संचालित होता है, जिस पर समस्त जन सामान्य रोगियों के परीक्षण सर्वाधिक गुणवत्ता के साथ सम्पन्न हो रहे हैं । रोगियों को निजी पैथालोजी में परीक्षण हेतु जाने के बजाय चिकित्सालय में ही परीक्षण कराने हेतु बल दिया जाता है ।]

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद बस्ती के ग्राम सगरा निवासी अशोक सिंह के अपराधी प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कमाल यूसुफ मलिक आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना पर पुलिस अधीक्षक बस्ती से प्राप्त की गई जांच आख्या में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 11-8-2002 को मोहम्मद अमीन पुत्र मु० शरीफ निवासी बढ़ना लाल सिंह थाना सोनहा जनपद बस्ती को सोनहा चौराहा पर श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री राम कल्पन सिंह निवासी सगरा थाना सोनहा बस्ती द्वारा मु० अमीन को प्रताड़ित करने व मारने पीटने आदि की घटना के संबंध में कोई भी सूचना थाना सोनहा पर नहीं है और न ही मु० अमीन द्वारा कोई शिकायत ही अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध ही की गयी है ।

विधान सभा चुनाव वर्ष 2002 के व मतगणना के बीच दिनांक 22-2-2002 को समय करीब 19.30 बजे मु० अमीन द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना पर अशोक कुमार सिंह व अन्य 6 के विरुद्ध एक राय होकर लाठी डंडा से लैस होकर वादी मु० अमीन व शाकिर मुहम्मद व मु० अशफाक को चोट पहुंचा कर मारे पीटे व जान माल की धमकी दिये, जिस पर थाना सोनहा पर मु०अ०सं० 32/2002 धारा 147/148/149/323/504/506 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया । अशोक कुमार सिंह दिनांक 26-2-2002 को न्यायालय में आत्मसमपर्ण कर जमानत पर हैं, तथा अन्य नामजद व्यक्ति भी जमानत पर है । स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा की विवेचना की गई, विवेचना से अभियुक्तगण मुमताज, मुस्ताक पुत्रगण श्री किफायतुल्लाह व जय प्रकाश पुत्र श्री राम धीरज निवासीगण बढ़ना लाल सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 14 दिनांक 05-03-2002 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । ]

**गोरखपुर मेडिकल कालेज में रेजीडेन्ट डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पी० के० राय आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के समस्त सरकारी मेडिकल कालेज शासन की उदासीनता के कारण बदहाली का शिकार हो रहे हैं । चिकित्सा शिक्षा का बजट बिना किसी चर्चा के पारित हो गया है और शासन का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर नहीं दिलाया जा सका । प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कुल 315 शिक्षकों के पद रिक्त हैं । शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें कमी करने का निर्णय लिया है । गोरखपुर मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर सीटें कम हो जाने के कारण रेजीडेन्ट डाक्टरों की कमी हो गयी है जिसके कारण आकस्मिक सेवायें बन्द होती जा रही हैं । अस्थि रोग, सर्जरी एवं न्यूरोसर्जरी के आकस्मिक रोगियों की भर्ती नहीं की जा रही है ।

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अलग-अलग एम० सी०आई० के मानक के अनुसार प्राध्यापकों के कुल 315 पद रिक्त चल रहे हैं जिनमें से 67 पद कानपुर, 53 पद आगरा, 57 पद मेरठ, 44 पद झांसी, 49 पद इलाहाबाद तथा 45 पद मेडिकल कालेज गोरखपुर में रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

3–बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर में आर्थोपेडिक्स विभाग की इमरजेन्सी, रेजीडेन्ट्स की कमी के कारण बन्द हो गयी है। मेडिसिन एवं सर्जरी की आकस्मिक सेवायें संचालित की जा रही हैं। सर्जरी विभाग की आकस्मिक सेवायें सप्ताह में तीन दिन क्रमशः बुद्धवार, शनिवार तथा रविवार को बन्द चल रही हैं। न्युरोसर्जरी के केसेज देखे जा रहे हैं। आकस्मिक सेवायें एम०डी०/एम०एस० के छात्रों की सीटों की संख्या कम होने के कारण तथा आर्थोपेडिक्स विभाग में शिक्षकों के न होने के कारण यह स्थिति तीन दिन से चल रही है। इस समस्या के समाधान हेतु प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज गोरखपुर में कतिपय विभागों में नान पी०जी० रेजीडेन्ट के पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया है। इस आशय का प्रस्ताव वित्त विभाग को सहमति हेतु संदर्भित किया गया था, वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर कतिपय पृच्छायें की गयी है, जिनका निराकरण अतिशीघ्र कराते हुए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। ]

**जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र की पारा कालोनी, पारा रोड में विद्युत आपूर्ति ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जटाशंकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ लखनऊ नगर, जिसमें राजाजीपुरम क्षेत्र भी स्थित है, की विद्युत व्यवस्था लेसा के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण उपभोक्ताओं को पोषित करने वाले सेस क्षेत्र, जिसमें पारा रोड क्षेत्र भी स्थित है, का भी कार्य वर्तमान समय में लेसा द्वारा ही देखा जा रहा है। अतः पारा रोड एवं राजाजी पुरम क्षेत्र परस्पर समीप होने के कारण लेसा एवं सेस क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं का मिलाजुला क्षेत्र है। पारा रोड क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सेस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के समान की जाती है। परन्तु यह क्षेत्र लेसा द्वारा आपूर्ति किये जा रहे क्षेत्र के अत्यन्त निकट है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में उपभोक्ताओं द्वारा लेसा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष निरन्तर तुलना की जाती है। सेस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति, फतेहगंज उपसंस्थान से निकलने वाले 11 के०वी० पोषक, जिससे ग्रामीण क्षेत्र भी पोषित होते हैं, की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की भी विद्युत आपूर्ति होने, 11 के०वी० पोषक अत्याधिक लम्बा होने एवं सेस के कार्यकाल में उचित अनुरक्षण न होने के कारण विद्युत आपूर्ति में प्रायः व्यवधान होता रहता है।

शासन के निर्देशानुसार लेसा द्वारा केवल सेस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति एवं राजस्व वसूली का कार्य देखा जा रहा है, क्योंकि सेस क्षेत्र के अधिग्रहण का प्रकरण अभी तक मा० न्यायालय में लम्बित है, जिसके कारण ऐसे किसी उपभोक्ता की बिलिंग का कार्य लेसा द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिनके विद्युत संयोजन सेस खण्ड द्वारा प्रदान किये गये थे। परन्तु जिन उपभोक्ताओं के संयोजन लेसा द्वारा निर्गत किये गये है, उनकी बिलिंग लेसा द्वारा ही की जा रही है। जिन उपभोक्ताओं के संयोजन सेस खण्ड

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा निर्गत किये गये थे एवं जिनकी बिलिंग पूर्व में सेस द्वारा की जाती थी ऐसे किसी उपभोक्ता का स्थानान्तरण लेसा में नहीं किया गया है ।

दो ट्रान्सफारमरों की विद्युत आपूर्ति को राजाजीपुरम् उप संस्थान से किये जाने के संदर्भ में अवगत कराना है कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए, पूर्वी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति राजाजीपुरम उप संस्थान से की गयी है । सेस द्वारा दिये गये संयोजनों की बिलिंग का कार्य लेसा द्वारा नहीं किया जा रहा है । अतः अधिग्रहण के प्रकरण का मा० न्यायालय में लम्बित रहने तक, पारा रोड क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति राजाजीपुरम् उप संस्थान से किया जाना एवं संबंधित उपभोक्ताओं की बिलिंग का कार्य लेसा द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है । ]

**पशुपालन विभाग में निदेशक, पशुपालन द्वारा विभिन्न मदों में करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी किए जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन एवं मत्स्य मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ डा० ए० के० सिंह, निदेशक, पशुपालन का निदेशक के पद पर चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वर्ष, 1996 में किया गया था ।

2–डा० ए० के० सिंह, निदेशक, पशुपालन विभाग के विरुद्ध कतिपय जनप्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न शिकायतें की गई हैं तथा समाचार-पत्रों में भी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता आदि के समाचार प्रकाशित हुए हैं । इनमें से दो मामलों यथा कास्ट्रेटर की खरीद तथा तौलिए की खरीद के शासन स्तर पर परीक्षण में अनियमितता के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं ।

3–डा० ए० के० सिंह, निदेशक, पशुपालन विभाग की सन् 1998 में खुली सर्तकता जांच आदेशित की गई थी । जांच आख्या शासन स्तर पर सतर्कता विभाग में प्राप्त हो गई है तथा शीघ्र ही उस पर उच्चादेश प्राप्त कर निष्कर्षों से पशुधन विभाग को अवगत कराया जायेगा । इसी माह में सतर्कता जांच की आख्या एवं निष्कर्ष पशुधन विभाग को प्राप्त होने सम्भावित हैं । तदुपारान्त इस विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

4–उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

5–पशुधन विभाग के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों पर समान रूप से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है । ]

**प्रदेश के पिछड़े, निषाद, केवट, मल्लाह आदि जातियों द्वारा मत्स्य पालन एवं बालू मौरंगों को नदी से निकालने के पुराने व्यवसाय को सरकार द्वारा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तालाब, पोखरे, मीनाशय, जलाशय व नदियों में मत्स्य पालन, मत्स्य आखेट एवं नदी दल से बालू-मौरंग उत्खनन कार्य में सदियों से परम्परागत पुश्तैनी पेशेवर, जीवन वृत्ति के रूप में व्यवसाय करने वाले सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े निषाद मछुआ समुदाय, केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर, माझी, रैकवार आदि का कस्टमरी अधिकार छीनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है ।

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत खनिज सम्बन्धित प्रकरण व्यवहृत किया जाता है। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक/व्यक्तियों यथा मल्लाह, केवट, बिन्द, निषाद, माझी, बाथम, धीवर, थेमर, चाई, सुरहिया, तुरहा, रैकवार, कैवर्त, खुलवट, तियार, गोड़िया और कश्यप, जो परम्परागत रूप से नदी तल में पाये जाने वाले उप खनिज (बालू, मौरंग, बजरी व बोल्डर) के उत्खनन कार्य में लगे हुए हैं, को खनन परिहार स्वीकृत किये जाने में अधिमान प्रदान करने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में 9क एवं 53क शासकीय अधिसूचना दिनांक 27-8-1994 द्वारा समाविष्ट किये गये थे, किन्तु एक रिट याचिका संख्या–256/1997, रामचन्द्र बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 27-3-2001 को पारित निर्णय में नियमावली, 1963 के नियम 9क व 53क को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यह प्रकरण अभी मा० उच्चतम न्यायालय में लम्बित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ]

**उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय लखनऊ पर अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को उनके मूल विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत राजभर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ श्री नरेश चन्द्र पोरवाल, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे। श्री पोरवाल की सेवाओं की मांग प्रतिनियुक्ति पर तत्कालीन अधिशासी निदेशक, कल्याण निगम (श्री आर० के० दुबे) द्वारा वर्ष 1990 में विधि अधिकारी के पद के लिए की गई थी जबकि विधि अधिकारी का कोई पद विभाग में सृजित नहीं था फिर भी श्री पोरवाल को विधि अधिकारी के पद पर दिनांक 26-5-1990 को का कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तत्कालीन अधिशासी निदेशक द्वारा दी गई एवं कालान्तर में पैतृक विभाग की सहमति एवं अनापत्ति की प्रत्याशा में दिनांक 30-1-1991 के पत्र द्वारा श्री पोरवाल को सहायक निदेशक के पद पर संविलयन कर लिये जाने की सूचना दी गई। शासन द्वारा श्री पोरवाल की इस अनियमित नियुक्ति को समाप्त करते हुए उन्हें पैतृक विभाग वापस करने के शासनादेश दिनांक 30-10-1991 को दिये गये, जिसके विरुद्ध श्री पोरवाल द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया और उक्त रिट याचिका में अंतिम निर्णय दिनांक 23-3-1998 को हुआ। मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23-3-1998 के विरुद्ध एक विशेष अपील संख्या–159/98 अधिशासी निदेशक, कल्याण निगम द्वारा दायर की गई है जो मा० न्यायालय द्वारा "एडमिट" कर ली गई है एवं वर्तमान समय में मा० न्यायालय के विचाराधीन है। उक्त विशेष अपील की पैरवी अधिशासी निदेशक, कल्याण निगम द्वारा की जा रही है। विशेष अपील में निर्णय के उपरान्त ही श्री पोरवाल के मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

2–जहां तक श्री पोरवाल द्वारा 95 प्रतिशत विभागीय कार्य हथिया लिये जाने का है, यह तथ्यात्मक नहीं है बल्कि निगम द्वारा उनके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक (व्यापार) के मध्य भी वितरित किया गया है।

3–निगम के सामानों की खरीद टेण्डर पद्धति से न होकर क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त ही की जाती है। क्रय समिति का गठन शासन द्वारा किया गया है। श्री पोरवाल के विरुद्ध करोड़ों की सम्पत्ति होने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत शासन के संज्ञान में अभी तक नहीं है। इसी प्रकार शासन एवं मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिये जाने की बात भी निराधार एवं तथ्यों से परे हैं। विभागीय आडिट में

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री पोरवाल के विरुद्ध कोई अनियमितता अभी तक प्रकाश में नहीं आई है । सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की बैठक दि० 27-8-2001 में लिये गये निर्णयानुसार श्री पोरवाल को विभाग के महत्वपूर्ण कार्य दिये गये हैं । ]

**जनपद इलाहाबाद के झझरा बरिया नाला पर बने पुल की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य का मा० मंत्री के अनुरोध पर स्थगन**

**जनपद इलाहाबाद में फूलपुर–हनुमानगंज सड़क से फूलपुर शारदा सहायक ब्रांच की पट्टी पर इनायत पट्टी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि जनपद इलाहाबाद में फूलपुर ब्रान्च की पटरी का निर्माण ग्राम इनायत पट्टी तक स्वीकृत किया गया है । उक्त पटरी पर खड़ंजा स्तर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है । लेपन का कार्य अभी एक कि०मी० से ज्यादा नहीं हो पाया है, जबकि लेपन के कार्य तक के लिये वांछित धनराशि जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को अवमुक्त कर उपलब्ध करायी जा चुकी है । लेपन के कार्य को पूर्ण कराने के लिये गिट्टी व तारकोल भी गोदाम में रखा हुआ है । बड़ी-बड़ी गिट्टी पड़ी होने के कारण साइकिल, पैदल एवं मोटर गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है । आवागमन की कठिनाई होने के कारण असन्तोष की स्थिति व्याप्त है । इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

फूलपुर ब्रान्च के कि०मी० 41.70 से 47.50 तक इनायत पट्टी तक सड़क निर्माण के लिये रु० 44.70 लाख की योजना शारदा सहायक खण्ड 30 इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की गयी थी । उक्त खण्ड के जुलाई, 99 में विघटन के फलस्वरूप प्रश्नगत खण्ड के समस्त अभिलेख एवं कार्य शारदा सहायक खण्ड–39 में समायोजित हुये हैं । उक्त कार्य की लम्बाई 5.8 कि०मी० नें से 2 कि०मी० कार्य लेपन सहित पूर्ण हो चुका है । शेष 3.80 कि०मी० की रीच में आंशिक कार्य एवं लेपन का कार्य अभी शेष है । वर्षाकाल में सड़क निर्माण कार्य कराना सम्भव नहीं है । अब इस अवशेष कार्य को वर्षाकाल के पश्चात् पूर्ण कराया जायेगा । अवशेष 3.80 किलोमीटर के कार्य को अभी तक पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं । ]

**यू० पी० सबार्डिनेट सेलेक्शन कमीशन पिकअप भवन गोमती नगर द्वारा चयनित खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में श्री महबूब अली द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 5-9-2002 को नियम–51 के अन्तर्गत मा० अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को यह अवगत कराया कि यू० पी० सबार्डिनेट सेलेक्शन कमीशन पिकप भवन 5वां तल, गोमतीनगर, लखनऊ वर्ष 1996-97 में 526 खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 11-5-1996 को विज्ञापन दिया गया था, जिसमें जनपद सहारनपुर के श्री हुकुम सिंह, राम मोहन शर्मा व राजेन्द्र कुमार जो पहले से सेनेट्री इन्सपेक्टर के लिये प्रशिक्षित थे, ने भी उक्त पद पर रखे जाने हेतु माननीय राज्य लोक सेवा अभिकरण में याचिका संख्या–1043/96 योजित करके तीन पदों के लिये

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्थगन आदेश प्राप्त किया, जिसका निर्णय 30-5-2000 को नियुक्ति करने के आदेश उक्त रिट में दिये अभिकरण के आदेश के परिपालन में सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० शासन, लखनऊ 17-11-2000 को पदनाम खाद्य निरीक्षक देते हुये सभी लाभ एवं सुविधायें दिनांक 19-5-1995 से लागू करने के आदेश दिये गये। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 16-12-2000 के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर द्वारा 90 दिन का प्रशिक्षण भी दिलाया गया साथ ही महानिदेशक द्वारा 90 दिन का प्रशिक्षण भी दिलाया गया। साथ ही महानिदेशक के पत्र दिनांक 30-4-2001 को सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को तैनाती हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया। परन्तु आज तक भी उपर्युक्त खाद्य निरीक्षकों की तैनाती नहीं की गयी। उन्होंने उपरोक्त मामले में राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेशों का अनुपालन करते हुये शासन को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

2–प्रश्नगत मामले में अवगत कराना है कि श्री हुकुम सिंह व दो अन्य सेनेटरी इन्सपेक्टरों द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या–1043/96 श्री हुकुम सिंह व दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य दाखिल की गयी। उक्त निर्देश याचिका में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 30-5-2000 को याचियों को उनसे किसी कनिष्ठ के खाद्य निरीक्षक संवर्ग में आमेलित/पदनाम अभिहित किये जाने के दिनांक से खाद्य निरीक्षक के संवर्ग में याचियों को आमेलित करने तथा पदनाम अभिहित किये जाने तथा समस्त सेवा लाभों को उनसे कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकों को उपलब्ध कराये जाने की तिथि से उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये थे। मा० अधिकरण के उक्त निर्णय दिनांक 30-5-2000 के अनुपालन में शासन के आदेश दिनांक 17-11-2000 द्वारा श्री हुकुम सिंह व दो अन्य स्वास्थ्य निरीक्षकों श्री राम मोहन शर्मा व श्री राजेन्द्र कुमार को उनसे कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक श्री इन्द्रदेव मिश्र को खाद्य निरीक्षक का पदनाम दिये जाने एवं खाद्य निरीक्षक घोषित किये जाने की तिथि अर्थात् 19-5-1995 से खाद्य निरीक्षक पदनाम देते हुये उक्त निर्णय में अन्तर्निहित अन्य सभी लाभ एवं सुविधायें प्रदान करने के आदेश निर्गत किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षक के पद पर तैनात किये जाने एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन था। इस बीच दिनांक 29-3-2001 को न्याय विभाग द्वारा दी गयी परामर्श तथा दिनांक 17-4-2001 को उनके द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुपालन में मा० लोक सेवा अधिकरण के उक्त निर्णय दिनांक 30-5-2000 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–343(एस/बी)/2002 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्री हुकुम सिंह व अन्य दाखिल की जा चुकी है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। ]

**जनपद सहारनपुर में विद्युत विभाग द्वारा उद्योगों को नेस्तनाबूत किये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि० द्वारा सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं के संस्थानों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है जिसमें एम०आर०आई० प्रिन्ट पिछले पैतीस दिनों की अवधि में विद्युत उपभोग से सम्बन्धित विवरण देता है। एम०आर०आई० प्रिन्ट में विद्युत भार एवं उपभोग की गयी ऊर्जा से सम्बन्धित विवरण प्रतिदिन प्रत्येक आधे घण्टे की अवधि में उपलब्ध होता है। एम०आर०आई० प्रिन्ट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई प्रश्न नहीं उठता।

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यू०पी० इलेक्ट्रीसिटी (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कजम्पशन एण्ड यूज) आर्डर 1977 के प्राविधानों के अनुसार विरल (नॉन कान्टीन्युअस) श्रेणी की इकाइयों के लिये 01 मार्च से 30 सितम्बर तक की अवधि में 18.00 बजे से 22.00 बजे तक एवं 01 अक्टूबर से 28/29 फरवरी तक 17.00 बजे से 21.00 बजे तक विद्युत उपभोग प्रतिबन्धित है । दिनांक 21-12-2000 से पीक आवर्स/प्रतिबन्धित अवधि प्रारम्भ होने की अवधि आधे घण्टे बढ़ा दी गयी है अर्थात् 17.00 बजे के स्थान पर 17.30 बजे तथा 18.00 बजे के स्थान पर 18.30 बजे कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त पीक आवर्स/प्रतिबन्धित अवधि में अनुमन्य विद्युत उपभोग की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है ।

उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ जो दिनांक 16-09-2001 से प्रभावी है, में यह प्राविधान है कि जो उपभोक्ता पीक आवर्स/प्रतिबन्धित अवधि में विद्युत उपभोग का विकल्प नहीं देते हैं उनको अनुबन्धित भार के 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपभोग पीक आवर्स में अनुमन्य नहीं होगा । ऐसे उपभोक्ताओं से प्रतिबन्धित अवधि में 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपभोग हेतु प्रत्येक उल्लंघन के लिये अनुबन्धित भार पर रु० 75.00 प्रति केवीए की दर से पेनाल्टी चार्ज की जाती है । साथ ही उल्लंघन करने के माह में उपभोक्ता की बिलिंग प्रतिबन्धित अवधि में विद्युत उपभोग अनुमन्य किये जाने से सम्बन्धित दरों के अनुसार की जाती है ।

उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है के द्वारा निर्धारित की गयी विद्युत दरों में कोई परिवर्तन करना उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०/शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । ]

**प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों, निजी जीपों के संचालन से राज्य सड़क परिवहन निगम को हो रही करोड़ों रुपये की हानि के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी नियम 51 के अन्तर्गत नोटिस में यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों, निजी जीपों के संचालन से उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही है । मा० सदस्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सिर्फ निगम की बसों या उससे सम्बन्धित बसें ही चल सकती है परन्तु परिवहन निगम के आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 हजार छोटे-बड़े वाहन निगम के अधिकारी/कर्मचारियों, राजनैतिक नेताओं के दबाव में पुलिस की साठगांठ से अवैध सवारियां ढो रहे हैं इससे विभाग को प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है । बिना परमिट के वाहनों के चलने से भी नोटिस में अवगत कराया गया है ।

मा० विधायक द्वारा दी गयी उपर्युक्त नोटिस के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि बिना परमिट के वाहनों के संचालन के प्रकाश में आने पर जनपदों में गठित प्रवर्तन दल द्वारा चेकिंग की जाती है तथा ऐसे अनधिकृत रूप से चालित वाहनों के पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मा० सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराने के निर्देश परिवहन आयुक्त तथा परिवहन निगम को निर्गत कर दिये गये हैं। ]

**जनपद गाजीपुर के किसानों को विद्युत कनेक्शन को कामार्शियल कनेक्शन के रूप में देने से किसानों में व्याप्त रोष के संबंध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत दरें एक स्वतन्त्र संस्था उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। विद्युत दरों में परिवर्तन किया जाना उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। माननीय विधायक जी द्वारा वांछित सूचना सिंचाई हेतु ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार पोषित निजी नलकूप/पम्प सेट तथा शहरी शेड्यूल से पोषित नलकूप/पम्प सेटों की विद्युत दरों के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरें ग्रामीण शेड्यूल/शहरी शेड्यूल के अनुसार सिंचाई हेतु निजी नलकूप/पम्प सेटों के लिये जो कि 16-09-2001 से प्रभावी है जो निम्नवत् है :–

<u>1–सिंचाई हेतु ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार पोषित निजी नलकूप/पम्प सेटों की दरें</u>

I–अनमीटर्ड उपभोक्ता

| | |
|---|---|
| क–दस एचपी तक | रु० 55 प्रति बीएचपी प्रति माह |
| ख–दस एचपी से ऊपर | रु० 60 प्रति बीएचपी प्रति माह |
| | उपरोक्त के अतिरिक्त रु० 20 प्रति माह 60 वाट के दो बल्ब के प्रकाश हेतु |
| II–मीटर्ड उपभोक्ता | उपभोग की गयी ऊर्जा–70 पैसे प्रति यूनिट |
| | मिनिमम चार्जेज–रु० 50 प्रति बीएचपी प्रति माह |

<u>2–सिंचाई हेतु शहरी शेड्यूल से पोषित नलकूप/पम्प सेट की दरें</u>

| | |
|---|---|
| | उपभोग की गयी ऊर्जा–290 पैसे प्रति यूनिट |
| | मिनिमम चार्जेज–रु० 90 प्रति बीएचपी प्रति माह ] |

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद आगरा के थाना कागारौल के ग्राम वेमन में जूनियर हाई स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य द्वारा दिनांक 4-9-2002 के नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी कि जनपद–आगरा के निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत थाना कागारौल के ग्राम वेमन में प्रधान धीरेन्द्र तथा उसके परिवारीजन वीरी सिंह, छहतर सिंह आदि ने जूनियर हाई स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा करके पक्के मकान बनावा लिये हैं । जिससे बच्चों के खेलने में परेशानी होती है तथा शेष जगह पर पशुओं के बांधने से बच्चों के पढ़ने में बाधा होती है जिसकी वजह से गांव में भारी रोष व्याप्त है । कभी भी गांव में अशान्ति फैल सकती है । ग्राम प्रधान के द्वारा एक पोखर में पक्की दीवार लगाकर भी कब्जा कर लिया है ।

2–अतः प्रधान की अविलम्बन प्रधान पद से पद का दुरुपयोग करने के आरोप में प्रधान पद से हटाया जाय तथा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाय ।

3–अतः आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश करने का कष्ट करें कि जूनियर हाई स्कूल की जमीन अविलम्ब खाली करायी जाय तथा प्रधान धीरेन्द्र सिंह तथा अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय । जिससे भविष्य में ऐसी जनहित की समस्या की पुनरावृत्ति न हो सके ।

4–इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा से रिपोर्ट प्राप्त की गयी तथा दूरभाष से भी सूचना प्राप्त की गयी । जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार श्री मुखत्यार सिंह, अतर सिंह, पोहप सिंह, उप प्रधान एवं चन्द्रभान सिंह अदि की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गयी कि ग्राम–वेमन, तहसील, किरावली की जूनियर हाई स्कूल की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को तुरन्त हटाया जाय । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 25-7-2002 द्वारा उप जिलाधिकारी, किरावली तथा जिला पंचायत अधिकारी को संयुक्त रूप से जांच के निर्देश दिये गये थे तथा यह भी आदेश दिया गया था कि यदि प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किया गया हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । उक्त अधिकारियों द्वारा दिनांक 14-8-2002 को प्रस्तुत संयुक्त जांच आख्या के अनुसार भू-खण्ड संख्या–43 मिन्जुमला ग्राम वेमन में श्रेणी 6(2) में स्कूल के लिए आरक्षित है किन्तु उस पर स्कूल नहीं बना है । इस भूमि पर छीतर सिंह पुत्र नवल सिंह ने दो पक्का बरामदा, झोपड़ी एवं लड़ावनी (गोशाला) बनाकर 330 वर्ग मीटर भू-खण्ड पर कब्जा कर रखा है जो लगभग 10 वर्ष पुराना है तथा वीरी सिंह पुत्र नवल सिंह द्वारा एक पक्का मकान बोरिंग तथा उसके पश्चिम में बाउण्ड्री बनाकर 600 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर रखा है जो लगभग 10 वर्ष पुराना है । ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी पत्नी धीरेन्द्र तथा उसके परिवार का कोई कब्जा नहीं पाया गया ।

5–उक्त अवैध कब्जा को हटाने हेतु धारा 122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत तहसील किरावली के न्यायालय में मु०अ०सं०–90/2002 एवं 91/2002 प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें नियम–49(क) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 16-8-2002 को जारी की जा चुकी है तथा प्रति उत्तर

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हेतु 05-09-2002 की तिथि नियत की गयी थी । पुनः दिनांक 10-9-2002 नियत की गयी है । जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वाद का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है और न्यायालय द्वारा जारी आदेशानुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

6–जहां तक ग्राम प्रधान द्वारा पोखर में दीवाल लगा कर कब्जा करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार गाटा सं०–567 क्षेत्रफल 0.749 हेक्टेयर में 0.519 हेक्टेयर बंजर एवं 0.230 पोखर एवं गाटा सं०–569 क्षेत्रफल 0.219 हेक्टेयर पोखर दर्ज है इसके बगल से ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एक रास्ता बनाया जा रहा है जो 30 फीट चौड़ा है जिसमें तालाब की कुछ भूमि शामिल कर दी गयी है । इस निर्माण को रोकने हेतु जिलाधिकारी, आगरा द्वारा दि० 22-8-2002 को आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है तथा नियमों के विपरीत कार्य करने वाले ग्राम प्रधान वेमन को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है ।

उक्त विवाद को लेकर दोनों पक्षों में परस्पर विरोध को देखते हुए दिनांक 11-8-2002 को द०प्र०सं०–107/116 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तथा पक्षकारों को मुचलके पर पाबन्द कराया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो । स्थिति पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।]

**जनपद वाराणसी के मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड में अनधिकृत रूप से कायम जिलेदारी के सम्बन्ध में श्रीराम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड, वाराणसी के अन्तर्गत जिलेदारी के दो पद स्वीकृत हैं । इनमें एक जिलेदारी का मुख्यालय चन्दौली जनपद के मथेला एवं दूसरी जिलेदारी का मुख्यालय मुगलसराय था । वर्ष 1998 में मुख्य अभियन्ता (सोन) द्वारा आई०एम०ओ० के चैप्टर–5 के सबपैरा 103 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मुगलसराय जिलेदारी का मुख्यालय जनहित में मुगलसराय से नारायनपुर किया गया । तद्नुसार मुगलसराय मुख्यालय पर स्थित जिलेदारी नारायनपुर स्थानान्तरित हुई तथा उसमें कार्यरत समस्त कर्मचारी स्वतः समायोजित हो गए । मुगलसराय में कार्यरत जिलेदार को ही नारायनपुर में समायोजित किया गया है । वहां पर किसी नये जिलेदार की पदस्थापना नहीं की गई है । चूंकि यह जिलेदारी वर्ष 1998 में ही मुगलसराय से नारायनपुर स्थानान्तरित की जा चुकी है, अतः वर्तमान में मुगलसराय जिलेदारी को तोड़ने का न तो कोई प्रश्न है और न ही शासन को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

माह मार्च, 1999 में कार्य की अधिकता के कारण अस्थाई रूप से एक जिलेदार को मूसा खण्ड प्रखण्ड से सम्बद्ध किया गया था जिसका मुख्यालय मुगलसराय रखा गया था । वर्तमान में मुगलसराय में कोई जिलेदार कार्यरत नहीं है तथा खण्ड के समस्त राजस्व सम्बन्धी कार्य खण्ड में कार्यरत दो जिलेदारों जिनका मुख्यालय क्रमशः मथेला एवं नारायनपुर में है, के मध्य ही वितरित किए गए हैं । यह कार्य वितरण विभिन्न ग्रामों की भौगोलिक स्थिति एवं नहर प्रणाली को देखते हुए किया गया है । ]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद जौनपुर की तहसील सदर के ग्राम गौरा में सार्वजनिक भूमि पर फर्जी ढंग से नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद–जौनपुर की तहसील–सदर के ग्राम–गौरा की भूमि गाटा संख्या–629/0.30 डिसमिल राजस्व रिकार्ड में खाद गढ्ढा के नाम से अंकित है, जो नियमतः 132 की सुरक्षित आराजी मानी जा रही है । ऐसी स्थिति में भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण या कब्जा नहीं किया जा सकता ।

उक्त सार्वजनिक भूमि पर फर्जी ढंग से मुन्नी लाल पुत्र मथुरा ने चकबन्दी के सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर नाम दर्ज करा लिया । कुछ राजनीति के ऊँचे पहुँच वालों को मिलाकर उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है, चकबन्दी के बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया है क्योंकि गांव अभी चकबन्दी में है किन्तु स्थानीय पुलिस, स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्य रोक नहीं रही है । इस बात से गांव एवं आस-पास के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है क्योंकि भूमि जौनपुर, आजमगढ़ मार्ग पर स्थित है । इसकी कीमत कम से कम पचास लाख रुपये है । स्थिति गम्भीर है ।

उक्त प्रसंग में मा० सदस्य विधान सभा श्री पारसनाथ यादव द्वारा दिनांक 4-9-2002 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य के रूप में स्थिति मा० सदन पटल पर रखे जाने की अपेक्षा की गयी है ।

प्रश्नगत सन्दर्भ में चकबन्दी आयुक्त से आख्या प्राप्त की गई । चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त आख्या दिनांक 7-9-2002 के अनुसार प्रकरण में स्थिति इस प्रकार है कि ग्राम–गौरा, जिला–जौनपुर का धारा–4 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 9 जून, 2001 को हुआ है लेकिन स्टाफ की कमी के कारण ग्राम में चकबन्दी की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है ।

उपरोक्तानुसार ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत आ चुका है इसलिए अधिनियम की धारा–5(ग) के अन्तर्गत मुन्नी लाल पुत्र मथुरा निवासी गौरा ने दिनांक 30-7-2002 को एक प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत किया कि खाता संख्या–448 के गाटा संख्या–629 रकबा 0-121 एअर अर्थात् 0-30 डिसमिल श्रेणी–1 में उसके नाम दर्ज है, इसलिए गाटा संख्या–629 के 0-10डि० पर भवन निर्माण की उसे अनुमति दी जाए । अभिलेखीय स्थिति एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या दिनांक 31-7-2002 के आधार पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर द्वारा मुन्नी लाल पुत्र मथुरा निवासी ग्राम–गौरा को दिनांक 2-8-2002 को भवन निर्माण की अनुमति दे दी गयी । श्रीमती अनीता सिंह, ग्राम प्रधान के पत्र दिनांक 17-8-2002 जिसमें कहा गया है कि श्री मुन्नी लाल पुत्र मथुरा का नाम गाटा संख्या–629 पर फर्जी तौर पर दर्ज है इसलिए उनके द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोका जाय । श्रीमती अनीता, ग्राम प्रधान के प्रार्थना-पत्र पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर ने भवन निर्माण के लिए दी गई अनुमति को अग्रिम

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आदेश तक स्थगित कर दिया तथा दिनांक 26-8 -2002 को थाना–गौरा बादशाहपुर को निर्देशित किया गया कि गाटा संख्या–629 पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकवा दें ।

उक्त सन्दर्भ में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्होंने भी दिनांक 26-8-2002 को मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रोकवा दिया है और निर्माण कार्य रुका है ।

चूँकि, अभिलेखीय स्थिति के अनुसार वर्तमान में गाटा संख्या–629 रकबा–0-121 एअर अर्थात् 0-30 डि० मुन्नी लाल पुत्र मथुरा के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है इसलिए श्रीमती अनीता सिंह, प्रधान ग्राम सभा गौरा के प्रार्थना-पत्र पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई हेतु दिनांक 7-9-2002 को तिथि नियत की गयी है । कलेक्टर तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर को पत्र दिनांक 6-9-2002 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उभय पक्षों को सुनकर तथा अभिलेखों का परीक्षण कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें । विधिवत सुनवाई के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि गाटा संख्या–629 पर मुन्नी लाल पुत्र मथुरा का नाम फर्जी तौर पर दर्ज है, तो उसे अवैध घोषित करते हुए अब तक हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया जायेगा तथा गाटा संख्या–629 पर फर्जी ढंग से नाम दर्ज करने वाले सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । ]

**जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी में सड़क सम्पर्क मार्ग एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश चौरसिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन**

**जनपद फैजाबाद के परिवहन निगम के प्रभारी सेवा प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं वित्तीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ उ०प्र० परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला, फैजाबाद के कर्मचारियों को दिनांक 14-11-2001 को दीपावली पर्व एवं रक्षा बन्धन, 22-8-2002 को देय अवकाश से वंचित किये जाने तथा श्री विमल प्रसाद और श्री अवधेश कुमार, जूनियर फोरमैन को घर में बैठे वेतन भेजने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संदर्भ में अवगत कराना है कि परिवहन निगम में क्षेत्रों की कार्यशालाओं के लिये एक वर्ष में कुल 10 अवकाश देय हैं जिसमें से 8 पूर्व निर्धारित राष्ट्रीय अवकाश एवं पर्व हैं, शेष 2 दिवस कर्मचारियों से विचार विमर्श के उपरान्त उनकी सहमति के आधार पर अवकाश मानाने के निर्देश हैं । वर्ष 2001 में दीपावली परेवा का अवकाश परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा दिनांक 15-11-2001 को किया जाना था, परन्तु क्षेत्रीय कार्यशाला, फैजाबाद के अधिकांश कर्मचारी दिनांक

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

14-11-2001 को उपस्थित नहीं हुये । नियमानुसार अगले दिन 15-11-2001 को अवकाश होना चाहिए था अतः दिनांक 14-11-2001 को अनुपस्थित जिन कर्मचारियों ने प्रार्थना-पत्र दिया उनको अवकाश स्वीकृत कर दिया गया । कर्मचारियों की धार्मिक भावना के ठेस पहुँचने के प्रश्न पर अवगत कराना है कि निगम का संचालन आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आता है तथा त्योहारी एवं राष्ट्रीय पर्वो के दिन भी कर्मचारियों को कार्य पर आना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें नियमानुसार अवकाश आदि दिया जाता है । फैजाबाद क्षेत्र के कार्यशाला कर्मचारियों को वर्ष 2001 में सवेतन अनुमन्य 10 अवकाश दिये जा चुके हैं । दिनांक 22-8-2002 को पड़े रक्षाबंधन के अवकाश के सम्बन्ध में इंगित करना है कि यह पर्व निगम मुख्यालय द्वारा जारी अवकाश सम्बन्धी परिपत्र में 8 आवश्यक अवकाशों में सम्मिलित नहीं है तथा फैजाबाद क्षेत्र की कार्यशाला के कर्मचारियों की सहमति इस अवकाश के सम्बन्ध में नहीं बनी थी । अतः दिनांक 22-8-02 को क्षेत्रीय कार्यशाला में अवकाश दिया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

2–श्री विमल प्रसाद और श्री अवधेश कुमार जूनियर फोरमैन को बिना काम लिए वेतन देने के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों जूनियर फोरमैन कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे तथा इनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें थीं । जिसके कारण इनके विरुद्ध आदेश प्रशासनिक आधार पर किया गया । यद्यपि यह उक्त दोनों जूनियर फोरमैन कार्यशाला आते रहे एवं उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर भी करते रहे जिन्हें नियमानुसार वेतन भी दिया गया । कालान्तरण में एक फोरमैन श्री विमल प्रसाद को, क्षेत्र से बाहर मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया, दूसरे फोरमैन, श्री अवधेश कुमार अभी भी वहां कार्यरत हैं । सेवा प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में भविष्य में दोषी एवं अकर्मण्य कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय ।]

**जनपद शाहजहांपुर के नवसृजित ब्लाक मदनापुर को तुरन्त चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा जनहित में ब्लाक की बिल्डिंग निर्माण होने तक स्टाफ की नियुक्ति करके किसी भवन को किराये पर लेकर ब्लाक के द्वारा प्रस्तावित विकास कार्य को जारी रखने के सम्बन्ध में बिन्दु उठाया गया है ।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि जनपद शाहजहांपुर में नवसृजित विकास खण्ड मदनापुर के सृजन विषयक अधिसूचना दिनांक 9-10-2001 को जारी की जा चुकी है । उक्त विकास खण्ड के भवन के निर्माण एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही की जा रही है । पदों का सृजन होते ही ब्लाक में इनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी । इसके पश्चात जिलाधिकारी को इस आशय के निर्देश जारी कर दिये जायेंगे कि भवन निर्माण पूर्ण होने तक किसी भवन को किराये पर लेकर कार्य संचालित करें ।]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिकों/प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान दिलाये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ माननीय सदस्य द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव शिक्षा के हस्ताक्षरयुक्त शासनादेश सं०–4307/15-8-3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के बिन्दु ''ख'' के प्रस्तर–1 के अनुसार प्रदेश के राजकीय शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान एवं चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने का प्राविधान किया गया है किन्तु विभागीय अधिकारियों की मनमानी के कारण प्रदेश के राजकीय शिक्षकों/प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान पर्याप्त विलम्ब के पश्चात् भी अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है ।

उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि शिक्षा विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 20-12-2001 के बिन्दु ''ख'' के प्रस्तर–1 के अनुसार माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है ।

राजकीय विद्यालयों में एल०टी० शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के संबंध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित किये जाने का प्राविधान है । जो शिक्षकों की उपयुक्ता पर विचार कर अपनी संस्तुति देती है । इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जाते हैं । शासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी०शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है जबकि इन शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गई हो ।

शासनादेश में निहित प्रतिबन्धों के अधीन राजकीय शिक्षकों/प्रवक्ताओं के चयन वेतनमान सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जा रहे हैं । कतिपय शिक्षकों के प्रोन्नति वेतनमान के प्रकरण अपूर्ण होने के कारण उनकी पूर्ति हेतु संबंधित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/संबंधित अधिकारी से वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं । प्रकरण पूर्ण होते ही चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर स्वीकृत आदेश निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । ]

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार तीन पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ माननीय सदस्य द्वारा नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के लिए मा० मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करते हुये पेयजल योजना फेनहा, रत्तीपुर तथा अन्य तीन स्थानों के लिए पेयजल योजनाओं की घोषणा की थी । जहां पर कुंओं के प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोग

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

फैलने की शिकायतें तथा लोगों की मौंते हो गयी थीं । बरसात में बाहर के पानी आ जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, हैण्ड पम्पों की समुचित व्यवस्था नहीं है जो है भी उनका जल प्रदूषित है । स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जनस्वास्थ्य प्रभावित है ।

2–इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील की सभी आबाद बस्तियों को भारत सरकार के मानक के अनुसार 250 की जनसंख्या पर एक हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराकर पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है । मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा पट्टी तहसील में 5 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की स्थापना की घोषणा वर्ष 2001 में की गई थी, जिसके अनुपालन में बहुग्रामी योजनाओं का प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया गया । प्राक्कलन को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तकनीकी समिति द्वारा एकल ग्राम योजनाओं को रख-रखाव एवं संचालन में अधिक उपयुक्त पाये जाने के कारण एकल ग्राम योजनाएं विरचित करने के निर्देश दिये गये ।

3–संबंधित ग्रामों के पेयजल के सभी स्रोतों के पानी की रसायनिक जांच कर गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत समिति के निर्देशानुसार विस्तृत प्राक्कलन बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

| क्र० सं० | योजना का नाम | संभावित अनु० लागत (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 1 | हरीपुर बरदैता | 28.10 |
| 2 | बारीकलां | 29.76 |
| 3 | सरायमघई | 28.50 |
| 4 | फेनहा | 30.54 |
| 5 | रत्तीपुर | 27.80 |

4–उपरोक्त योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा । समिति के अनुमोदनोपरान्त तद्नुसार यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी । ]

**प्रदेश सरकार के प्रवेश कर की नीति के कारण पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है कि पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग के रूप में है लेकिन सरकार के प्रवेश कर की संबंधित नीति के कारण यह उद्योग विनाश की कगार पर पहुंच गया है, परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश का यह प्रमुख उद्योग अपने अस्तित्व को खो रहा है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विडम्बना यह है कि उत्तर प्रदेश में कागज के प्रवेश पर कर नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रकाशक बाहर से कागज खरीद कर और उसे वहीं की प्रेस में छपवाकर छपे हुए पुस्तक के रूप में उसको प्रदेश में लाता है तो प्रदेश में प्रवेश कर देना पड़ता है।

जबकि यहां लाकर वह उसे पुस्तक के रूप में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराता है ।

यह विसंगति है कि सामान्य कागज पर प्रवेश कर नहीं और उसी छपे कागज पर प्रवेश कर और फिर व्यापार-कर भी ।

उपरोक्त के संबंध में स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत "समाचार पत्र के कागज को छोड़कर सभी प्रकार का कागज" पर प्रवेश कर देय है तथा छपी हुई पुस्तक पर प्रवेश कर की देयता नहीं है । इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि कागज के प्रवेश पर कर नहीं है, परन्तु यदि कोई प्रकाशक बाहर से कागज खरीद कर और उसे वहीं की प्रेस में छपवाकर छपी हुई पुस्तक के रूप में उसको प्रदेश में लाता है तो प्रदेश में प्रवेश कर देना पड़ता है ।

सामान्य कागज पर प्रवेश कर नहीं होने और उसी छपे कागज पर प्रवेश कर और फिर व्यापार कर भी होने की कथित विसंगति के संबंध में स्थिति यह है कि सामान्य कागज पर प्रवेश कर देय हैं तथा मुद्रित कागज विधिक दृष्टिकोण से सभी प्रकार के कागज के अन्तर्गत आता है । प्रवेश कर अदा किए गए कागज की पुनः बिक्री पर अथवा प्रवेश कर अदा किए गए कागज से निर्मित उत्पाद पर वर्तमान में व्यापार कर से छूट है । ]

**जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट के अन्तर्गत शुक्लागंज के मोहल्ला कंचननगर में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोउद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ पुलिस अधीक्षक उन्नाव से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री उदयराज यादव पुत्र माता सरन यादव निवासी कंचननगर थाना गंगा घाट उन्नाव द्वारा तहरीरी सूचना पर मु०अ०सं० 164/02 धारा 457/38 भा० दं० वि० दिनांक 8-4-2002 को पंजीकृत हुआ था, जिसमें माल मसरूका रायफल 315 बो संख्या–0196, कारतूस 60, जेवरात व नकदी 20,000/- रुपये उल्लिखित रहा है, तथा इसी घटना क्रम में श्री राम प्रकाश वर्मा पुत्र बसन्त लाल निवासी कंचननगर द्वारा भी तहरीरी सूचना पर मु० अ० सं०–171/02 धारा 395/397 भादंवि का अभियोग बनाम अज्ञात 6 व्यक्ति पंजीकृत हुआ । उक्त दोनों अभियोगों की विवेचना थानाध्यक्ष गंगाघाट द्वारा की गयी । दिनांक 3-6-2002 को थानाध्यक्ष गंगाघाट श्री पन्ना लाल सरोज द्वारा अभियुक्त अनीस लंगड़ा पुत्र बाबू खां निवासी कंचननगर 6 खम्भा शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव व जिया लाल पुत्र चन्द्रिका मल्लाह निवासी सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट उन्नाव को उक्त दोनों अभियोगों में वापर्दा गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने इकबाल जुर्म करते हुए अपने सह अभियुक्तों का नाम पक्का उर्फ अश्फाक पुत्र महमूद निवासी मगरवारा थाना कोतवाली उन्नाव, अशोक कबाड़ी पुत्र बच्चूलाल निवासी–लूलीपुरवा थाना गंगाघाट उन्नाव, राकेश मल्लाह पुत्र देवी मल्लाह निवासी

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट उन्नाव व एक अन्य साथी जिसका नाम अशोक व राकेश जानते हैं बताया कि लूट के हिस्से में 5-5 हजार रुपया खर्च हो गये हैं तथा रायफल व जेवर अशोक, राकेश के पास है।

अभियुक्त अशफाक उर्फ पक्का पुत्र महमूद थाना कोतवाली उन्नाव को दिनांक 14-6-2002 को गिरफ्तार किया गया जिसने इकबाल जुर्म किया। विवेचना के क्रम में जानकारी हुई कि अभियुक्त अनीश, पक्का उर्फ अशफाक का नाम दुश्मनी के कारण बताया था। घटना के दिन पक्का उर्फ अशफाक एक अन्य मुकदमें में जेल में था। अतः दिनांक 18-7-2002 को धारा 160 सी० आर० पी० सी० में दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त राकेश ने दिनांक 16-7-2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, अभियुक्तगण जियालाल व अनीश की दिनांक 27-7-2002 को कार्यवाही शिनाख्त करायी गयी परिणाम शून्य होने पर धारा 169 सी० आर० पी० सी० में रिहा किये गये। अभियुक्त राकेश ने जुर्म से इंकार किया। अभियुक्त अशोक कबाड़ी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी रखते हुए चोरी में लूटी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु विवेचना थानाध्यक्ष गंगाघाट को निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त घटना को लेकर थाना क्षेत्र गंगाघाट में व पूरे जनपद उन्नाव में जनता में किसी प्रकार का भय, असंतोष, रोष व क्षोभ के वातावरण का माहौल नहीं है क्षेत्र की जनता में पूर्णरूपेण शान्ति, पुलिस के प्रति विश्वास एवं अमन चैन का वातावरण है। दिनांक 25-8-2002 को संचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा थाने का घेराव अथवा धरना प्रदर्शन नहीं किया गया है। ]

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई मेरठ के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों में अधिकांश चीनी मिलें बहुत ही पुरानी, अलाभकारी एवं कम पेराई क्षमता की हैं। अधिकांश मिलों की उत्पादन लागत चीनी विक्रय मूल्य से अधिक होने के कारण चीनी मिलें अत्यधिक हानि में चल रही हैं। निगम के निरन्तर बढ़ते हुए घाटे को नियंत्रित करने के लिये निगम की कार्यरत 33 मिलों में से अत्यन्त घाटे की 11 मिलों को स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है। बन्द चीनी मिलों के कर्मचारियों को वी० आर० एस० योजना के अन्तर्गत लाभ दिया गया है। लगभग 92 प्रतिशत कर्मचारियों ने वी० आर० एस० का विकल्प चुन लिया है। चीनी निगम की इन इकाईयों का निजीकरण बी० आई० एफ० आर० द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। वी० आर० एस० का विकल्प न स्वीकार करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

2–राज्य चीनी निगम की बन्द इकाईयों में मेरठ भी सम्मिलित है जिसे वर्ष 1999-2000 में स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था। मेरठ चीनी मिल के कर्मचारियों को निम्नवत् वी० आर० एस० योजना के अन्तर्गत लाभ दिया गया है।

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

| इकाई का नाम | कुल कर्मचारियों की संख्या | | वी० आर० एस० लेने वाले कर्मचारियों की संख्या | | वी० आर० एस० न लेने वाले कर्मचारियों की संख्या | | वी० आर० एस० ले चुके कर्मचारियों की संख्या | | योग | वी० आर० एस० ले चुके कर्मचारियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्था० | सीजनल | स्था० | सीजनल | स्था० | सीजनल | स्था० | सीजनल | | |
| मेरठ | 207 | 162 | 135 | 138 | 72 | 24 | 135 | 138 | 273 | 73.98% |

3–वी० आर० एस० का विकल्प न देने वाले 72 स्थायी कर्मचारी जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत इकाई के बन्द होने की तिथि से यथा सम्भव नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जाती रही है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में निगम की आर्थिक स्थिति विषम होने के कारण मिल बन्द होने के माह नवम्बर, 1999 से मार्च 2002 तक का वेतन भुगतान ही किया जा सका है। निगम की चालू इकाईयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक चीनी विक्रय का कोटा अवमुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है तथा चालू इकाईयों की शीरा विक्रय की कार्यवाही भी की गयी है जैसे ही इन दोनों कार्यवाहियों के आधार पर अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी मेरठ इकाई के कर्मचारियों के वेतन हेतु भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी। ]

**इलाहाबाद महानगर में जलापूर्ति की समस्या के समाधान हेतु द्वितीय वाटर वर्क्स निर्माण के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत द्वारा दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, मा० सदस्य द्वारा दिनांक 4-9-2002 को नियम–51 के अन्तर्गत निम्न सूचना दी गयी है :–

"इलाहाबाद महानगर प्रदेश का प्रमुख शहर है। यहां अनेकों प्रमुख कार्यालय स्थित है। 5 विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, कई महाविद्यालय एवं कालेजों में हजारों की संख्या में देश व प्रदेश के छात्र-छात्रायें अध्ययन करते हैं। शहर के अनेकों क्षेत्र में पानी की गम्भीर समस्या रहती है जिसके कारण जनता को कठिनाई होती है तथा उसमें रोष व्याप्त है। इलाहाबाद में द्वितीय वाटर वर्क्स स्वीकृत हुआ था, परन्तु धन स्वीकृत न होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। जलापूर्ति की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु द्वितीय वाटर–वर्क्स अविलम्ब निर्माण कराया जाये, इस हेतु नगर विकास-आवास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।"

उपरोक्त के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि इलाहाबाद नगर में द्वितीय जलकल के निर्माण हेतु रु० 17.44 करोड़ की योजना का विरचन किया गया है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्य प्रस्तावित है :–

(1) इन्टेक्वेल–60 एम०एल०डी० क्षमता

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) स्वच्छ जलाशय कम जोनल पम्पिंग स्टेशन–2 नग

(3) भारद्वाज आश्रम के जोनल पम्पिंग स्टेशन के पम्पस् का रिप्लेसमेंट

(4) शिरोपरि जलाशय–1 नग

(5) नलकूप–2 नग

(6) वितरण प्रणाली के कार्य

इलाहाबाद नगर को जलापूर्ति हेतु जोन में बांटा गया है । रिवर जोन हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता 130 एम० एल० डी० उपलब्ध है जबकि वर्तमान में केवल 70 एम०एल० डी० कच्चा जल ही नदी से लिया जाता है । कच्चे जल की मात्रा बढ़ाने हेतु नये इन्टेक्वेल, जिसकी क्षमता 60 एमएलडी होगी, बनाने का प्रस्ताव है । शासन द्वारा इस योजना के कार्यों हेतु वर्ष 1996 में रु० 95.00 लाख तथा 1999 में 119.91 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है किन्तु प्रस्तावित योजना सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण उसका कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

उ० प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 114(7) के अन्तर्गत जलकलों का प्रबन्धन एवं सम्भारण, पर्याप्त जल सम्भरण के लिये नये कार्यों का निर्माण नगर निगम का कर्तव्य है परन्तु नगर निगम इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ऋण लेने को सहमत नहीं है ।

वर्तमान में नगर विकास विभाग में सामान्य पेयजल हेतु कोई बजट प्राविधान नहीं है । अतः अवशेष धनराशि की स्वीकृति सम्भव नहीं है । अतः प्रस्तावित जलकल निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन स्तर पर एक बैठक कर विचारोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । ]

**जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ में सूखे की स्थिति को देखते हुए विद्युत आपूर्ति की समय–सीमा को बढ़ाये जाने के संबंध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सीमित संसाधनों के कारण, शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 1-4-2002 से सेन्ट्रल सेक्टर के विद्युत गृहों से विद्युत का आयात निगम की भुगतान क्षमता के अनुसार ही किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 08 घंटे विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है ।

वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 08 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है । खराब नलकूपों को युद्धस्तर पर ठीक कराया गया है । सिद्धार्थनगर के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि यदि कोई राजकीय नलकूप विद्युत दोष से बन्द हो तो तत्काल ठीक कराये ताकि सिंचाई कार्य में बाधा न हो । ]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन लगने वाली बाजारों की आय कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने के संबंध में श्रीमती अरुणा तोमर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य विधना सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 4-9-2002 में मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी सीमा का विस्तार करते हुए ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत बाजारों की तहबाजारी का ठेका स्वयं उठाना शुरू कर दिया है । इससे होने वाली आय न तो ग्राम पंचायत खाते में जमा की जाती है और न ही गांव में कोई विकास कार्य कराये जाते हैं । प्राधिकरण का यह कार्य संविधान के 73वें संशोधन का उल्लंघन है तथा ग्रामों में लगने वाली बाजारों से होने वाली आय ग्राम पंचायतों को ही मिलनी चाहिये ।

जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार तहसील कानपुर नगर के 360 ग्रामों में 290 ग्राम कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत राजस्व अनुभाग–1 के आदेश संख्या–68/3-2(6)1979. रा–1, दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के क्रम में निहित हुये थे । इन ग्रामों को समस्त ग्राम समाज की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा–117 (2) उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अवक्षेपित होकर कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो गयी है और इसके साथ ही समस्त ग्राम सभा भूमि की व्यवस्था का भार ग्राम सभा से स्थानान्तरित होकर कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो गया, जिसके फलस्वरूप कानपुर नगर की सीमा के अन्तर्गत ग्रामों में लगने वाली हाट बाजारों, तालाबों आदि की नीलामी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है । किन्तु प्राप्त धनराशि का उपयोग कानपुर विकास प्राधिकरण ग्राम पंचायतों में न कर अन्य कार्यों में कर रही है । जिलाधिकारी, कानपुर नगर से प्राप्त सूचनानुसार निम्नांकित ग्राम पंचायतों में मात्र कैंधा व टौंस को छोड़कर सभी ग्रामों में बाजारों की नीलामी लगभग रुपये एक लाख से ऊपर है :–

1–खेरसा

2–सचेण्डी

3–बगदौधी बांगर

4–सिंहपुर कछार

5–सरसौल

6–भैलामऊ

7–मंझावन

8–कैंधा

9–टौंस

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 17-9-1998 को बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि इन ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण प्रस्ताव तैयार करेंगे तथा इन ग्रामों में निर्वाचित ग्राम प्रधानों से सीधे संवाद हेतु व्यवस्था का गठन करेंगे । जहां तक कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत ग्रामों में नीलामी से प्राप्त धनराशि संबंधित ग्राम पंचायतों को विकास कार्य हेतु दिलाने का प्रश्न है, यह अभी विचाराधीन है । ]

**जनपद बाराबंकी की रसौली में जामियां अरबिया मदानातुल उलूम नामक संस्था के शिक्षकों को जम्मू कश्मीर चुनाव में भेजे जाने से रोकने के संबंध में श्री छोटे लाल यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ रसौली जनपद बाराबंकी में जामियां अरबिया मदानातुल उलूम नामक संस्था में कुल 15 अध्यापक प्रधानाचार्य सहित हैं । मा० सदस्य ने नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से यह अनुरोध किया था कि सारे अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी में न भेजकर आधे अध्यापकों को भेजा जाय और आधे अध्यापकों से संस्था का शिक्षण कार्य कराया जाय । उक्त संस्था के सात अध्यापकों को चुनाव डियूटी से मुक्त कर दिया गया है । अब इस संस्था के केवल आठ अध्यापकों की ड्यूटी लगी है । ]

**जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज क्षेत्र में ए० सी० सी० प्लान्ट लगाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण से ग्रामवासियों में उत्पन्न बीमारियों के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज क्षेत्र के टिकरिया ग्राम में मै० ए० सी० सी० सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित है । इस उद्योग द्वारा क्लिंकर की ग्राइडिंग कर सीमेन्ट तैयार किया जाता है जिसके उत्पादन की क्षमता 6 लाख टन प्रतिवर्ष है । बोर्ड द्वारा उद्योग के परिसर के 200 मीटर की दूरी पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण 30 अगस्त, 2002 में आठ-आठ घंटे के अन्तराल में तीन बार किया गया । परिवेशीय वायु गुणता में एस० पी० एम० (सस्पेन्डेड पर्टिकुलेट मैटर) क्रमशः 172.00, 131.00 व 149.00 माइक्रोग्राम प्रति घ० मी० पायी गयी जो कि इस क्षेत्र हेतु निर्धारित मानक 500 माइक्रोग्राम प्रति घ० मी० से बहुत कम है । जहां तक उद्योग से वायु प्रदूषण का सवाल है, के बारे में अवगत कराना है कि इस उद्योग से जनित प्रक्रिया उत्सर्जन जैसे क्लिंकर ग्राइडिंग, पैकिंग, स्टोरेज आदि से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे बैग फिल्टर स्थापित है । अतः उद्योग से जनित वायु प्रदूषण से आस-पास के आबादी पर बीमारी फैलने की संभावना नहीं है । इस क्षेत्र में उद्योग के कारण बीमारियों के फैलने की कोई सूचना भी नहीं प्राप्त हुई है ।

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपरोक्त के अलावा उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई० आई० ए०) कराया गया है। इस अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र के समीप की वायु गुणता प्रचलित मानकों के अनुरूप है। प्लाण्ट के चारों ओर एक कि० मी० क्षेत्र, जिस पर उद्योग के वायु उत्सर्जन का कुछ प्रभाव हो, में कोई आबादी नहीं है एवं समीप की वायु गुणता एवं उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही है। साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्र भी ए० सी० सी० प्लान्ट के उत्पादकों से प्रभावित नहीं होते हैं। उद्योग के कारण क्षेत्र के विकास के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिलाधिकारी द्वारा भी लोक सुनवाई की प्रक्रिया दिनांक 16-8-2001 को सम्पन्न करायी गयी थी, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या विद्यमान नहीं है। ]

**लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती गीता सिंह निवासी–जानकीपुरम लखनऊ को भवन आवंटित न किये जाने के संबंध में श्री जगदीश सोनकर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत द्वारा दी गयी सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली–1958 के नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य, विधान सभा श्री जगदीश सोनकर द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती गीता सिंह निवासी–जानकीपुरम लखनऊ को भवन आवंटित न किये जाने के संबंध में दिनांक 05-09-02 को सूचना दी गयी है।

मा० सदस्य के द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 28-05-1998 को लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना के अन्तर्गत पूर्व में कराये गये पंजीकरण के विरुद्ध कैश सेल के आधार पर श्रीमती गीता सिंह को प्रियदर्शिनी योजना में 200 वर्ग मीटर का भूखण्ड संख्या 4/8बी आवंटित किया गया था। श्रीमती सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड के मद में रु० 3.00 लाख लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाते में जमा किया गया था, किन्तु उक्त भूखण्ड के ऊपर से हाईटेन्शन लाइन जाने के कारण श्रीमती गीता सिंह को दिनांक 19-02-2000 को एक पत्र भेजते हुए जानकीपुरम विस्तार योजनान्तर्गत भूखण्ड के समायोजन हेतु उनसे सहमति मांगी गयी थी। श्रीमती सिंह की सहमति प्राप्त न होने के बावजूद भी इनके लिये जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर–7 में भूखण्ड संख्या–623 आरक्षित कर दिया गया है।

कृपया उपरोक्त स्थिति से मा० सदन अवगत होने का कष्ट करें। ]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–62, मद संख्या–63, मद संख्या–64, मद संख्या–65 के वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़े हुये माने गये।)

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**समाज कल्याण विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों से उनके पद के अनुरूप कार्य न लिये जाने के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के तहत समाज कल्याण विभाग में वर्ष 1998 में 60 पदों का विज्ञापन कर 60 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था । उत्तरांचल राज्य का गठन होने के कारण 6 पद उत्तरांचल राज्य में चले जाने के फलस्वरूप केवल 54 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई तथा 01 पद मृतक आश्रित से भरा गया । इस प्रकार कुल 55 कनिष्ठ लेखा लिपिकों को प्रदेश के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में तैनात किया गया है । जनपद में तैनात कनिष्ठ लेखा लिपिकों से कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उनसे उनके पद के अनुरूप कार्य नहीं लिया जा रहा है ।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री राम नरेश यादव, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा प्रथम बार यह बिन्दु उठाया गया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए निदेशक, समाज कल्याण द्वारा संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों/जिलाधिकारियों को इस आशय का पत्र निर्गत कर दिया गया है कि वे कनिष्ठ लेखा लिपिक से उनके पद के अनुरूप कार्य करायें । ]

**आटो ट्रैक्टर्स लि० के छटनी शुदा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के संबंध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री विश्राम सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा उल्लेख किया गया है कि ए०टी०एल० के छटनीशुदा कर्मचारियों जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये गये हैं, को वित्त विभाग की सहमति से वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है । इससे उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात ए०टी०एल० के छटनीशुदा कर्मचारियों को आर्थिक हानि हो रही है ।

(2) उक्त प्रसंग में निवेदन है कि कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या : 3/3/3/91–का०–2/93, दिनांक 11 नवम्बर, 1993 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि ए०टी०एल० की सेवा में कार्मिकों को आहरित अन्तिम वेतन को संरक्षण प्रदान किया जायेगा जिसके विषय में वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे । उक्त आदेशों के अनुपालन में सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–4 के पत्र संख्या–2667/बीस–ई–4–2000, दिनांक 12 सितम्बर, 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त शाखा अधिष्ठान अनुभागों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे उ० प्र० सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किये गये विभिन्न

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपक्रमों/निगमों के छटनीशुदा कर्मियों को उनके पैतृक विभाग से जारी मूल अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उस पर नियमानुसार कार्यवाही अपने स्तर से करें। उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1758/बीस–ई–4–2002, दिनांक 8 मई, 2002 द्वारा सचिवालय के समस्त शाखा अधिष्ठान अनुभागों को पुनः निर्देशित किया गया।

(3) उपर्युक्त आदेशों के क्रम में ए०टी०एल० के छटनीशुदा कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु प्रकरण वित्त विभाग की सहमति हेतु संदर्भित किया गया। वित्त विभाग ने परामर्श दिया है कि जो कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01-01-96 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत थे उन्हें ही वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–प०मा०नि०–357/दस–21(एम)/97, दिनांक 31-12-97 में निहित प्रक्रिया के अनुसार उनके मूल वेतन का 40 प्रतिशत अंश जोड़कर पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01-01-96 से वेतन निर्धारित किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रश्नगत मामले में ए०टी०एल० के छटनीशुदा **कर्मचारी** दिनांक 01-01-96 को राज्य सरकार की सेवा में नहीं थे और वे उक्त तिथि के बाद ही राज्य सरकार की सेवा में आए हैं। चूंकि उनकी नियुक्ति दिनांक 01-01-96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में हुई हैं अतएव उन्हें उक्त शासनादेश दिनांक 31-12-97 में निहित प्रक्रिया के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

वित्त विभाग के उपर्युक्त परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए ए०टी०एल० के छटनीशुदा कर्मचारियों जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए गए हैं, को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। ]

**लखनऊ के के०जी०एम०सी० में चयनित डाक्टरों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कालेजों में मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्तियां न होने के कारण उनकी मान्यता खतरे में पड़ गयी हैं। यहां तक की गोरखपुर मेडिकल कालेज में 45 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया ने उनकी मान्यता समाप्त करने के लिए नोटिस भी दे दी है। के०जी०एम०सी० लखनऊ के सर्जरी विभाग में रिक्त पदों जिनकी संख्या–16 है की आवश्यकता है, लगभग 8 महीने हो चुके हैं 5 शिक्षकों का चयन हुआ था और 5 माह पूर्व उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी निर्गत हो गये किन्तु इन लोगों को आज तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया। के०जी०एम०सी० में न्यूरोलाजी विभागी में इसी तरह के मामले में मा० उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता। यह नियुक्तियां न होने से मेडिको छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन पर गंभीर प्रभाव तो पड़ रहा है साथ ही के०जी०एम०सी० की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–इस संबंध में अवगत कराना है कि बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर में 45 शिक्षकों के पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर में आपातकालीन सेवायें उपलब्ध कराने और उनकी निरन्तरता को बनाये रखने के उद्देश्य से प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज गोरखपुर ने कतिपय विभागों में नान पी०जी० रेजीडेन्ट के पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया है। इस आशय का प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति हेतु संदर्भित किया गया था, वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर कतिपय पृच्छायें की गयी है जिनका निराकरण अतिशीघ्र कराते हुए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त के०जी० मेडिकल कालेज लखनऊ में शिक्षकों की नियुक्तियां लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा की जानी अपेक्षित है। ]

**जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में यू०पी० प्रोजेक्ट द्वारा व्यापक धांधली किये जाने के संबंध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ श्री बैजनाथ दुबे, मा० विधायक कटरा बाजार गोण्डा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में विधायक निधि पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि को यू०पी० प्रोजेक्ट्स इकाई फैजाबाद में सम्पूर्ण धनराशि निकाल कर गबन कर ली गई है तथा प्रकरण की जांच अधिकारियों की एक कमेटी से कराये जाने की मांग की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की जानकारी प्रस्तुत सूचना के माध्यम से प्राप्त हुई है तथा प्रकरण दो विभागों यथा ग्राम्य विकास विभाग तथा नियोजन विभाग से संबंधित है। अतः इस संबंध में तत्काल जांच कराये जाने के निर्देश मण्डलायुक्त, देवीपाटन को दे दिये गये हैं। ]

**जनपद गोण्डा में दो विभागों के झगड़े के कारण अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों का कार्य न होने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन**

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–66 को स्थगित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–67, मद संख्या–68 के वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

**जनपद मेरठ में नालों की सफाई एवं पानी की निकासी की सुविधा ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 05-9-2002 में मुख्य बिन्दु यह उठाये गये हैं कि सम्पूर्ण प्रदेश में जल निकासी व्यवस्था ठीक न होने के कारण जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और सड़कों का टूटना भी सामान्य जनता के सामने एक गंभीर समस्या है। शहरों में नालों का बिना समूचित व्यवस्था किये सीवर से जोड़ दिया जाता है जिसके कारण नालों के ओवर फ्लो को सीवरों से निकालने का प्रयास किया जाता है जिससे सीवर जाम हो

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है । पालीथीन बैग का नाली, नालों और सीवर लाइन में जाना और कारखानों का उत्सर्जित जल (सालिड एवं सेमी सालिड वेस्ट) कमेलों का उत्सर्जन भी महानगरों में नाली, नालों और सीवरों को अवरुद्ध कर जल भराव का कारण बन जाता है । यदि लोगों को सीवरों से जोड़ना मजबूरी हो तो समुचित व्यवस्था करके जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बड़े नालों को सीवर से कदापि नहीं जोड़ा जाना चाहिए । नगर निगमों/स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्र बनाकर पालीथीन संकलित करने वाले बच्चों एवं गरीबों से उचित मूल्य का निर्धारण करके क्रय कर लेना चाहिए और पालीथीन के प्रयोग को भी कानून बनाकर शक्ति से रोका जाना चाहिए । मेरठ महानगर में आबूनाला 71, आबूनाला, 73 एन०एस० नाला, ओडियन नाला, खड़ौली नाला और पठानपुरा नालों की सफाई एक बार उचित रूप से करा दी जाय और साथ ही नये सीवेज/ट्रीटमेन्ट प्लान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय ।

मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 के अन्तर्गत प्रदेश के नगरों में जल निकासी की व्यवस्था करने, टूटी सड़कों की मरम्मत करना, नालों की समुचित सफाई व्यवस्था करना एवं सार्वजनिक स्थानों, सड़कों एवं गलियों की सफाई कर उन्हें स्वच्छ रखने और वहां से कूड़ा करकट इत्यादि हटवाने के लिए नगर निगमों का अनिवार्य कर्तव्य/दायित्व निर्धारित किया गया है । इन्हीं कर्तव्यों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान की व्यवस्था भी सम्मिलित है । स्थानीय निकायों को इसकी व्यवस्था स्वयं व राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर, करनी होती है । यह भी उल्लेख करना है कि नागर स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत सभी महानगरों, नगरों, कस्बों में 01 जून, 2002 से 15 जून, 2002 तक सघन रूप से विशेष सफाई अभियान चलाकर सभी नाला/नालियों की सफाई कराने हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम को प्रभावी निर्देश दिनांक 27-5-2002 को ही निर्गत किये जा चुके हैं ।

उक्त सूचना में उल्लिखित जहां पालीथीन के प्रयोग को कानून बनाकर रोके जाने का प्रश्न है, के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा के उपयोग और निस्तारण का विनियमन करने और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उ० प्र० प्लास्टिक और जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 लागू किया जा चुका है और इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन होने पर शक्तियों का भी प्राविधान किया गया है ।

जहां तक मेरठ महानगर के उल्लिखित नालों की सफाई, जल निकासी तथा नये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान की व्यवस्था कराने का प्रश्न है, के संबंध में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ओडियन व आबू नाला की निकासी सीधे काली नदी में है, केवल ओडियन नाले में भूमिया पुल के पास आंशिक रूप से हिस्सा सीवर से जूड़ा हुआ है । आबू नाले पर कहीं भी अवरोध नहीं है और उसके कारण जल भराव की समस्या नगर निगम क्षेत्र में नहीं होता है । ओडियन नाले पर काली नदी से डेढ़ कि०मी० से पहले चिन्दौड़ी गांव में ह्यूम पाइप से बना पुल पानी के निकासी में बाधा उत्पन्न कर रहा था, जिसके कारण शहर में जल भराव की समस्या बनी हुई है । वर्तमान में उस पुल पर सेतु निगम द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके बनने के पश्चात् जल भराव की समस्या का निदान होने की आशा है । ]

**जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में दो और ब्लाकों के सृजन किये जाने के संबंध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में कम से कम दो और ब्लाकों के सृजित किये जाने का बिन्दु उठाया गया है ।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासन द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि नवीन विकास खण्डों के सृजन हेतु अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है । प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नवीन विकास खण्डों के सृजन का सम्पूर्ण व्यय भार प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना संभव नहीं है । अतः नये विकास खण्डों के सृजन का औचित्य नहीं है । ]

**जनपद मेरठ के ग्राम सैनी में काली नदी पर बने पुल को सड़क मार्ग से जोड़ने के संबंध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन**

मद संख्या–69

श्री अध्यक्ष–

इस मद को स्थगित किया जाता है ।

मद संख्या–70, मद संख्या–71 के वक्तव्य पढ़े हुए माने गये ।

**जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अन्तर्गत रजनहा पर खारी नदी पर एक्वाडक्ट नया बनवाने के संबंध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में खारी नदी पर एक्वाडक्ट बना हुआ है जो एक पुल का काम करता है जोकि वर्षों पहले बना होने के कारण काफी जर्जर हालत में हो गया है, जब नहर में पानी चलता है तो काफी पानी इस एक्वाडक्ट से निकलता रहता है तथा पानी बर्बाद हो जाता है । अगर चालू सीजन में टूट गया तो 40-50 ग्रामों की जमीन बिना सिंचाई के सूख जायेगी । ऐसी हालत में इस एक्वाडक्ट का नया बनाया जाना अति आवश्यक है । इस संबंध में स्थिति निम्नवत् है :–

फतेहपुर सीकरी शाखा के मील 20-2-0 पर खारी नदी पर एक्वाडक्ट निर्मित है । स्टील प्लेट का निर्मित यह एक्वाडक्ट 100 वर्ष पुराना है जो जीर्ण-शीर्ण दशा में है । वर्तमान में इसकी जल वहन क्षमता 50 प्रतिशत रह गयी है । इस एक्वाडक्ट की मरम्मत का कार्य वर्ष 1998-99 में कराया गया था । इस एक्वाडक्ट के स्थान पर नये एक्वाडक्ट का प्राविधान आगरा नहर की आधुनिकीकरण परियोजना में किया गया है । आगरा नहर आधुनिकीकरण परियोजना की रु० 74.17 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार की 75वीं बैठक में प्रदान की गयी है । इस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है । वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् भारत सरकार से ए०आई०डी०पी० के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी एवं केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । ]

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर के अन्तर्गत औरोनाहारपुर माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ मा० सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सूखे की मार से ग्रसित है इसके बावजूद बन्धों व माइनरों में टेल तक पानी नहीं जा रहा है । तहसील बिल्हौर कानपुर नगर के अन्तर्गत औरोनाहारपुर माइनर में टेल तक पानी नहीं जा रहा है, जिससे कम से कम 100 गांव प्रभावित हो रहे हैं । फसल के अलावां जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है । इस संबंध में स्थिति निम्नवत् है :–

औरोनाहारपुर नाम की कोई माइनर नहीं है वरन् कानपुर शाखा की बांयी पटरी के किलोमीटर 155.77 से औरो माइनर निकली है । इसकी लम्बाई 14.70 किमी० है । इस नहर के किमी० 0.0 से किमी० 10.00 तक वर्ष 2000-2001 में सिल्ट सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया गया तथा वर्ष 2001-2002 में किमी० 0.0 से कि०मी० 3.00 तक सिल्ट सफाई कराई गयी । सिल्ट सफाई की चेकिंग समय-समय पर जिला स्तरीय व विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित समितियों द्वारा भी की गयी है ।

यह नहर रोस्टर के अनुसार 1-4-2002 से 31-8-2002 तक 84 दिवस चलना प्रस्तावित थी, जिसके विरुद्ध 119 दिवस पूर्ण क्षमता से लाई गयी । इस वर्ष सूखे के कारण नहरों में कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से कटिंग बन्धे आदि की गतिविधियों एवं जल का अधिक प्रयोग करने के कारण वर्तमान समय में इस नहर में 10 किमी० के बजाय 8.00 किमी० तक ही पानी पहुंच सका है । अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रभावी निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग करके इस नहर की टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । ]

**स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में ''चरण सिंह ग्राम विकास योजना'' चलाये जाने विषयक दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को पूछे गये ता० प्र० सं०–6 नत्थी 'ग' के संबंध में श्री अजय कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन**

श्री अध्यक्ष–

इस मद को स्थगित किया जाता है ।

**सदन को अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव**

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान गाने के लिये खड़े होंगे ।

**राष्ट्र-गान**

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग ।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तब जय गाथा ॥
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 7 सितम्बर, 2002

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 38 विधान सभा (61)–2002–813 प्रतियां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा